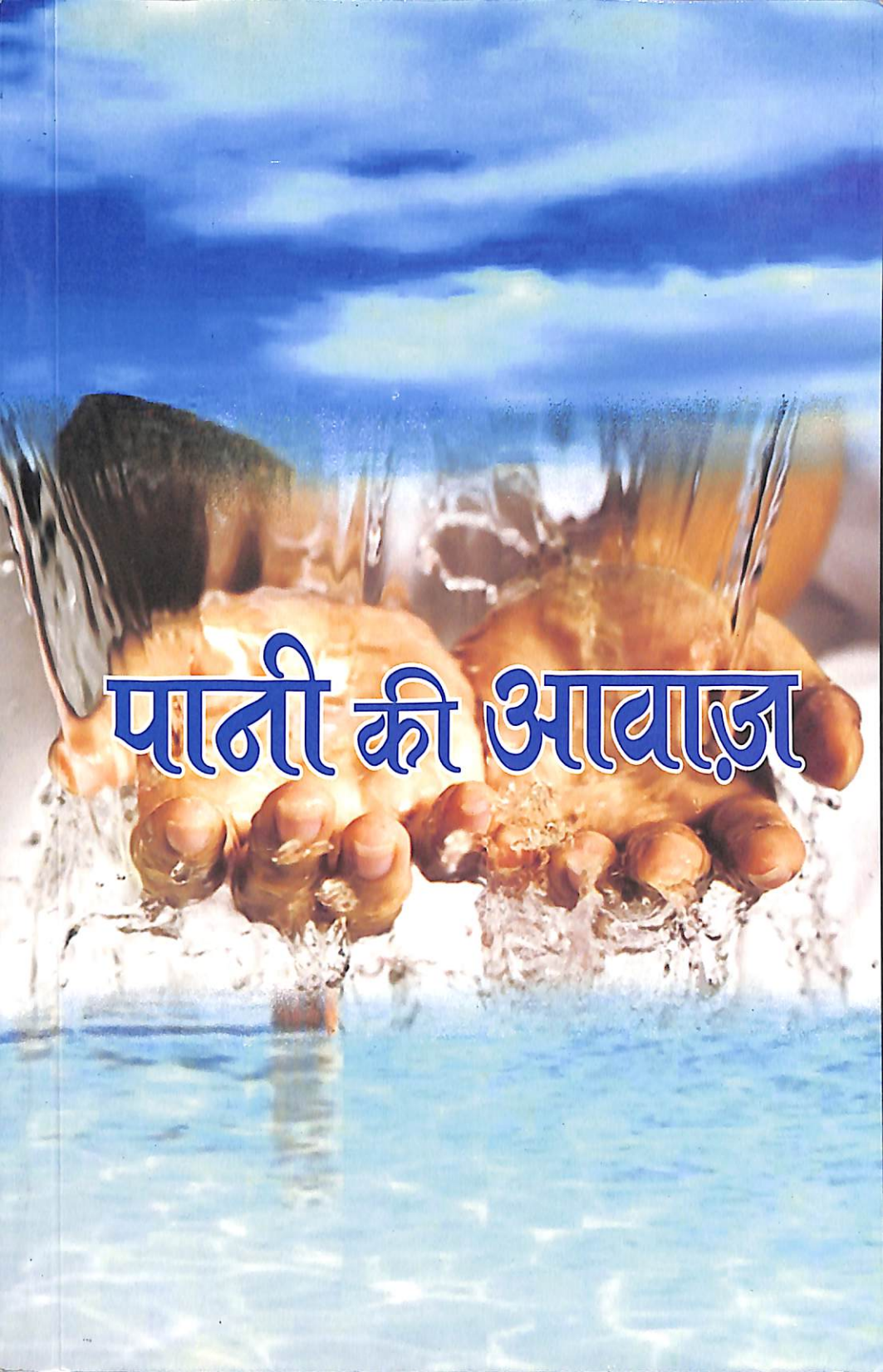
पानी की आवाज़

पानी की आवाज

सत्येन्द्र सिंह

सत्याग्रह शताब्दी वर्ष : हमारा लक्ष्य

"जल साक्षरता से जल स्वराज-जल स्वराज से ग्राम स्वराज"

'पानी की आवाज' जीवन का एक अनुभव है।

संपादन एवं मार्गदर्शन
प्रो. एम.एस. राठौड, अध्ययन विकास संस्थान, जयपुर

प्रथम संस्करण
गांधी जयंती, 2007

प्रकाशक
तरुण भारत संघ
भीकमपुरा किशोरी वाया थानागाजी,
जिला : अलवर-301022, राजस्थान
फोन : 01465-225043, 0141-2393178
ई-मेल : watermantbs@yahoo.com

मूल्य
रुपए 51/- मात्र

रूपांकन एवं मुद्रण
कुमार एण्ड कम्पनी, जयपुर

'पानी की आवाज' जीवन का एक अनुभव है। समाज में पानी की आवाज को पहचान कर तरुण भारत संघ ने जीव जगत के लिए, समाज को साथ लेकर विविध प्रकार के जल संरक्षण के कार्य किए हैं, जिससे भारतीय जलमयी, प्रकृतिमयी जीवनशैली बनी रहे, भारतीय समाज अपनी जल संस्कृति और जलदर्शन से दुनिया का मार्गदर्शन करे। पानी से जुड़ी हुई परम्पराओं में समाज एकता का भाव अपनाते हुए अपने पानी को सुरक्षित-संरक्षित करें।''

विषय सूची

प्राक्कथन	**5**
भूमिका	**7**
पानी की आवाज	**10**
तरुण भारत संघ का संक्षिप्त परिचय	**14**
जल संरक्षण के लिए कार्यक्रम	
(अ) जल संरक्षण के लिए जन जागृति:	**16**
जन चेतना कार्यक्रम।	16
शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम।	19
जल संरक्षण के लिए सहयोग।	23
जल संरक्षण के लिए संघर्ष।	27
जल संरक्षण के लिए संगठन ।	36
जल संगठन के लिए जल साक्षरता आन्दोलन ।	39
जल संरक्षण के लिए नीतिगत कार्यक्रम।	46
जल संरक्षण के लिए पैरवी।	48
जल संरक्षण के लिए न्यायालय की शरण।	62
जल सत्याग्रह।	66
जल संरक्षण के लिए दस्तावेजीकरण।	77
(ब) जल संरक्षण के रचनात्मक जमीनी कार्य	80
नदी बेसिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण तथा ग्रामसभाओं से चर्चा, जल संरक्षण के लिए जगह तय करना, बजट तथा नक्शा तैयार करना, कार्ययोजना प्रस्तुत करना, ग्रामसभा के सदस्यों को जिम्मेदार देना, कठिनाइयों को ग्रामसभा के सहयोग करना व हल करना।	81-84
विषम परिस्थिति और विश्वास	**85**
वर्तमान समय में जल संरक्षण व्यवस्थाएं	**90**

प्राक्कथन

पानी की आवाज में जीव मात्र का जीवन प्रकृति प्रदत्त निहित है। मनुष्य के लिए पानी का महत्व अमीरी-गरीबी का प्रतीक बनकर रह गया है। अमीर के लिए पानी की व्यवस्थाएं अलग हैं और गरीब के लिए पानी की व्यवस्थाएं अलग। अमीर के पानी का इन्तजाम सरकार की प्राथमिकता है। गरीब के लिए पानी का इन्तजाम उसके भाग्य पर निर्भर करता है कि उसे पानी कहां से और कैसे मिलेगा ? क्योंकि प्रकृति प्रदत्त जल पर भी सरकार का अधिकार है जो अमीरों के लिए सुरक्षित और संरक्षित है। ऐसा दुनिया के गरीब अमीर समाज में देखने में आ रहा है, जनकल्याणकारी सरकारों की नीतियों में भी ऐसा ही झलकता है। हमारे देश में जहां दुनिया की सबसे समृद्ध जल संस्कृति, जल दर्शन और उससे जुड़ी हमारी पानी परम्पराएं रही हैं जिन्हें हमारे समाज ने अपनी जीवनशैली बनाकर जिया है। लेकिन आज की व्यवस्था में समाज के व्यवहार में जल के प्रति बदलते दृष्टिकोण से भारतीय जल संस्कृति, जल दर्शन और पानी की परम्पराएं टूट रही हैं, जीवन शैली टूट रही है। जीवनशैली ही नहीं टूट रही, बल्कि टूट रहा है समाज। सदियों-सदियों से चली आ रही जलमयी सभ्यता ही शनैः-शनैः नष्ट होती नजर आ रही है। समाज की बढ़ती भोग उपभोग की प्रवृत्ति के कारण पानी और समाज दोनों ही बंटे हैं। पानी और समाज का बंटना भारत ही क्या दुनिया के किसी राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। फिर भी यह सब हो रहा है।

पानी की आवाज में समाज को सदैव जाग्रति करने का भाव समाहित रहता है। उसे पहचान कर सजगता के साथ लोक कल्याण के लिए निरन्तर प्रयत्नशील भी रहना होगा कि हमारा जीवनदायी पानी हमारे हाथ से कहीं दूर बहुत दूर न चला जाए। जिसके रूप रंग को देखने के लिए हमारी आंखें तरसें और कलकल करती जल धाराओं की स्वर लहरियां सुनने के लिए कान। पानी के लिए

बिलखते हुए जन समुदाय के बीच पानी की आवाज को पहचानते हुए अनेकों प्रकार से पानी के लिए कार्य करने होंगे। तब जाकर पानी सुरक्षित संरक्षित रहकर जनसमुदाय के कण्ठ की प्यास बुझा पायेगा। तरुण भारत संघ ने अपने बाईस साल के ग्रामीण जीवन काल में समाज के लिए पानी का कार्य करते-करते जो अनुभव किया, उसके आधार पर समाज के बीच में रहकर कार्य किये। पानी के अभाव से उजड़ते गांव, सूखे कण्ठ, पशुओं के कंकाल, सूखे पेड़-पौधे और वीरान जंगल जिसमें एक तिनका घास भी नहीं। ऐसे भयाभय समय में पानी के लिए समाज की कैसी आवाज होती है ? कल्पना से परे है, लेकिन यह सत्य भी है कि पानी के लिए तड़फता समाज दिशाहीन और दीन दोनों अवस्थाएं लिए हुए जीता है। ऐसी अवस्था से बचने के लिए समाज को सदैव आगे आना होगा और अपने पानी की आवाज को पहचानना और उसके लिए कार्य करना प्राथमिक कार्य होंगे। पानी की आवाज को पहचान कर जब समाज अपना जीवन निर्वाह करता है तो ऐसी जीवनशैली में अपनी जल संस्कृति, जलदर्शन और पानी से जुड़ती परम्पराएं टूटती नहीं हैं बल्कि पनपती हैं, फलती-फूलती हैं, जीव-जगत के लिए कल्याणकारी होती हैं।

'पानी की आवाज' को एक पुस्तक के रूप में लिखने के पीछे भाव जीवन के अनुभव को समाज के सामने लिपिबद्ध करके रखना था कि अपने पानी को समाज कैसे सुरक्षित रख सकता है ? क्या-क्या करना होगा ? कैसी-कैसी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है ? सामाजिक-राजनैतिक, शासन-प्रशासन, राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मकड़जाल में फंसे अपने पानी की आवाज को पहचानने के लिए समाज हर संभव प्रयासरत रहेगा, तभी पानी का संरक्षण कर सकता है। वरना वर्तमान परिस्थितियों में पानी के दर्शन और पानी की आवाज के लिए तड़फने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आशा है कि समाज में यह छोटी सी पुस्तक 'पानी की आवाज' का जनजागरण करेगी। समाज सावधान होगा और अपने पानी की हर संभव सुरक्षा करेगा।

राजेन्द्र सिंह

अध्यक्ष, तरुण भारत संघ

भूमिका

पानी की आवाज पानी के स्रोत पर निर्भर है। पानी को जानने, समझने वालों ने पानी का रूप-स्वरूप जितना कोमल, शीतल, रसीला व जीवन रूप समझा है। इसके संरक्षण और जन-जागृति के कार्यों को उतना ही कठिन मानते हैं। समाज के लोग ही इसके संरक्षक हैं और समाज के लोग ही इसके दोहनकर्ता, शोषणकर्ता, अपमानितकर्ता होते हैं। इसका दोष किसी विशेष व्यक्ति या सरकारी तंत्र का नहीं होता, ये सब समाज के एक अंग के रूप में कार्य करते हैं। गतिशील समाज पानी की बहती निर्मल धारा की तरह निर्मल, शीतल स्वभाव एवं हर समय प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उन्नति के लिए प्रयत्नशील रहता है। समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पानी में दुर्गन्ध फैलाते हैं। सरकार और सरकारी-तंत्र न तो पानी की निर्मलता, शीतलता, स्वच्छता, कोमलता, गतिशीलता ही समझता है और ना ही पानी का ठीक से प्रबंधन ही कर पाता है वरन गलत नीतियों से समाज के सामने संकट खड़ा कर देता है। समाज को पानी प्रबंधन से दूर कर देता है।

हमारे देश में अब पानी सबसे अधिक खेती में इस्तेमाल होता है। अब सोचना यह है कि हमारी खेती कैसी हो? जिसमें कम पानी के उपयोग से अधिक और अच्छी पैदावार कर हमारा किसान अच्छी पैदावार ले सके। इसके लिए फसल चक्र जरूरी है। लेकिन देश के विभिन्न भागों में देखने में आता है कि एक ही फसल बोने से पानी का संकट खड़ा हो जाता है। देश में कई सजल प्रदेश थे। देखते-देखते एक फसल को लगातार कई वर्षों तक बोने से उनमें पानी की समस्या खड़ी हो रही है। आन्ध्र प्रदेश,

महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश सजल क्षेत्र थे, लेकिन पानी की कमी किसान की मौत का कारण बनती नजर आ रही है। किसान की आदत में बाजारू फसल की आदत ने पानी का संकट पैदा किया है। आन्ध्र प्रदेश और पंजाब में चावल तो महाराष्ट्र में गन्ना की फसलों से पानी की समस्या बढ़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी पानी के संकट से जूझने लगा है जो गंगा-यमुना का दोआब वाला क्षेत्र था।

इसी प्रकार देश में बढ़ते उद्योग के कारण भी पानी का बेतहाशा दोहन हो रहा है। उद्योगों में जल का दोहन ही नहीं होता, प्रदूषण भी होता है। प्रदूषित जल हमारी नदियों और धरती के गर्भित अमृत जल को भी जहर बना देता है। देश में यह एक ज्वलंत समस्या है। जिस पानी को भारत का जन मानस ईश्वर तुल्य समझता हुआ जीवन व्यतीत करता था। आज उसकी जीवन शैली में आये बदलाव के कारण पानी की परम्परा ही नहीं टूट रही है, बल्कि भारतीय जल दर्शन और जल संस्कृति भी टूटती नजर आ रही है। यह भारत जैसे देश के लिए एक बड़ा संकट है। देश का पानी बाजार की वस्तु बन गया है, जिसके कारण देश में जलमयी जीवनशैली टूट रही है। समाज और सरकार के नजरिए में भी पानी को लेकर द्वन्द्व है। लेकिन दोनों का मन्तव्य दृष्टि में पानी बाजारू बन कर रह गया है। ऐसी विकट स्थिति में भी हमारी पानी की परम्परा बलवती दिखाई देती है। हमारा समाज पानी की शरण में जाए बिना नहीं रह सकता। ऐसी परम्पराओं को जिन्दा रखना समाज और सरकार का दायित्व है। इससे देश की संस्कृति की रक्षा होती है और पानी के प्रति समाज का दृष्टिकोण परिपक्व होता है।

देश में बढ़ता शहरीकरण व शहरों के लिए जल उपलब्धता आने वाले समय की मुख्य चुनौती बन कर उभरेगी। इससे भी कहीं ज्यादा शहरों से निकलने वाला गंदा जल, ज्यादातर हमारी नदियां व जल धाराओं में छोड़ा जाता है, वह प्रदूषण का मुख्य स्रोत हैं। इस समस्या से निपटने के लिए न केवल बहुत धन चाहिए बल्कि शहरीकरण की नीति में बदलाव चाहिए।

शहरों के पानी प्रबंधन की व्यवस्था में निजीकरण एक बड़ी चुनौती बनकर उभर रही है।

तरुण भारत संघ के जल संरक्षण के कार्य एक छोटे से गांव गोपालपुरा से शुरू हुऐ और आज देश-दुनिया में पानी की आवाज बने। यही आवाज आज समाज में सबसे संवेदनशील है जो गांव की गलियों में गूंजती गुजरती हुई 1 दिसम्बर, 2005 को संसद्-भवन में भी गूंजी। देश के राजनीतिज्ञों, सत्ता पक्ष-विपक्ष व उच्च अधिकारीगणों ने ध्यानपूर्वक सुना इस पुस्तक में संघ ने गत वर्षों से जल संरक्षण के कार्यों के अनुभवों को एक घटनाक्रम/क्रमबद्ध करने की कोशिश की है। 22 वर्षों की घटनाओं को पूरे विस्तार सहित देना मुनासिब नहीं है। फिर भी 2006-07 तक जल संरक्षण के लिए किये गये कार्यों का एक संक्षिप्त विवरण इस पुस्तक में देने की कोशिश की गई है। इन अनुभवों का लाभ समाज व स्वयं सेवी संस्थाओं को मिलेगा इस आशा से इसे प्रकाशित करने का सोचा गया।

मैं प्रोफेसर डॉ. मनोहर सिंह राठौर, विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर का आभारी हूँ जिन्होंने इस पुस्तक का संपादन कर इसे पठनीय बनाया है। इतना ही नहीं पुस्तक की विषय वस्तु के विषय में मेरा मार्ग दर्शन कर उत्साहित किया है।

सत्येन्द्र सिंह
कार्यकर्ता, तरुण भारत संघ

पानी की आवाज

पानी की आवाज को जैसी मनोवृत्ति से और परिस्थितियोवश सुना जाता है, यह सुनने वालों पर निर्भर करता है। पानी अपनी संगीतमय लय के साथ-साथ, प्रलयकारी भयंकरता से परिपूर्ण है । प्रलयकारी आवाज सृष्टि को झकझोर देती है। सृष्टि की पहली रचना **पानी** की आवाज युग-युगान्तरों से सृष्टि की बहुविध रचनाओं में समाहित है। ऋषि-मुनियों की वाणी में, संगीतज्ञों के संगीत में, साहित्यकारों के साहित्य में, कवियों की कविताओं में, प्रेमियों के प्रेम में, वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाओं के द्वारा पानी की आवाज को सदियों-सदियों से अपने-अपने तरीकों से सुना, समझा, परखा गया है।

पानी का जैसा रूप-स्वरूप.... है। वह हमेशा गतिमान है, समय के साथ-साथ क्षण-प्रति-क्षण सदैव गति में रहता है। स्वयं समय है। अगर रूप-स्वरूप में देखें तो पाते हैं, सारी सृष्टि का आधिपत्य जल है और इससे सब सजीव हैं। जिस प्रकार पानी के रूप-स्वरूप और गति को मनुष्य कुछ आंकड़ों के आधार पर सिद्ध करता है, वह मात्र एक प्रयोग होता है। पानी जीवन्त है, यह सत्य है।

इसी प्रकार पानी की आवाज को लेकर मनुष्य ने कितनी कल्पना की, कितना लिखा, जिसमें से समाज ने कुछ को ही याद रखा। रोजमर्रा की जिन्दगी में जिया। पानी की आवाज ने कितने संगीत दिये, कितने साहित्य लिखे और उस आवाज को सुनने, समझने, पहचानने वाले युग पुरुष। पानी को समय, काल, परिस्थितियोंवश जैसा देखा, समझा, सुना, उसी के अनुसार कार्य किया और जीवन की कल्पना कर जीवन्त रखा।

आज भी सामान्यत: देखा जा सकता है कि पानी की आवाज में झरने रूप में गिरने से संगीत की धुन सुनाई देती है। नदी की कलकल करती गति ध्वनि बरबस अपनी ओर खींचती है। जलधर अपनी आवाज में प्रलयकारी नाद को समाहित किये हुए है। ताल-सरोवरों के किनारे मधुर लय में तरंगित सुर होते हैं। कुएं के तीर पर स्वर साधना में पानी की आवाज आती है। हरे-भरे जंगलों के वातावरण में जो सुकून मिलता है, वह पानी ही तो है। पेड़-पौधे, लताओं की पत्तियों से गुजरती वायु भी पानी के सान्निध्य में मधुर संगीत छोड़ती जाती है। निर्जन वन में पशु-पक्षी, जीव-जन्तुओं के कण्ठों से निकलने वाली आवाज में भी तो पानी की आवाज है। खेत-खलिहानों में लहराती फसलों से आने वाली आवाज भी तो पानी की ही आवाज है जिसको सुनकर कृषक बरबस नाच उठता है। बाग-बगीचों के फलों की मिठास और कोयल की कूंक में पानी की आवाज है। उद्यानों के फूलों से आने वाली सुगन्ध, इठलाती तितलियों, काले भौंरों के गुंजन से भी पानी की आवाज आती है तो फूल तोड़ती मालिनियों के गीतों में पानी की आवाज अपनी पूरी मधुरिमा लिए कर्णप्रिय सुनाई देती है।

समाज के सांसारिक जीवन-पटल पर कण्ठ से आने वाली आवाज अलग-अलग सुनाई देती है जिसे पहचानना कठिन होता है। समाज में पानी की आवाज को दबाया जाता है। उसके ईश्वरीय जीवन्त स्वर को लोग अपने-अपने तरीके से बन्द करना चाहते हैं। वे पानी के स्वर लय संगीत पर आधिपत्य कर अपने को अपनों से अलग कर लेते हैं और पानी की आवाज का जीवन में मधुर स्वर संगीत सभी रूपों में सुनते हैं। ऐसी स्थिति में पानी स्वयं को असहाय समझ समाज की लालची प्रवृत्ति में अपनी मजबूरी दर्शाता है। समाज की लालची प्रवृत्ति उसकी स्वयं की बनाई व्यवस्था है जो लोक आधारित न होकर लालच से ग्रसित होती है जो समाज को कई वर्गों में विभक्त कर देती है। समाज को बांटने वाले इसका लाभ उठाते हैं और पानी की मधुर आवाज सुनते रहते हैं। जबकि **पानी जीवन है,** यह सर्वविदित सत्य है। पानी सभी को चाहिए, अमीर को भी और गरीब को भी।

जब समाज अमीर और गरीब दो भागों में बंट जाता है तो उसी पानी के रंग-रूप, गति, आवाज में भी भेद हो जाता है। अमीर के लिए पानी एक भोग की वस्तु बनकर रह जाता है जिसका वह नाना रूपों में उपभोग करता है। ऐसे पानी का असर मनुष्य की प्रवृत्ति को भी बदल देता है। ऐसे समाज में क्रूरता, घमण्ड, लालच, भ्रष्टता, धृष्टता, शोषण और संग्रहण जैसी प्रवृत्ति जन्म लेती है जिससे आदमी समाज के प्रति अन्धा, बहरा, गूंगा हो जाता है और स्वार्थी भी। पानी की आवाज के मधुर संगीत में खोया रहता है। दूसरी ओर समाज का एक वर्ग पानी की आवाज सुनने के लिए तरसता रहता है। उसके चेहरे मुरझाए रहते हैं और आंखें पथराई; पानी के किसी प्रकार के स्वर सुनाई न देने पर जुबान भी बन्द हो जाती है और कान बहरे। जीवन शून्य की ओर जाता दिखाई देता है। इस प्रकार मनुष्य की दशा एक समान ही दिखती है।

शोषणकर्ता समाज शोषित समाज को सभी प्रकार से शक्तिहीन कर बेपानी कर देता है। जब उसके जीवन में पानी ही नहीं रहेगा तो उसे पराधीनता स्वीकारनी ही होगी। शोषित समाज के घर-आंगन में वर्षा की रिमझिम की आवाज को सुनने का अधिकार नहीं है। उस पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का ही अधिकार है, ऐसा सत्ताधारियों ने स्वीकार किया है। आसमान में छायी घनघोर घटाएं और उनसे रिमझिम के स्वर-संगीत के साथ पृथ्वी पर आने वाली जीवनदायिनी अमृतजल की बूंदों को सुनना, देखना, आज की व्यवस्था ने बन्द कर दिया है।

पानी अनन्त शक्तिशाली, अपरिमित स्नेही, पल-पल गतिमान रहने वाला सभी को समानभाव से देखता है। उसे कितने ही कड़े पहरे में बन्द रखा जाए, उसके स्वभाव को नहीं बदला जा सकता है । यह जानने वाले कभी हताश नहीं होते हैं।

वह अपने जीवन की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं और पानी की संपूर्ण कलाओं का आनन्द लेते हैं। शोषणकर्ता को भी समय-समय पर अपना पानी दिखाते हैं। बन्द पानी समाज में सिर चढ़कर बोलता है जिसकी भयंकर आवाज से

शोषणकर्ता का अन्धापन, बहरापन और गूंगापन सब कुछ ठीक हो जाता है। समाज में व्याप्त पानी की आवाज का भयावह रूप-दर्शन से सत्तासीन व्यवस्थाओं का मार्गदर्शन होता है जिससे समाज को पानी की मधुर आवाज सुनाई देती है और साथ ही पानी का रूप-रंग भी दिखाई देता है। यह तभी तक संभव है, जब तक समाज में पानी की आवाज रहती है।

तरुण भारत संघ ने समाज में व्याप्त पानी की आवाज को विविध रूपों में सुना, समझा, देखा और अनुभव किया कि बिना पानी के समाज का जीवनचक्र शून्यता की ओर अग्रसर होता हुआ किस प्रकार से व्यतीत होता है। उसके जीवन की खुशियां पानी के अभाव में किस तरह आहुति होती हैं। ऐसे में व्यक्ति विशेष ही नहीं सृष्टि की संरचनाओं का विनाश पानी के अभाव का कारण है। जहां जीव-जगत का प्राणांत ही दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में तरुण भारत संघ ने समाज की संवेदनाओं को समझा और उसकी जीवन पद्धति के साथ आत्मसात होकर निराशा को आशा में बदलने का साहस किया। बेपानी क्षेत्र को समाज की सहभागिता के साथ पानीदार बनाने का प्रयास किया है।

तरुण भारत संघ का संक्षिप्त परिचय

तरुण भारत संघ (तभासं) के इस क्षेत्र में आने से पहले के वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेन्द्र सिंह को वर्ष 1982-83 में सरिस्का भ्रमण के दौरान पीड़ादायी संवेदनाओं ने छुआ। वर्ष 1983-84 में राजेन्द्र सिंह तभासं के महामंत्री बने। तभासं की कार्यपद्धति में एक नया मोड़ आया।

तभासं में ग्रामीण समाज की पीड़ा समाहित हो गई। ग्रामीण समाज की पीड़ा ने तरुण भारत संघ को बेचैन कर दिया। तभासं के महामंत्री को अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी। संस्थागत कार्यों की जानकारी के लिए अन्य संस्थाओं में जाकर अनुभव करने पड़े।

शुभ दिन : 19 नवम्बर, 1985 तरुण भारत संघ के लिए शुभ दिन रहा। इस दिन तभासं शहर से गांव की ओर चला और रात्रि विश्राम किशोरी गांव में हनुमानजी के मंदिर में हुआ। नये दिन की शुभ बेला में सूर्य दर्शन किये। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित भू-मण्डल में नया गांव किशोरी, नये चेहरे, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, खेत-खलिहान, जंगल-पहाड़, पहली नजर में एक साथ सब कुछ नया, एक-दूसरे से अनजान। एक अनजान जगह पर चला जान-पहचान का नया युग।

क्षेत्र की स्थिति : एक नजर

तरुण भारत संघ के प्रारंभिक काल में बेपानी समाज की आवाज में वो ओज कहां जो पानी की आवाज में होता है, इस स्थिति का भान तभासं को समझना पड़ा

वर्ष 1985-86 में सरकारी आंकड़ों के अनुसार अरावली की पहाड़ियों से घिरी थानागाजी तहसील अलवर जिले की सबसे पिछड़ी तहसील है। इसमें मीणा, गुर्जर, ब्राह्मण जातियों का बाहुल्य है। यहां के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती और पशुपालन रहा है। इन दोनों व्यवसायों के लिए पानी आधार है। 6 महीने में क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा समाज की समस्याओं का अध्ययन किया।

संकल्प

तरुण भारत संघ परिवार, पानी बचाने के लिए संकल्पबद्ध है। वह अपने प्रयोग से समाज-सरकार-गैर सरकारी संस्थाओं, देशी-विदेशी संस्थाओं को भी पानी के कार्यों में सहयोग दे रहा है।

जल संरक्षण के लिए कार्यक्रम

संस्था को जल संरक्षण के कार्य करते-करते 22 वर्ष का एक लम्बा समय गुजर गया। इस गुजरे समय में जल संरक्षण संबंधी मुख्यत: दो प्रकार के कार्य किए गए हैं:

1. जल संरक्षण के लिए जन जागृती
2. जल संरक्षण के रचनात्मक जमीनी कार्य।

जल संरक्षण के लिए जन-जागृति

जन-जागृति कार्यों को निम्न स्तरों में देखा जा सकता है:

1. जन चेतना कार्यक्रम।
2. शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम।
3. जल संरक्षण के लिए सहयोग।
4. जल संरक्षण के लिए संघर्ष।
5. जल संरक्षण के लिए संगठनात्मक कार्य।
6. जल संगठन के लिए जल साक्षरता आन्दोलन कार्यक्रम।
7. जल संरक्षण के लिए नीतिगत कार्यक्रम।
8. जल संरक्षण के लिए पैरवी।
9. जल संरक्षण के लिए न्यायालय की शरण।
10. जल सत्याग्रह।
11. जल संरक्षण के लिए दस्तावेजीकरण।

1. जन चेतना कार्यक्रम

क्षेत्रीय अवलोकन

किसी भी कार्य के करने से पहले क्षेत्रीय अवलोकन करना अतिआवश्यक होता है। इसमें किसी विशेष व्यक्ति से चर्चा किए बगैर प्रत्यक्ष क्षेत्र की परिस्थितियों को एक नजर में देखना, समझना, वनस्पति, खेती, पशुधन, लोगों का रहन-सहन, स्वास्थ्य और समस्याओं को महसूस करना और उन्हें हल करने के उपाय तलाशना पहला कदम है।

चर्चाएं, बैठकें, विचार-विमर्श, ग्रामीण बैठकें

समाज में बहुत सी ऐसी समस्याएं होती हैं, जो दिखाई नहीं देतीं। उनके लिए चर्चाएं होना अतिआवश्यक है। जब तक चर्चाओं के माध्यम से ग्रामीण बैठकों

में विचार-विमर्श द्वारा किसी समस्या के समाधान के तथ्यात्मक विचार-बिन्दुओं की एकरूपता स्पष्ट सामने नहीं आती तो समस्या का हल तलाशना भी कठिन होता है।

तभासं ने अपने क्षेत्र की अनेक प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए चर्चाएं व ग्रामीण बैठकों का सार्थक उपयोग किया। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण व उपयोग पर भी विस्तार से गत 22 वर्षों में सतत चर्चा के बिन्दु बनाकर उपयोग किए गये ।

जल संरक्षण के लिए भी संस्था के कार्यकर्ताओं से लेकर अध्यक्ष, महामंत्री आदि सबने मिलकर छोटी-छोटी ग्रामीण बैठकों के माध्यम से जनचेतना के कार्यक्रम किए। इसके लिए पहले से कोई विशेष पूर्व तैयारी या प्लान बेस कार्यक्रम नहीं किए गए। सामान्य तौर पर आपसी बातचीत में गांव की अन्य समस्याओं में ये भी सबसे बड़ी समस्या के रूप में सामने आई। समाज और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जल संरक्षण समस्याओं के समाधान के लिए गांव स्तर पर वातावरण बनाने का कार्य सहयेागी सिद्ध हुआ।

नुक्कड़ नाटक

नुक्कड़ नाटक समाज की समस्या और उसके समाधानों को अवगत कराने का सशक्त माध्यम है। तभासं ने प्राकृतिक संरक्षण के लिए नुक्कड़ नाटक को अपना माध्यम चुना। इसके लिए अपने कार्यकर्ताओं को समय-समय पर प्रशिक्षण दिलाया और समाज में भेजा। समाज द्वारा उत्पन्न की जा रही समस्याएं, सरकार और उद्योगपतियों द्वारा की जा रही समस्याओं को समाज के समक्ष इस प्रकार प्रस्तुत किया कि एक मनोरंजन के रूप में समाज के सभी वर्गों के लोगों ने एक साथ देखा-समझा, जिसमें महिला-पुरुष, बच्चे सभी समान भाव से खेल-ख्याल में शिक्षण प्राप्त करते थे।

संस्था ने अपने कार्यक्षेत्र के गांवों-कस्बों, शिक्षण संस्थानों में नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को समझाने के सहज भाव से चेतना कार्यक्रम किये। इन नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया। बड़े-बड़े कार्यक्रमों में भी किया गया, जिसे खूब सराहा गया और प्रशंसनीय रहा।

जागृति शिविर, क्षेत्र स्तरीय शिविर

किसी भी समस्या और उसके समाधान को गहराई से समझने-समझाने के लिए चिन्तन-मंथन किया गया। समाज के विभिन्न आयु वर्गों के साथ महिला, पुरुष, शिक्षक, छात्रों, समाज सचेतक, बुद्धिजीवियों आदि के साथ आपसी बैठकों में जानकारी के लिए शिविरों के माध्यम से जागृति की जाती है। तभासं ने जल, जंगल, जमीन के संरक्षण के लिए ग्राम से लेकर क्षेत्रीय स्तर के शिविर आयोजित किये जिनमें एक सामूहिक समस्या का भान हो और उसके समाधान में भी सामाजिकता का अहसास हो। उसके संरक्षण के लिए समाज में तड़प, तत्परता-चिन्तन-मंथन, जिज्ञासा को शिविरों के द्वारा समाज में उत्पन्न करना होता है। तभासं ने अपने क्षेत्र में ऐसे प्रयोग किए हैं। समस्या के समाधान जीते-जागते आज की विकट परिस्थितियों में देशव्यापी उदाहरण बने। जल समस्या-जल संरक्षण और समाधान के तभासं के कार्यों में छोटे-छोटे शिविरों की अहम भूमिका रही है।

पदयात्राएं

समाज की परिस्थिति व जमीनी हकीकत से रूबरू होना होता है। एक साथ कई प्रकार के अध्ययन पदयात्राओं के माध्यम से होते हैं। समाज का प्रत्यक्ष दर्शन पदयात्राओं में ही निहित है। पदयात्राएं मानव सभ्यता को फैलाने की वाहक रही हैं। आज भी उतनी ही सटीक और सही हैं। आज इनकी महत्वता और बढ़ी है।

तभासं के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यक्षेत्र, परिस्थितियों को पदयात्राओं के माध्यम से समझा। समाज में भिन्न-भिन्न तरह की समस्याएं रही

हैं। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक रीति-रिवाज, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति दृष्टिकोण; यह सब समझने के लिए तभासं ने गत 22 वर्षों में समय-समय पर अपने कार्यक्षेत्र, प्रदेश व देशव्यापी जल संरक्षण के लिए यात्राएं की थीं। जिसमें समाज के छोटे सदस्य 'किसान-मजदूर' से लेकर साधु-सन्त, राजे-महाराजे, नेता-राजनेता, अधिकारीगणों के साथ-साथ उद्योगपतियों, छात्र-छात्राओं, विशेषज्ञों को जल संरक्षण के लिए समाज में जाने का आह्वान किया। **जोहड़ बनाओ-पानी बचाओ** के साथ-साथ दीवार लेखन करना, गीत-कविताएं आदि कार्यक्रम भी किए गए जिनका प्रभाव जन मानस पर पड़ा। समाज सचेत हुआ।

2. जल संरक्षण के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण

किसी विषय की सामान्य और गहन जानकारी के लिए तथ्यात्मक, तर्कसंगत, समय के अनुसार जानकारी जरूरी है। चाहे एक ग्रामवासी हो, सामाजिक कार्यकर्ता या शोधकर्ता सभी के लिए शिक्षण-प्रशिक्षण जरूरी है। तभासं ने समाज में विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु प्रशिक्षण आयोजित किये जिनमें प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया गया। प्राकृतिक संसाधन **जल, जंगल, जमीन** समाज की प्रकृति-प्रदत्त धरोहर है। इसके बिना समाज के अस्तित्व की कल्पना करना असंभव है। आज मनुष्य की लालसा के कारण इन्हीं पर संकट आ गया है। जल संरक्षण के लिए तभासं ने विभिन्न स्तरों से शिक्षण-प्रशिक्षणों की व्यवस्था की है।

जल संरक्षण के लिए ग्राम सभा समिति का गठन करना एवं शिक्षण-प्रशिक्षण

जल संरक्षण के लिए गांव में वातावरण बनाकर समिति का गठन करना और समिति सदस्यों को गांव के प्राकृतिक संसाधनों के साथ सामलाती जीवनशैली के आवश्यक संसाधनों के रख-रखाव के लिए प्रशिक्षण दिया है। जल संरक्षण

के लिए गजधर, जल संरक्षक, जल प्रेमी, समाज बनाने का प्रयास किया और सफलता भी मिली।

शैक्षिक भ्रमण

शैक्षिक भ्रमण भी ज्ञानवर्द्धन के लिए अति आवश्यक है। इससे दूर-दराज, देश-दुनिया में किये जा रहे विशेष भौगोलिक क्षेत्रों में तरह-तरह के कार्यों से समाज कैसे लाभान्वित हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए शैक्षिक भ्रमण करना आवश्यक है। तभासं ने अपने क्षेत्र के विकास के लिए तरह-तरह के शैक्षिक भ्रमण ग्रामीणों को कराये। देश के अन्य भागों में हो रहे कार्यों को देखा, समझा और जल संरक्षण की विविध प्रकार की विधियों की जानकारी ली गई जिससे ग्रामीणों को लाभ हुआ।

जल संरक्षण में सरकारी-गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण

तरुण भारत संघ द्वारा किये जा रहे समाज की सहभागिता से जल संरक्षण के कार्य आज देश-दुनिया की जानकारी में हैं। तभासं के अध्यक्ष **श्री राजेन्द्रसिंह जी पानी वाले बाबा, वाटरमैन** कहलाते हैं तथा तरुण भारत संघ पानी का कार्य करने वाली संस्था के रूप में जानी जाती है।

संस्था के द्वारा जन सहभागिता से किये जा रहे जल संरक्षण के कार्यों को देखने-समझने के लिए आये सरकारी और गैर- सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों को ग्रामीण समाज के कार्यों को दिखाया जाता है। ग्रामीण जनों के साथ बातचीत व आपसी चर्चाएं की जाती हैं। कार्यकर्ताओं के साथ विस्तार से सहभागिता पर चर्चाएं होती हैं। एक सकारात्मक सोच विकसित करने में तभासं के कार्यकर्ता अपने दायित्व पूर्ण मुस्तैदी से निर्वाह करते हैं जिससे संस्था में आने वाले आगन्तुकों व समाज को पूरा लाभ मिल सके।

ग्रामीण युवाओं के लिए जल संरक्षण प्रशिक्षण

तभासं ने जल संरक्षण का कार्य ग्रामीण सोच और जरूरत को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया था। सन् 1986 में संस्था-कार्य-क्षेत्र थानागाजी में पानी की पहली जरूरत थी। यह काम वहां के समाज ने ही किया, विशेषज्ञ नहीं बुलाने पड़े। कार्य के अनुभवों के आधार पर यह महसूस हुआ कि पानी का काम समाज आधारित किया जाए और इस कार्य की युवा वर्ग को जल के विषय में सामान्य जानकारी हो, अधिक उपयोगी रहेगी। इसके लिए प्रारंभ में 15 दिन व एक महीने के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। बाद में वर्ष 1992-93 से 1997-98 तक छमाही और एक वर्ष के प्रशिक्षण चलाए गए जिसमें गांव की सामलाती जीवन पद्धति के लिए **सामलात देह प्रशिक्षण** दिए गए जिनमें क्षेत्र व देश के अन्य भागों से लगभग 250 से अधिक प्रशिक्षणार्थी तैयार किए गए, जिनमें से कुछ तो तरुण भारत संघ में रहकर जल संरक्षण कार्य में लगे और कुछ अपने-अपने क्षेत्र की स्वैच्छिक संस्थाओं में जाकर गांव के विकास कार्यों में संलग्न हो गए। आज वे अपनी सामलात देह के संरक्षण-संवर्द्धन में लगे हुए हैं।

जैसे-जैसे जल के प्रति संस्था व संस्था के पदाधिकारियों की सोच स्पष्ट होती गई, वैसे-वैसे ग्रामीण युवाओं के लिए जल-संरक्षण के प्रशिक्षण की आवश्यकता बढ़ी। वर्ष 2002 में यह महसूस हुआ कि जल से संबंधित एक व्यवस्थित प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था होनी चाहिए। जहां जल सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर युवाओं को जानकारी दी जाए जिससे वे सामान्य तौर पर हर प्रकार से अपने पानी के दर्शन को स्पष्टत: तर्कसंगत, व्यावहारिक तौर पर अपने जीवन में उतारें और आने वाली पीढ़ी को प्रकृति की धरोहर को सौगात के रूप में दें। इसके लिए तभासं में तरुण जल विद्यापीठ की स्थापना की गई और अपना विचार दान दाता संस्था स्वीडीस इन्टरनेशनल डवलपमेंट एजेन्सी (सीडा) के सामने रखा। सीडा ने तभासं के इस विचार को स्वीकार किया और मदद भी दी।

तरुण जल विद्यापीठ के प्रारूप और पाठ्यक्रम के विषय में देश के विभिन्न बड़े संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ जयपुर और भीकमपुरा में कई मीटिंग आयोजित की गईं । सभी की राय को ध्यान में रखते हुए तरुण भारत संघ में तरुण जल विद्यापीठ का पहला सत्र जुलाई 2005 से आरंभ हुआ। जिसमें देश के विभिन्न भागों से आये अभ्यर्थियों में से 20 छात्रों को लिया, जिनका अध्ययन कार्यकाल मार्च 2006 तक रखा। इसके अतिरिक्त दो-दो महीने के दो सत्र भी जून 2006 तक किए, जिनमें 10-10 छात्र रखे गए। इस प्रकार जुलाई, 2005 से जून 2006 तक 40 छात्रों को तरुण जल विद्यापीठ में जल संरक्षण-संवर्द्धन की विभिन्न विधाओं का ज्ञान दिया गया। इससे युवाओं को जल के संबंध में जानकारी हुई, जो समाज की जल समस्याओं को हल करने में सहायक सिद्ध होगी, ऐसी आशा है।

स्कूली छात्रों के लिए प्रशिक्षण

पानी एक उम्र के या किसी एक समुदाय विशेष के लिए आवश्यक नहीं है वरन् यह सृष्टि का जीवन है। पानी है तो सृष्टि है। प्रकृति में जीवन है और जीवन को संचालित करने के लिए जल चाहिए। इसका भान स्कूली छात्रों के साथ समय-समय पर तभासं के कार्यकर्ताओं ने अपने स्तर से करने का प्रयास किया है । स्कूलों में जाकर प्रतियोगिताओं के माध्यम से, खेल-नाटक तथा प्रशिक्षण के लिए उपयोगी सामग्री तैयार की गई। छात्रों के उपयोग के लिए **रहिमन पानी राखिए** नामक छोटी पुस्तक उपयोगी है । यह पुस्तक बच्चों के पाठ्यक्रम के रूप में तैयार की गई थी। इस पुस्तक में शिक्षण-प्रशिक्षण जल के संबंध में अच्छी जानकारी है। अनुपम मिश्र-गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, दिल्ली द्वारा देश और राजस्थान की पृष्ठभूमि में रचित पानी की प्रसिद्ध पुस्तक **आज भी खरे हैं तालाब और राजस्थान की रजत बूंदें** के साथ-साथ तभासं द्वारा समाज में किए गए कार्यों की जानकारी के लिए विविध प्रकार की अध्ययन सामग्री क्षेत्रीय स्कूलों में दी है जिससे छात्रों की ज्ञानवृद्धि हो रही है, ऐसा विश्वास है।

शोध संस्थानों के छात्रों का प्रशिक्षण

तभासं में देश के विभिन्न संस्थानों से शोधकर्ता छात्र प्रतिवर्ष आते हैं। तभासं द्वारा किए जा रहे जल संरक्षण के अहम कार्य में समाज की भूमिका को अपने-अपने नजरिए से देखते हैं। ग्रामीणजन और कार्यकर्ताओं के साथ लम्बी चर्चा करते हैं। उनके आंकड़ों के अनुसार जो भी तथ्य सामने आते हैं, उनके आधार पर वह अपना-अपना शोध कार्य पूरा करते हैं। संस्था के कार्यकर्ता केवल उनको हर संभव सहयोग करते हैं। उनकी हर समस्या को अपनी मानकर उनके प्रशिक्षण के लिए सुगमता का अहसास कराते हैं जिससे शोधकर्ता छात्र अपना प्रशिक्षण कार्य अच्छी प्रकार से करें । इस प्रकार देश-दुनिया के विभिन्न भागों से प्रति वर्ष अपने-अपने विषयों को चुनकर शोध कार्य में अध्ययन करते हैं, जो भविष्य के लिए अच्छा है।

3. जल संरक्षण के लिए सहयोग

तरुण भारत संघ ने समाज के विकास के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के कार्य किए, लेकिन जल संरक्षण का कार्य हर परिस्थिति में जारी रखा। तरुण भारत संघ को जोहड़, तालाब बनाने वाली संस्था के रूप में पहचाना जाने लगा। परिस्थितिवश जिस क्षेत्र में कदम रखा, उसकी पहचान उसी क्षेत्र में हुई। तभासं ने जब पानी का काम शुरू किया था, तब पानी के संकट से समाज त्रस्त था। पानी का मूल्य क्या होता है ? उस समय के पीड़ित समाज के चेहरों को पढ़कर सहज भाव से आकलन किया जा सकता है।

तभासं ने क्षेत्रीय परिस्थितियों व जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसी के अनुरूप कार्य प्रारंभ किया जिससे समाज में पानी का संकट दूर हो सके। इस कार्य को बढ़ाने के लिए तरुण भारत संघ ने अच्छे सहयोगी की भूमिका निभाई। समाज के हर वर्ग के साथ जल संरक्षण कार्य में अपनी क्षमताओं के अनुरूप सहयोग किया जो निम्नवत् है।

जल संरक्षण में समाज के साथ सहयोग

तभासं द्वारा समाज के साथ किये गये जल संरक्षण के कार्य सर्वविदित हैं। वर्ष 1986 से 2007 तक के समय अन्तराल में चार हजार संरचनाओं का निर्माण किया जिसमें जोहड़, एनीकट, मेड़बन्दी, खेत तलाई, पानी के टांके, जल कुई आदि हैं। इनके निर्माण में समाज की अहम् भूमिका रही, जिसके अनुसार कार्य किये। इनके निर्माण में समाज स्वयं मालिक और संस्था सहयोगी रही। समाज बनाने और बनवाने वाला स्वयं था। जल संरक्षण के लिए सार्वजनिक व व्यक्तिगत दोनों प्रकार की संरचनाओं का निर्माण हुआ जो हर प्रकार से समाज के हित में रहा है। आज समाज द्वारा किये गये छोटे-छोटे कार्य ग्रामीण विकास के लिए अति आवश्यक बनते जा रहे हैं।

जल संरक्षण के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग

तरुण भारत संघ जैसी छोटी संस्था है इसका दृष्टिकोण उतना ही व्यापक और व्यावहारिक रहा है। इसने अपने कार्यक्षेत्र को सीमित और संकुचित दायरे में नहीं रखा। तभासं का कार्यक्षेत्र थानागाजी, राजगढ़, अलवर न होकर पूरा देश बना। राजस्थान और देश की स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ राज्य और देश के भिन्न-भिन्न भागों में जल संरक्षण के कार्य किए। स्वैच्छिक संस्थाओं की सोच में जल संरक्षण के कार्य की अहम् भूमिका को समझाने का प्रयास किया। जल संरक्षण कार्य में नई संस्थाओं को आगे लाने के लिए आर्थिक, वैचारिक सहयोग दिया। आज जल संरक्षण के कार्य में राज्य और देश के स्तर पर उन संस्थाओं को पहचाना जाता हैजो समाज और सरकार के साथ मिलकर जल संरक्षण का अच्छा कार्य कर रही हैं।

जल संरक्षण के लिए सरकार के साथ सहयोग

तभासं ने सरकार के साथ मिलकर जल संरक्षण के कार्यों को बढ़ाने का प्रयास किया है। संस्था ने कपार्ट, नई दिल्ली और ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के आर्थिक सहयोग से जल संरक्षण के कार्य किये जिन्हें संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों द्वारा सराहा गया।

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, कपार्ट, केन्द्रीय योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, नदी जोड़ योजना, केन्द्रीय भूजल बोर्ड तथा केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय में अपने विचारों और सुझावों से सरकारों को अवगत कराया है। तरुण भारत संघ द्वारा किए गए जल संरक्षण के कार्यों को दिखाया, समझाया और सतत संवाद बनाये रखा। आज केन्द्रीय और राज्य सरकारों के एजेण्डों में जल को प्राथमिक कार्य के रूप में लिया गया है।

जल संरक्षण कार्य में नई स्वयंसेवी संस्थाओं का गठन कराना एवं सहयोग करना

तभासं के पदाधिकारियों ने समान विचार वाले व्यक्तियों द्वारा नई संस्थाओं का गठन कराया। नई संस्थाओं के कार्यक्षेत्र में जाकर तभासं के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कार्य प्रारंभ कराए। क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं से भी अवगत कराया जिससे जल संरक्षण के कार्य में संस्था और कार्यकर्ता निराशा व अकेलापन ना समझें। तभासं ने अपना ही कार्य मानकर नई संस्थाओं को जल संरक्षण कार्य में प्रोत्साहित करना और कार्य को गति देना समाज हित में अपना कर्तव्य माना है। जिससे राज्य व देश में जल संरक्षण में लगी ऐसी संस्थाओं के द्वारा नई सोच के साथ किए जा रहे कार्य समाज उपयोगी सिद्ध हुए हैं। तभासं को उक्त प्रयासों में सफलता मिली है और सतत कार्यरत् है।

जल संरक्षण में उद्योगपतियों को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन

तभासं के पदाधिकारियों ने क्षेत्रीय स्तर पर देश के औद्योगिक घरानों के साथ व उनके आमंत्रणों को स्वीकार कर अपने उद्‌बोधन में उद्योगपतियों व आयोजकों को जल संरक्षण के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। जिसके परिणाम राजस्थान के शेखावाटी, गुजरात के सूरत जिले व झारखण्ड के जमशेदपुर नगर, दिल्ली में पी.एच.डी.आर.डी.एफ., जे.के. सीमेंट, अम्बुजा सीमेंट, एशियन पेंट, कृभको फर्टिलाइजर, बिरला ग्रुप, छोटे उद्योगों आदि के प्रबन्धकगण देश के विभिन्न भागों

से तभासं के जल संरक्षण कार्यों को देखने-समझने के लिए आये, कार्यों को देखा। ग्रामवासियों और कार्यकर्ताओं के साथ विस्तार से बातचीत की और जल संरक्षण से संबंधित तभासं का साहित्य लिया। अपने-अपने क्षेत्रों में समाज हित में जल सरंक्षण कार्य करने की अपनी मंशा जाहिर की। राजस्थान, गुजरात में अच्छा कार्य हुआ। औद्योगिक घरानों ने अपनी पूंजी से जल संरक्षण के कार्य शुरू किए हैं जो सामाजिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है जिससे अन्य उद्योगपति भी प्रेरित हो आगे आयेंगे, ऐसी तभासं आशा करता है।

जल संरक्षण कार्यों में बैंकों की भूमिका

आज 'जल' एक उद्योग के रूप में उभरा है। भारतीय सभ्यता में यह पुण्य का कार्य माना जाता रहा है। एक तरफ जल संकट है तो दूसरी ओर जल का उद्योग। इस विकट स्थिति में अपने-अपने हित साधते हुए, उद्योग जगत् जननी कहें या रीढ़, 'बैंक' भी अपने नजरिए से 'जल संरक्षण' में भविष्य देख रहे हैं। आज सरकारें कृषि को नीतिगत उद्योग का दर्जा देना चाहती हैं। पानी के बिना कृषि हो नहीं सकती, पानी तो हर हालत में चाहिए। उद्योग का नाम आते ही बैंकों की सोच और नीति में जल समाहित हो गया है।

आज बैंकों ने सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर पर जल संरक्षण के कार्यों को कृषि उद्योग के रूप में आवश्यक मान अपना पैसा, समाज से आसान किस्तों में वसूल करना अपना लक्ष्य बनाया है। इस संबंध में मध्यप्रदेश व राजस्थान के कई बैंक आगे आये हैं। जयपुर, अलवर, सवाईमाधोपुर बैंकों के अधिकारियों ने तभासं के जल संरक्षण के कार्यों को देखा। किसानों और कार्यकर्ताओं से जानकारी व सहयोग मांगा। तभासं ने अपने स्तर की जानकारी दी। सवाई माधोपुर में खेत तलाई के लिए आज पंजाब नेशनल बैंक और भूमि विकास बैंक इस कार्य में आगे आये हैं। राज्य सरकार भी 50 प्रतिशत छूट पर **जल संरक्षण** के लिए बैंकों के द्वारा किसानों को धन उपलब्ध करा रही है। तभासं की पहल पर आज व्यक्तिगत स्तर से सैकड़ों की तादाद में प्रति वर्ष खेत तलाई बन रही हैं। समाज के लिए अच्छा है।

4. जल संरक्षण के लिए संघर्ष

जल जीवन के लिए जरूरी है, यह सर्वविदित सत्य है। जैसा उसका शीतल स्वभाव है। इसका संरक्षण उतना ही संघर्षरत है। आज की वर्तमान परिस्थितयों में भविष्य देश-दुनिया में भयानक दिखाई दे रहा है। यह अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसका उदाहरण राजस्थान से अधिक किसे मालूम है। यहां पानी के लिए ग्यारह लोगों को अपनी कुर्बानी देनी पड़ी जिसमें एक महिला और गर्भस्थ शिशु भी शामिल था। राजस्थान का इतिहास शहीदों व वीर-वीरांगनाओं के जौहर और बलिदानों से भरा पड़ा है। हम इतिहास के जिस पृष्ठ को भी खोलकर देखें, उसमें वीरांगनाओं की गाथा लिखी हुई मिलेगी। वहीं दूसरी ओर प्रकृति की रक्षा का भी यहां के इतिहास में अपना महत्व है।

देश के अन्य भागों में देखने-सुनने में नहीं आता। जहां सर्वहिताय बलिदान दिए हों। वृक्षों के प्रेम के खातिर आज से 150 वर्ष पूर्व राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र में 360 महिलाओं व पुरुषों ने अपने प्राण दिए हैं। यहां का विश्नोई समाज जीव रक्षा के लिए अपने सीने पर हंसते-हंसते गोली झेलता है। यहां का समाज राजस्थान की धरती पर बरसने वाले पानी को बहुमूल्य मानकर ताले में रखता है और उसकी रक्षा जीवन की रक्षा के लिए करता है। जीवन पेड़-पौधे, पशु-पक्षी व मनुष्य रूप में है। उसकी रक्षा हर संभव करता आया है, तभी यहां के **जल दर्शन** दुनिया की सभ्यताओं में महत्व रखते हैं। पानी के लिए झगड़े हुए, मृत्यु हुई, लेकिन आज की आधुनिक विकास की धारा के चलते वर्ष 2004-05 में राजस्थान पुलिस की गोलियों से ग्यारह जानें गईं, जो राजस्थान के इतिहास में पहली घटना सिद्ध हुईं।

आज **जल** समाज और सरकारी स्तर पर बड़ी चतुराई से उद्योग का दर्जा पा चुका है। आज सबसे अधिक पानी के विभिन्न उत्पाद भिन्न-भिन्न नामों से बाजार में उपलब्ध हैं, उन्हें समाज नई वस्तु व शान-शौकत की वस्तु मानकर उपयोग करता है। सरकार के लिए राजस्व की वृद्धि और उद्योगपतियों को कम लागत में अधिक से अधिक लाभकारी उद्योग साबित हो रहे हैं। दूसरी तरफ बढ़ते जल संकट से उजड़े गांव, बेघर समाज और बूंद-बूंद को तरसता जन-जीवन।

इस कशमकश के बीच जल संरक्षण के कार्य व उनकी उपयोगिता आज आधुनिक विकास के लिए एक चुनौती बन गई है। आज पानी की समस्या और आवश्यकता के लिए हुए अपने चतुर्थ रूप में मुखर है।

(क) जल संरक्षण के लिए सामाजिक स्तर पर संघर्ष

जल संरक्षण किसी व्यक्ति विशेष का कार्य नहीं है और न ही किसी विशेष वर्ग व समुदाय का। जल संरक्षण समाज के हर सदस्य, वर्ग व समुदाय का कार्य है। उसका उपयोग भी नियमबद्ध होना चाहिए। यह भी समाज अपने लिए नियम निर्धारित करे, जब जाकर जल संरक्षण का कार्य आगे बढ़ता है। समस्या बढ़ती जाती है। सबकी नजर में बढ़ती समस्या के कारण होते हैं, परन्तु समाज की मौन प्रवृत्ति और निष्क्रिय स्वभाव में पहल का अभाव होता है, पहले आगे कौन आए? जल सबकी समस्या है तो **मैं** अहम भाव सार्वजनिक कार्यों में आड़े आता है। पानी की समस्या अपना विराट रूप धारण करती जाती है। उसे क्या जरूरत है कि वह समाज का उपचार करे, उसे तो दोनों परिस्थिति में स्वस्थ रहना है। समाज सक्रिय हो तो समस्या का निदान समय-समय पर होता रहेगा और समाज निष्क्रिय है तो उसका रूप विकराल होने में कुछ ही समय लगता है जिस पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है। समाज को सचेत होकर जल संरक्षण कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर होना पड़ेगा। समाज सामाजिक कार्यकर्ता को अपने चश्मे से देखता है और उसका आकलन भी उसी तरह करता है। चाहे वह कार्यकर्ता अपने बीच से निकला हो या अन्य जगह से आकर कुछ समाज हित

के कार्य करता हो। समाज के मन में संकोच, भय, डर, द्वेष भाव, ईर्ष्या, असहयोग की भावना, परिणाम के प्रति भय का स्वभाव हमेशा बना रहता है जिसके परिणामस्वरूप समाज को सदैव निष्क्रिय बनना ही होता है। समाज में सक्रियता के लिए त्याग भाव, सफल प्रयोग और प्रयोगों के आधार पर लाभान्वित होते लोगों के लिए उदाहरण समाज अपनी नजर से देखना-समझना चाहता है। तब विश्वास होने पर वह स्वयं आगे आता है और जिस कार्य से उसे तात्कालिक प्रत्यक्ष लाभ दिखता है, वह करता है। उसके लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता या संस्था को स्वयं से समाज के साथ समाज हित में कार्य करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।

तरुण भारत संघ का **जल संरक्षण** कार्य भी ऐसा ही है। यह कितना ही परोपकारी पुण्य का कार्य हो, लेकिन उसकी राहें उतनी ही जटिल हैं। पर तरुण भारत संघ का अनुभव है, जल संरक्षण का कार्य स्वयं अपने आप व कहने मात्र से नहीं होता, उसके लिए कुछ न कुछ करना अवश्य पड़ता है। तरुण भारत संघ को वर्ष 1986-87 के अकाल के दौरान जल संरक्षण कार्य करने की आवश्यकता महसूस हुई। पहले कार्य को करने की शुरुआत कहां, क्यों, कैसे की जाये, इसके लिए भीकमपुरा गांव के पास गोपालपुरा-गोविन्दपुरा को चुना, इन दोनों ही गांवों में मीणा, बलाई जाति के लोग रहते हैं। तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को जल संरक्षण का पहला कार्य करने के लिए उक्त वर्णित समाज की मानसिकता के द्वन्द्वों का सामना करना पड़ा। समाज को शंका समाधान के लिए जल संरक्षण का कार्य गोपालपुरा के मेवालों के बांध के निर्माण से हुआ। उसके निर्माण के दौरान भी तरह-तरह की शंकाएं की जाती रहीं। बीच-बीच में कार्य रोकना पड़ा, परन्तु निराश मन में विश्वास भाव को जगाया जिसके परिणामस्वरूप गोपालपुरा में मीणा व बलाई जातियों के जल संरक्षण कार्य किये गए जो उस क्षेत्र के प्रेरणा स्रोत बने। इसी गांव से जल संरक्षण का सिंहनाद हुआ और 22 वर्षों के दौरान वैसी सामाजिक स्तर पर संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं हुई, जैसा गोपालपुरा में प्रारंभ में सहना और करना पड़ा। **जल संरक्षण** का कार्य समाज की आवश्यकता बना, समाज आगे आया

और इस कार्य में आने वाली बाधाओं को वह स्वयं हल करने लगा। उसमें कहीं-कहीं संस्था के कार्यकर्ताओं का वैचारिक सहयोग रहा जिससे सामाजिक कार्य को गति मिली।

जल संरक्षण कार्य में बीच-बीच में कुछ स्वार्थी, शरारती लोगों ने अड़चन पहुंचाई, लेकिन समाज ने अपने स्तर से उसे हल किया और करता रहा है, करता रहेगा। ऐसी आशा है। तिजारा में संस्था द्वारा किये जा रहे जल संरक्षण के कार्य करने पर संस्था से अधिक भुगतान करने के लिए नाजायज तरीके से कुछ लोगों ने दबाव डाला। कार्यकर्ताओं को एक प्रकार से नजरबंद किया। रात-दिन पहरा लगा, जिससे अधिक भुगतान मिले। संस्था के कार्यकर्ताओं ने बड़े धैर्य से देखा-समझा और उन लोगों को भी समझाया। पुन: जल संरक्षण के कार्यों में लगाया। ये सब सामाजिक स्तर के व्यवधान हैं जो आते रहते हैं।

(ख) जल संरक्षण के लिए प्रशासनिक स्तर पर संघर्ष

जल संरक्षण कार्य ऐसा कार्य है कि उसकी पैनी धार किसी का चैन छीन लेती है तो किसी को बेचैन कर देती है। ऐसा ही गोपालपुरा के मेवालों का बांध निर्माण में हुआ। तरुण भारत संघ ने इस बांध का निर्माण कार्य आरंभ करने से पहले वैधानिक रूप से विकास अधिकारी थानागाजी से अनुमति प्राप्त की, गोपालपुरा वासियों का सहयोग के लिए प्रार्थना पत्र और पंचायत से अनापत्ति पत्र मिलने के बाद **जल संरक्षण** कार्य शुरू हुआ। फिर भी पानी की धार ने सिंचाई विभाग, अलवर की नींद उड़ाई।

तरुण भारत संघ को गोपालपुरा में जल संरक्षण कार्य न करने के लिए पहला नोटिस जनवरी, 1987 में मिला जिसमें बांध निर्माण कार्य तुरन्त बंद करने के लिए आदेश था। आदेश में था कि यह बांध अजबगढ़ बांध कैचमेंट एरिया में है। इसलिए वैधानिक नहीं है। उसे तुरन्त प्रभाव से हटा दिया जाये, अन्यथा सिंचाई विभाग हस्तक्षेप करेगा तो जो भी खर्चा होगा, वह **तरुण भारत संघ** को वहन करना होगा। जब सरकारी नोटिस का संदेश ग्रामवासियों को सुनाया

गया, तो सभी ने एक आवाज में कहा कि बांध हमारा है। गांव हमारे हैं। पानी हमारा है। हम अपने पानी को रोक रहे हैं। जब हमारे गांव में पानी नहीं था तब सरकार का प्रशासन कहां था? यह भाव जब समाज के मन में आया तो संस्था के कार्यकर्ताओं को खुशी हुई। तरुण भारत संघ ने नोटिस के खिलाफ आवाज उठाई। समाचार पत्रों के माध्यम से जन चेतना व सरकार के विभाग को पत्र व्यवहारों से सूचित किया कि **जल संरक्षण** लोक अभिक्रम का एक प्रयास है। उसे तोड़ने के बजाय सरकार को प्रोत्साहन करने की जरूरत है। जयपुर से सिंचाई विभाग के तात्कालिक उच्च अधिकारियों का निर्णय पत्र तरुण भारत संघ के नाम मिला। जिसमें तरुण भारत संघ के प्रयास को सराहा और आशा व्यक्त की कि ऐसे छोटे-छोटे कार्य समाज की जरूरत हैं। समाज को करने चाहिए। 1986 के बाद तरुण भारत संघ ने कभी भी जल संरक्षण के कार्यों के लिए प्रशासनिक स्तर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की जरूरत महसूस नहीं की। 4000 से अधिक जल संरक्षण संरचनाओं का समाज की सहभागिता से निर्माण किया। उसके बाद वर्ष 1996 में मत्स्य विभाग के साथ भी **जल संरक्षण** के मुद्दों को लेकर वैचारिक संघर्ष हुआ तो अप्रेल 2001 में दूसरी बार ग्राम लाहा का वास में सामाजिक सहभागिता से जल संरक्षण के कार्य में सिंचाई विभाग ने रूपारेल नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में बनने वाले बांध को अवैध बताया। बांध को तोड़ने के भरसक प्रयास किये गए। थानागाजी, अलवर, जयपुर का प्रशासनिक तंत्र पूरा लामबद्ध दिखा। बांध निर्माण, वैध-अवैध के बीच जिला प्रशासन के साथ तीन माह तक लंबा संघर्ष चला जिसमें देश के बुद्धिजीवियों को अपने-अपने दृष्टिकोण से प्रशासन व सरकारी तंत्र को अवगत कराना पड़ा। सरकारी स्तर पर भी विभिन्न प्रकार की स्टेरिंग कमैटी बनी। बांध तोड़ने के लिए सरकारी तंत्र दल-बल के साथ मौजूद था। जन सहभागिता और लोक अभिक्रम के द्वारा निर्मित बांध कार्य पूरा हुआ।

वर्ष 2003 में जब ग्रामवासियों ने पुनः बांध की मरम्मत कार्य करना आरंभ किया तो वह बंद करा दिया। प्रशासनिक तौर पर बांध पर रात-दिन का निगरानी दस्ता बैठाया गया। ग्रामवासियों को पाबंद किया और ग्रामवासियों के साधनों

को जब्त किया। ग्रामवासियों ने **जल संरक्षण** के हर संभव प्रयास किए, लेकिन सरकारी तंत्र के अड़ियलपन से लाहा का वास बांध ने दम तोड़ा, तब जाकर सरकारी तंत्र की जान में जान आई और उसका भार तरुण भारत संघ पर डाला जिसे समाज ने नकार दिया था।

(ग) जल संरक्षण के लिए राजनैतिक स्तर पर संघर्ष

जब लोक हित के कार्यों को सरकारी तंत्र या राजनैतिक अपने अधिकार क्षेत्र के कार्य मानकर समाज की कार्य क्षमता को निरस्त कर अपना प्रभुत्व व अपना अधिकार क्षेत्र मान बैठते हैं तो समस्या विकट हो जाती है। उसके सभी कारणों को पहचानना मुश्किल होता है। एक कार्य के तीन मालिक, वो भी अलग-अलग क्षेत्र के, अपनी-अपनी विचारधारा से अपना स्वामित्व दर्शाते हैं तो उस जगह निर्णय लेना बड़ा कठिन ही लगता है कि उसका स्वामी कौन और कैसे है? लाहा का वास गांव में ऐसा ही हुआ। लाहा का वास बांध निर्माण में क्षेत्रीय ग्रामीण जनता ने सहभागिता के द्वारा जल संरक्षण का कार्य शुरू किया। प्रशासन ने उसे अवैधानिक माना और कार्य बंद कराने व तोड़ने के लिए पूरा जोर लगाया। स्थिति बेकाबू होने पर राजनैतिक लोगों को साथ लिया।

लाहा का वास बांध थानागाजी व अलवर के इतिहास में एक ऐसा कार्य रहा, जिसमें सत्ता पक्ष-विपक्ष और प्रशासन तंत्र एक तरफ था तो दूसरी तरफ **जल संरक्षण** कार्य करने वाले ग्रामीण लोग व तरुण भारत संघ के कार्यकर्ता।

तत्कालीन कांग्रेस सरकार के सिंचाई मंत्री ने वर्षा की एक-एक बूंद पर अपना अधिकार जताते हुए सार्वजनिक बयान दिया कि **''वर्षा की हर बूंद पर सरकार का अधिकार है।''** उधर विपक्ष के नेताओं ने अलवर-भरतपुर जिलों के जल बंटवारे को लेकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया, तो छुटभय्ये नेताओं में सुरसुराहट शुरू हुई।

उन्होंने अपने क्षेत्र में लाहा का वास बांध को तोड़ने के लिए एक संघर्ष समिति बनाई और दुष्प्रचार करना प्रारंभ किया। थानागाजी की राजनीति उस संबंध में मौन रही।

ग्रामीणों ने जल संरक्षण के लिए निर्मित बांध को बचाने के लिए सभी भेदभाव से ऊपर उठ कर **बांध बचाओ समिति** बनाई। लाहा का वास बांध निर्माण विवाद इतना बढ़ा कि विपक्ष के वरिष्ठ नेता, तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह शेखावत को भी बांध देखने जाना पड़ा।

लाहा का वास बांध निर्माण अपने में एक ऐसी घटना बना जो **जल संरक्षण** के कार्य करने का तो जल प्रेमियों का मार्गदर्शन करेगा। **जल संरक्षण** कार्य समाज हित में है यह सब जानते हैं, लेकिन उसको करवाने का दायित्व केवल जनता को छोड़ सरकारी तंत्र, सत्ता पक्ष व विपक्ष के कारिन्दों का ही है, क्योंकि उन तीनों के ऊपर निर्भर रहने से परावलम्बी विचारधारा बढ़ती है, जिसमें लाभ उन तीनों पक्षों को जाता है। जब समाज स्वावलम्बी विचारधारा से सहभागितापूर्ण अपना कार्य करता है, तो उन तीनों के पेट में बेहद दर्द होता है और बौखलाहट में नैतिक, अनैतिक कार्यों की पहचान भी उन्हें नहीं होती। लाहा का वास बांध निर्माण एक ऐसा कार्य रहा जहां समाज की सहभागिता लोकहित के लिए स्वावलम्बी व्यवस्था का प्रतीक था। तभी उस कार्य को लेकर प्रशासन राजनैतिक, सत्ता पक्ष-विपक्ष की तिकड़ी बन्द हो गई। जबकि जल संरक्षण का कार्य तिकड़ी की सहभागिता से होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ।

समाज की पुकार और पीड़ा में **जल संरक्षण** कार्य साफ दिखाई व सुनाई दे रहा है। लेकिन सब अंधे और बहरे होकर अपनी धुन में मस्त रहते हैं। जहां समाज स्वयं खड़ा होता है तो सब चिल्लाते हैं। यह कैसी सोच है ? समझ से परे है। फिर भी लाहा का वास बांध निर्माण के सभी तरह के व्यवधानों के फलस्वरूप कार्य हुआ, जल संरक्षण कार्य करने में तो समाज की जीत हुई। राजनीतिक

पक्ष-विपक्ष व प्रशासन तंत्र को निराशा ही हाथ लगी। ये सब समाज को पराधीन और पंगु बनाये रखने का एक षड्यंत्र ही दिखता है।

(घ) जल संरक्षण के लिए न्यायालय स्तर पर संघर्ष

लाहा का वास ग्रामवासियों के जल संरक्षण कार्य प्रशासन-राजनैतिक पक्ष-विपक्ष तक ही नहीं रहा। जल संरक्षण कार्य ने समाज के तत्वों को ऐसा बेचैन कर दिया कि उनकी नींद ही उड़ा दी। जबकि बांध का कार्य 2001 जुलाई में हो गया। अप्रैल 2003 में ग्रामवासी मिलकर बांध की पुनः मरम्मत करने का कार्य करने लगे तो प्रशासन ने मरम्मत कार्य बंद करा दिया। मरम्मत कार्यों से बेचैन उमरैण की तुच्छ राजनीति की सीमा का बांध टूटा और उच्च न्यायालय जयपुर में गांव की सहभागिता से बनाए जल संरक्षण के लिए लाहा का वास बांध को तुड़वाने के लिए याचिका दायर की, जैसे ही ग्रामवासियों व संस्था के कार्यकर्ताओं को मालूम हुआ तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए बांध बचाने के लिए याचिका दायर की। बहुत से कानूनविदों और विशेषज्ञों से सलाह ली।

जल संरक्षण कार्य में तभासं के कार्यकर्ताओं का अपहरण

तभासं ने अलवर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर के अलावा राज्य के अन्य भागों में भी विविध प्रकार के कार्य किए। वर्ष 2001 माह जून में दौसा जिले की महुआ तहसील के ग्राम कोंडला के प्रार्थना पर कार्य किया। कार्य निर्माण करने वाले भी उसी गांव के लोग थे। उन्होंने संस्था को अपने गांव में जल संरक्षण के कार्य में सहयोग देने के लिए आग्रह किया। संस्था के कार्यकर्ताओं ने नये क्षेत्र में कार्य करने का मन बनाकर सहयोग देने का आश्वासन दिया। संस्था ने 3 अक्टूबर, 2001 को अपने हिस्से के कार्य पैमाइश के अनुसार भुगतान कर दिया। परन्तु लोभ-लालच बहुत बुरा होता है। जोहड़ निर्माणकर्ताओं ने संस्था से सभी भुगतान लेकर और अधिक भुगतान लेने के लालच से एक झूठा केस तभासं के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों पर बनाकर महुवा मजिस्ट्रेट के यहां याचिका दायर कर दी। केस की तहकीकात का कार्य सलेमपुर थाना प्रभारी पूरनमल यादव को सौंपा।

25 दिसम्बर, 2001 को पूरनमल यादव दलबल के साथ 9 लोगों को लिए जिनमें तीन व्यक्ति वही थे, जिन्होंने कार्य किया था, दो प्राइवेट वाहन महिन्द्रा, अरमाड़ा कार लेकर तरुण आश्रम भीकमपुरा पहुंचा। संस्था कार्यकर्ता सतेन्द्रसिंह को झूठा गिरफ्तारी वारंट दिखाया। बातचीत की, कहा कि राजेन्द्र सिंह से और जानकारी करने के बहाने से सतेन्द्रसिंह को अपने साथ लिया और गुढ़ा, आगर, प्रतापगढ़, आंधी, दौसा होते हुए रात्रि 9 बजे सलेमपुर थाना पहुंचे। सुबह होते ही कोर्ट में पेश कर चालान करने की पूरी तैयार थी। ऐसा उनकी बातों से लग रहा था। वहां उन्होंने बदसलूकी तो नहीं की, परन्तु एक प्रकार से सामाजिक कार्यकर्ता का सामाजिक हस्र तो था ही। किसी कारणवश सतेन्द्रसिंह को रात्रि में ही छोड़ना पड़ा उनकी मजबूरी बनी। दूसरे दिन सतेन्द्रसिंह ने जयपुर में पुलिस अधीक्षक के यहां याचिका दायर की। जांच हुई। तभासं के कार्यकर्ताओं को डी.एस.पी. महुवा के यहां बयान देने जाना पड़ा। एस.पी. दौसा के यहां भी बयान दिए, अन्त में पूरनमल यादव को लाइन हाजिर किया। एक वर्ष तक उसे वर्दी और थाना भी नहीं मिला ।

सतेन्द्र सिंह का बयान लेने के लिए उसने अपना स्वतंत्र पैरोकार किया। तरुण भारत संघ में कई चक्कर लगाने पड़े। फरवरी, 2003 में सतेन्द्रसिंह के बयान होने के बाद ही वह बहाल हुआ। ये सब संघर्ष जल संरक्षण कार्य में पूर्व नियोजित नहीं थे और न ही इनका संस्था के किसी कार्यकर्ता या पदाधिकारियों को पूर्व आभास था। इस प्रकार की बाधाएं भी सामने आती हैं। यह सब अनायास ही हुआ और इनके प्रभाव-दुष्प्रभावों को संस्था के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों ने झेला और हर स्तर पर अपना पक्ष मजबूती के साथ रखा। उक्त सभी संघर्षों में **जल संरक्षण** कार्य लगातार बिना किसी रुकावट के आज भी चालू है।

5. जल संरक्षण के लिए संगठन

(1. ग्राम सभा, 2. अरवरी संसद, 3. जल बिरादरी।)

तरुण भारत संघ ने जल संरक्षण के लिए गांव से लेकर देशव्यापी संगठन बनाने का प्रयास किया, जो अपने-अपने क्षेत्र सीमा में रहकर जल संरक्षण के लिए व्यापक पैमाने पर कार्य करें और वैचारिक रूप से संगठित मुहिम में एकमत होकर जल संरक्षण के व्यवधानों का मुकाबला करें। जल संरक्षण के लिए संगठन निम्न स्तर से चलाये गये हैं।

ग्रामसभा

तरुण भारत संघ का सर्वप्रथम कार्य गांव की सर्वसम्मति से अपनी ग्रामसभा बनवाना रहा है। जिसमें ग्रामसभा अपने गांव के सर्वांगीण विकास का निर्णय ले सके। अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने का दायित्व निभाए। यह ग्रामसभा की जिम्मेदारी है। वह अपने प्राकृतिक संसाधनों (जल, जंगल व जमीन) के संरक्षण के लिए ग्रामवासियों की पहल करे। तरुण भारत संघ ग्रामसभा के पदाधिकारियों को समय-समय पर शिक्षण-प्रशिक्षण देता है जिसमें ग्राम विकास के अध्ययनों पर संगठनात्मक वैचारिक स्पष्टता से सरकारी, गैर-सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। अपना अच्छा-भला-बुरा समझने की दूर-दृष्टि समाज में विकसित हो। हर आदमी गांव के विकास में अपने को महत्वपूर्ण माने। सभी के सहयोग से गांव का विकास हो। उसी कल्पना से तरुण भारत संघ ने अपने कार्यक्षेत्र में कार्य किये जो आज उदाहरण बने हैं। आज ग्रामसभाएं सरकारी योजनाओं का लाभ लेने व तरुण भारत संघ के मार्गदर्शन में देश के सामने अच्छे उदाहरण के रूप

में प्रस्तुत हुए हैं। देश का शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा, जो इन ग्रामसभाओं को देखने-समझने न आया हो ?

अरवरी संसद

अरवरी संसद एक ऐसा संगठन है जो अरवरी नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में आने वाले 70 गांव अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा-सुरक्षा मिलजुल कर करते हैं। गांव के प्रतिनिधियों ने मिलकर प्राकृतिक संसाधनों के संर्वधन, सुरक्षा व उनके उपयोग के नियम बनाये व उन पर कायम भी रहे। बाहर के लोगों से इन्हें बचा कर भी रखा। जहां आज एक परिवार के सदस्य किसी भी कार्य पर एकमत नहीं हो पाते, वहीं 70 गांव अरवरी के संरक्षण-संवर्द्धन के लिए हर संभव प्रयासरत रहते हैं। तभी तो इस संसद को देखने के लिए हमारे देश के प्रथम नागरिक तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर.नारायण स्वयं दल-बल के साथ आये। अरवरी संसद को सम्मानित किया। केबिनेट स्तर के केन्द्रीय मंत्रीगण, अन्य अधिकारी भी, महामहिम राज्यपाल राजस्थान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आदि आये। देशी-विदेशी संस्थाओं के प्रतिनिधि अरवरी संसद को देखने-समझने के लिये आते रहे हैं। अरवरी संसद अपनी तरह का एक नदी जल ग्रहण क्षेत्र का संगठन देश-दुनिया में उदाहरण बना हुआ है।

सरकारी, गैर-सरकारी संस्थाओं के अध्ययन के विषय में भी काफी कुछ लिखा जा चुका है। उत्तर प्रदेश की कक्षा सात की 'किरण भाषा' पुस्तक में 'एक संसद नदी की' नाम से छात्रों का अध्ययन पाठ बनाया है। ऐसे प्रयोग देश के अन्य भागों में भी किये जाने लगे हैं। ग्रामसभाओं के द्वारा किये गये कार्यों को देश-विदेश की सम्मानित संस्थाओं ने सराहा व सम्मानित किया है। अपने अध्ययन का विषय माना है। समाज के लिए अच्छा संदेश देती है।

जल बिरादरी

जल बिरादरी ऐसे व्यक्तियों का संगठन है, जो जल के विषय में किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हों और उनका दृष्टिकोण समाज के लिए समर्पित हो। जल बिरादरी गांव से राष्ट्रीय स्तर पर समान विचारधाराओं के व्यक्तियों का समूह है। यह संगठन तीन स्तरों पर काम करता है:

1. क्षेत्रीय स्तर पर जल बिरादरी
2. राज्य स्तर पर जल बिरादरी
3. राष्ट्रीय स्तर पर जल बिरादरी

तीनों स्तर की जल बिरादरी का लक्ष्य एक ही है कि समाज में जल संरक्षण के कार्य में सहभागिता का भाव आये, समाज अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा स्वयं करे। क्षेत्रीय आवश्यकता के अनुसार राज्य की जल नीति बने, जल का निजीकरण न हो, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथ में हमारा **जल** न चला जाये। राज्य व राष्ट्रीय जल नीति में समाज को पानी पर अधिकार मिले। जल नीति जनोन्मुखी सिद्धान्त पर आधारित हो जो देश में जीव-जगत् की प्यास बुझा सके।

राष्ट्रीय स्तर पर जल बिरादरी देश में गिरते भू-जल का स्तर, नदियों का निजीकरण व प्रदूषण, पारम्परिक जल स्रोतों का पुर्नरजीवन, जल का बाजारीकरण, आदि महत्वपूर्ण मुद्दों पर आन्दोलन, नीतिगत रपट आदि के माध्यम से कार्य कर रही है।

देशभर में जल बिरादरी तीनों स्तर पर व्यापक पैमाने में समाज के साथ जल संरक्षण व संवर्द्धन में लगी हुई है। उसके लिए सतत संवाद जारी है।

6. जल संरक्षण के लिए जल साक्षरता आन्दोलन

जल सम्मेलन

तरुण भारत संघ ने विभिन्न प्रकार के जल सम्मेलनों के आयोजनों द्वारा जल संरक्षण के लिए समाज के हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास किया है।

ग्राम सभा जल सम्मेलन

ग्राम सभा जल सम्मेलन ऐसे सम्मेलन हैं, देश, प्रदेश में ग्राम सभाओं के साथ जहां भी तरुण भारत संघ ने जल संरक्षण का कार्य किया, वर्ष में एक या दो बार सभी ग्राम सभाओं के साथ बैठक कर कार्य की समीक्षा और नये कार्यों की संभावनाओं पर विस्तार से एक-दूसरे के अनुभवों को सुनने-समझने का अवसर मिलता है। एक नई दिशा तय होती है। लोगों के दृष्टिकोण में क्या परिवर्तन हो रहा है, ये सब ग्राम सभा जल सम्मेलनों में आपसी विचार-विमर्श व खुले संवाद से सामने आता है और समाज की आवश्यकतानुसार नये जल संरक्षण के आयाम भी तलाशे जाते हैं।

तभासं ने गत 22 वर्षों में प्रति वर्ष 1 से 3 अक्टूबर तक तीन दिवसीय ग्राम सभा सम्मेलन आयोजित किये हैं। इन सम्मेलनों में तभासं कार्यक्षेत्र के ग्रामसभा सदस्यों को तभासं परिसर में आमन्त्रित कर जल संरक्षण व गांव के अन्य विकास कार्यों पर चर्चाएं की जाती रही हैं।

ग्राम सभा जल सम्मेलनों में देश-दुनिया में जल के प्रति बदलते नजरिये पर भी बातचीत होती रही है। सरकारी कार्य पद्धति, सोच और राजनीतिक दृष्टि पर भी खुली चर्चा के साथ-साथ भारत के ग्रामीण समाज के उत्थान के विषय में विस्तार से बताया जाता रहा है इससे नई सोच, नई ऊर्जा और कार्य करने की क्षमता बढ़ी व समाज का वैचारिक रचनात्मक सहयोग बढ़ा। यही सहयोग तभासं की आन्तरिक शक्ति का प्रतीक बना, साथ ही कार्यों की मजबूती का आधार भी। ग्राम सभा सम्मेलनों के मुख्य मार्गदर्शक गांधी विचारक स्वर्गीय सिद्धराज ढड्ढा रहे थे।

जल पंचायत सम्मेलन

तरुण भारत संघ ने **जल संरक्षण** के लिए राज्य स्तरीय व देश के अन्य भागों में जल पंचायतों का आयोजन किया है। जिसमें समाज के हर वर्ग किसान, मजदूर, जन प्रतिनिधि, बिल्डर्स, उद्योगपति, सरकारी अधिकारीगण, राजनेताओं को एक मंच पर जल समस्या-जल समाधान और जल संरक्षण के उपाय, उपभोग आदि के विषय में विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें क्षेत्रीय, प्रान्तीय, स्वैच्छिक संस्थाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग लिया गया।

जल पंचायतों में मुख्यत: भूजल दोहन, जल का निजीकरण, जल नीति के दुष्प्रभावों के विषय में जानकारी दी जाती रही है । देश और राज्यों की जल नीति समाज के अनुकूल बनवाने का प्रयास किया है। जल पंचायतों के माध्यम से समाज में जल संरक्षण का संदेश पहुंचाने का एक प्रयास किया गया जो सफल रहा। वर्ष 2005 में देशव्यापी कार्य किये गए। राजस्थान में हर भौगोलिक क्षेत्र में जल पंचायतों का आयोजन किया गया।

जल जन सुनवाई

हमीरपुर गांव में जल जन सुनवाई का आयोजन 19 दिसम्बर, 1998 को किया गया। पंच परमेश्वर की भूमिका हिमाचल प्रदेश के उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य

न्यायाधीश श्री गुलाब सी. गुप्ता, विश्व जल संसाधन आयोग के आयुक्त श्री अनिल अग्रवाल, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव मीठ्ठा लाल मेहता ने निभाई। पन्द्रह गांवों के करीबन साढ़े चार सौ लोगों की उपस्थिति रही। देश के जाने-माने बुद्धिजीवी, पत्रकार, जल विशेषज्ञ, सरकार के प्रतिनिधि जल पंचायत में उपस्थित रहे। जल पंचायत का उद्देश्य था- पानी किसका ? जो गांव जल का प्रबंधन स्वयं करता है, उस जल पर गांव का ही अधिकार होना चाहिए ना कि सरकार का।

अनिल अग्रवाल ने जोरदार शब्दों में कहा कानून ऐसा होना चाहिए जो व्यावहारिक हो। पानी की खास बात यह है कि ये बहता है, आपकी जमीन से ही बहता है। आपकी जिम्मेदारी है पानी रोकना। आपके पास पानी प्रबंधन का परम्परागत तरीका है। आपकी अरवरी नदी की एक सांसद होना चाहिए जो आपकी बात संसद तक पहुंचा सके। जब तक लोग अपनी ताकत का अहसास सरकार को नहीं कराते तब तक सरकार उनकी बात नहीं मानती।

ग्रामीण जनों ने जल जन सुनवाई में कहा कि जल का कार्य हमने किया है। सरकार का इसमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं है फिर भी नदी में आई मछलियों के मालिक सरकार और ठेकेदार बन गये। सरकार ने पंचायती राज का ढोल पीट रखा है। लेकिन पंचायत से पूछा तक नहीं। मछली मारने का ठेका दे दिया। यह कैसा पंचायती राज ? हम खुद मिलकर जल, जंगल तथा जल के जीवों की रक्षा कर रहे हैं तो सरकार क्यों समाप्त करना चाहती है?

जबकि हमने इनकी रक्षा में बाधा उत्पन्न करने वाले अपने रिश्तेदार और घरवालों पर भी दण्ड किया है, जल संरक्षण के कार्य में हमने अपनी जमीन दी है। तब हमारे गांव में पानी ठहरा है। हमने अपने जल को बचाने के लिए गांव का संगठन बनाकर अपने परिश्रम से तीन सौ से अधिक जोहड़-बांध बनाये हैं । हमारे कुओं में पानी देखने को नहीं था। आज पानी से

कुएं भरे हुए हैं। हमारा क्षेत्र अकाल में पानी का प्यासा और भूखा था। हमने मिलकर अपने पानी, अनाज, चारे का प्रबंधन किया है।

पूर्व जनसंपर्क निदेशक श्री राजेन्द्र शंकर भट्ट ने अपने भाषण में कहा कि भौगोलिक स्थिति को देखकर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन होना चाहिए। केन्द्रीय पर्यावरण विभाग के पूर्व संयुक्त सचिव श्री सईद रिजवी ने कहा कि आपने नदी को पुनर्जीवित किया है। आपने जो काम किया है। बहुत अच्छा काम है। आपको पूरे देश में इसे फैलाना होगा।

न्यायाधीश श्री गुलाब सी. गुप्ता ने सब लोगों की बात सुनकर अपना निर्णय सुनाया व कहा कि सरकार ने वर्ष 1997-98 में मछली का ठेका नहीं दिया। इस साल आपकी भावनाओं की कद्र की है। आपने पानी का प्रबंधन किया तो इसका समुचित उपयोग भी होना चाहिए। ग्रामवासी सरकार के मोहताज नहीं हैं पर वह कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि कानूनी हिसाब से यह मांग नाजायज है। कोई भी व्यक्ति या संस्था इस तरह से जमीन और पानी का संरक्षण करके हक मांग सकती है जिसे वर्तमान कानूनों के तहत नहीं दिया जा सकता। उन्होंने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि यदि इस संरक्षण से किसी का भी यदि कोई नुकसान नहीं हो तो किसानों को हक दिए जाने के लिए कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी को मिलकर प्रयास करने चाहिए।

विश्व जल संसाधन आयोग के आयुक्त पर्यावरणविद् डा. अनिल अग्रवाल ने कहा कि गांव वालों को कानून और सरकार को भूल जाना चाहिए। जो प्रबंध करेगा, पानी पर उसी का अधिकार होगा। ग्रामीण अपना काम करते रहे तो सरकार को अपना कानून बदलना ही पड़ेगा। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव मीठालाल मेहता ने कहा कि सरकार को छोड़कर चलने की जरूरत नहीं है क्योंकि केवल जल संरक्षण से ही जिन्दगी में काम नहीं चलता। दूसरे कामों में फिर हमें सरकार की तरफ झांकना पड़ता है।

समाज परिवर्तन समुदाय कर्नाटक से आये वाई.आर. हीरेमढ़ ने कहा कि इसके लिए देशभर के पत्रकार, बुद्धिजीवियों और स्वयंसेवी संगठनों के बीच बहस चलानी चाहिए और जो राय बने, उस पर काम करना चाहिए। कपार्ट के सलाहकार टी.एस. चौहान, मेवाड़ शुगर मिल के सुधीर गुप्ता और भूजल विभाग के जयपुर से आये अधिकारियों ने भी अपनी बात रखी। इस जल जन सुनवाई में पन्द्रह गांवों के लोग शामिल हुए।

जल साधना सम्मेलन

तभासं ने जल साधना सम्मेलन पंजाब से आये सरकारी अधिकारी, ग्रामीण जन और तभासं कार्यक्षेत्र के लोगों के साथ 23-30 मई, 2001 में किया था। जल का महत्व पंजाबी ग्रंथों और लोक में सर्वविदित है। गुरु गोविन्द सिंह और मुसलमान बादशाहों के बीच हुए युद्ध के दौरान एक सिख भिश्ती सैनिकों को बिना किसी भेदभाव के सिख और मुसलमानों के योद्धाओं को युद्धक्षेत्र में पानी पिलाता था। गुरु नानक जी के द्वारा प्यासे अतिथि को पानी पिलाने के प्रयास में शैतान द्वारा पत्थर गिराने पर गुरु नानकदेव जी द्वारा हाथ से पत्थर रोकना जैसी लोकोक्ति समाज में स्व-प्रचारित है । इन्हें किसी प्रकार से भुलाया नहीं जा सकता। पंजाब के अधिकारीगण, किसान, तभासं में आये। तीन दिवसीय जल साधना सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में जल क्या है ? कैसे बना ? इसके संरक्षण की क्यों आवश्यकता महसूस हो रही है ? सामाजिक रूप में देश-प्रदेश के विकास में इसका क्या महत्व है ? आदि विषयों पर विस्तार से चर्चाएं हुई।

सर्वधर्म सद्भावना जल सम्मेलन

तभासं ने यह सम्मेलन जोधपुर में माह दिसम्बर 2002 में किया था। इस सम्मेलन में देश के सभी धर्मों के विद्वान महापुरुष आए और अपने-अपने धर्मों में पानी के ऊपर जो दृष्टिकोण है, उनको एक मंच पर बिना किसी भेदभाव के खुले मन से प्रस्तुत किया। यह सम्मेलन अपने आप में एक अनूठा सम्मेलन था। देश में सद्भाव बनाये रखने, साम्प्रदायिता को रोकने के लिए समय-समय पर

सर्वधर्म सम्मेलन तो देश के किसी न किसी कोने में हमेशा चलते रहते हैं, लेकिन सृष्टि की पहली रचना जल को लेकर एक मंच से जल के महत्व, संरक्षण को लेकर देश में पहला सम्मेलन था। देश में तभासं के कार्यों से तथा राजेन्द्र सिंह से परिचित सर्वधर्मों के विद्वानों ने सम्मेलन की शोभा बढ़ाई, अपने व्याख्यानों से जल की महिमा व महत्व का वर्णन किया।

जल के संबंध में हमारे समाज में क्या-क्या दृष्टिकोण है ? और समाज एक ही जल को कैसे देखता है? यह सब अपने आप में भारतीय जल दर्शन का सुन्दर वैजयन्ती माला के समान मोहक और ऊर्जावान शक्ति की प्रेरणा देने वाला दृश्य था। यह सब तभासं के कार्यकर्ताओं के लिए तो उत्साहवर्द्धक रहा। जल संरक्षण कार्य को सभी धर्मों ने स्वीकार किया। वर्तमान भविष्य के लिए हर मानदण्डों में जल संरक्षण की आवश्यकता है और समाज की अहम भूमिका। जल संरक्षण कर हमारे नीति निर्धारक, विद्वानों का भी दायित्व है कि वे इसके लिए समाज को सचेत करें। इस सम्मेलन के एक साथ कई पहलू सामने आए। सभी धर्म गुरुओं द्वारा अपने-अपने अनुयायियों के द्वारा जल संरक्षण के लिए प्रचार करना और जल संरक्षण के कार्यों को बढ़ावा देना। जोधपुर के एक ही महन्तजी ने स्वयं अपने मठ से 600 जल संरक्षण के कार्य करने का संकल्प सर्वधर्म जल सम्मेलन में किया था। इसी प्रकार सभी ने अपने-अपने कार्यक्षेत्र में जल संरक्षण के कार्य कराने व बढ़ावा देने का संकल्प दोहराया।

अकाल मुक्ति साधु-संत जल सम्मेलन

19-21 फरवरी, 2001 में तरुण भारत संघ ने क्षेत्रीय साधु-सन्तों के सहयोग से जल सम्मेलन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य अकाल के समय में समाज द्वारा अपने जल के संसाधनों को अधिक से अधिक विकसित करने का आह्वान करना था। इसके लिए पूजनीय श्री दामोदर दास जी और श्री योगेश्वर नाथ जी के साथ विचार-विमर्श के बाद अकाल-मुक्ति सम्मेलन की उक्त तिथियां तय की गई। हमारे समाज की आस्था भी अकल्पनीय है। किसी से धन लेकर भी संतोष नहीं करता, तो दूसरी ओर अपना धन देकर ऊपर से सौ दण्डवत् करता

हुआ परम सुख आनन्द लेता है। यह एक अलग ही अदृश्य शक्ति के वशीभूत घटना घटती रहती है। आज भी हमारा समाज ऋषि-मुनियों और साधु-सन्तों के मार्गदर्शक वचनों की पालना करता है। यह सब तभासं और देश के अन्य भागों में अनुभव किया और सत्य भी है। इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति भी नहीं है। इन सब आधारभूत अनुभवों से ही अकाल-मुक्ति साधु-सन्त जल सम्मेलन का आयोजन किया।

वर्ष 2000-2003 भीषण अकाल का समय रहा है। इस सम्मेलन से यह अपेक्षा थी कि सम्मेलन में संत को समाज में जाकर सम्बल देने में संतों की भूमिका है। आज प्रजा पालक ही भारी संकट से गुजर रहा है। अकाल से पीड़ित समाज में किसी भी वर्ग-जाति-धर्म का मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है। गांव में अच्छी पैदा होगी, पानी होगा तो अतिथियों और साधु-सन्तों का आदर-सम्मान भी अच्छा होगा वरना वही गांव-समाज के लोग अतिथियों, साधु-संतों के सम्मान से मुंह मोड़ते हैं। यह उनकी अपनी मजबूरी होती है। अपने को ही अपमान से बचाते हैं। यह सब चर्चाएं सम्मेलन में हुईं। सम्मेलन स्थल पर ही साधु-संत समाज ने संकल्प लिया कि हम वर्षा काल आने तक समाज के दूर-दराज के गांव-गांव में जाकर जल संरक्षण का संदेश पहुंचायेंगे। उपस्थित साधु संत समाज में से 21 फरवरी को ही अकाल-मुक्ति यात्रा के लिए श्री दामोदर दास महाराज व योगेश्वर नाथ महाराज के नेतृत्व में यात्रा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में गई। जगह-जगह यात्रा का स्वागत किया गया। समाज और संतों द्वारा जल संरक्षण सम्मेलन आयोजित किये गए। जल के विषय में जानकारी दी गई। समाज में ऐसे कार्यक्रम का अपना विशेष महत्व है।

7. जल संरक्षण के लिए नीतिगत कार्यक्रम

(क्षेत्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर)

हमारे देश में दुनिया का सबसे अधिक जल उपलब्ध है। जल संकट भी यहां व्यापक है। पानी के अभाव में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत में अपनी कोई स्वतंत्र जलनीति नहीं है। वही अंग्रेजी हुकूमत की तानाशाही व्यवस्था की जलनीति को अपना रहे हैं। चहुंदिशाओं में विकास की लहर है। कम्प्यूटर, मोबाइल, वाहन, सड़क आदि बढ़ना भारत के विकास का जीता-जागता उदाहरण है। देश की धड़कन कहे जाने वाले मुम्बई के स्टॉक एक्सचेंज की घटती-बढ़ती सांसें हमारे आर्थिक विकास स्थिति पर पल-पल निगाह रखती हैं। इनके बीच गुम होता जीवन घुट-घुटकर दम तोड़ रहा है। वह जीवन और कोई नहीं केवल **जल** ही है। इसके इर्द-गिर्द भारत की अर्थव्यवस्था घूमती है।

एक वर्ष के मानसून सत्र गड़बड़ाने से पांच साल पीछे का **भूत** वर्तमान में दिखाई देता है, फिर भी हमारे नीति-निर्धारक सचेत नहीं होते। अपने पैर अपने चश्मे से नहीं देखते, दूसरों के चश्मे से अपने पैर देखना मूर्खता नहीं तो और क्या है ? यह सब हो रहा है। हम चल रहे हैं, दूसरों के बताए रास्तों पर। जहां वीरान ही वीरान दिखाई दे रहा भविष्य है । हम खुश हैं। खुशी-खुशी में इक्कीसवी सदी में छलांग लगाने से पहले हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संवर्द्धन के लिए मुड़कर देखना ही होगा। अगर हमारे प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित हैं, सही व समाज उपयोगी हैं तो इक्कीसवीं क्या पच्चीसवीं सदी की भी कल्पना करने में क्या बुराई है?

लेकिन जहां प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हो रहा है। जीवन संकट में हो तो कल्पना मात्र से इक्कीसवीं सदी में नहीं जाया जा सकता। इक्कीसवीं सदी की दहलीज पर पैर रखते ही हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर एक साथ चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं। हम इसे विकास कह रहे हैं।

जल-जंगल-जमीन के संरक्षण, संवर्द्धन को लेकर तरुण भारत संघ ने ग्रामीण क्षेत्र में कार्य शुरू किया था। आज के विवाद के दौर में गांव की जमीनों का सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर अधिग्रहण हो रहा है। **जल** प्राकृतिक संसाधनों को बाजार की वस्तु बनाकर निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। इन सबसे बचने के लिए तरुण भारत संघ ने क्षेत्रीय जनता के साथ संवाद किया।

राज्य स्तरीय व राष्ट्र स्तरीय सम्मेलनों के माध्यम से एक देशव्यापी वातावरण बनाने का प्रयास किया। ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से कोने-कोने से आने वाले जल प्रेमियों से यही अनुरोध किया गया कि वह अपने-अपने क्षेत्र, राज्य में जल के संरक्षण के साथ-साथ जलनीति को जनोन्मुखी बनाने का प्रयास करें। सम्मेलनों में देशव्यापी परिस्थितियों को देखते हुए पांच सूत्रीय जल घोषणा पत्र 12 नवम्बर, 2005 को तरुण भारत संघ में आयोजित जल बिरादरी के पांचवें राष्ट्रीय जल सम्मेलन में जारी किया गया।

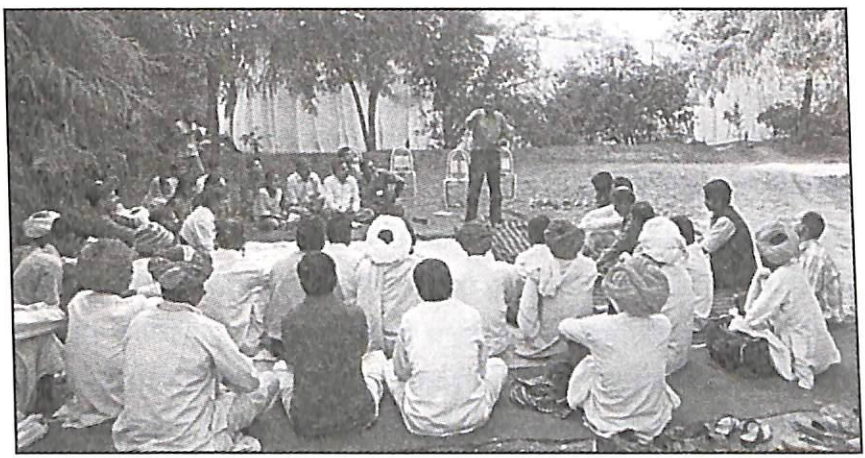

8. जल संरक्षण के लिए पैरवी

पैरवी

'पैरवी' तीन अक्षरों से बना एक छोटा सा शब्द है, जो अपने छोटे रूप में व्यापकता लिए हुए है। पैरवी सत्य-असत्य, तर्कसंगत संवाद के साथ, न्याय-अन्याय की परिधि पर घूमती है। जहां तर्कसंगत सत्य के साथ न्याय-अन्याय की परिधि का भेदन होता है और सत्य-तर्क-न्याय एक सीध में दीखते हैं, तो समाज की विजय निश्चित है। बाधाएं चाहे कितनी भी हों, जहां सत्य और तर्क का युगल बनता है, वहां न्याय मिलने के अधिक आसार बन जाते हैं। इसलिए न्याय-अन्याय की परिधि का भेदन तथ्यों पर आधारित तर्कसंगत होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता और स्वैच्छिक संस्था के लिए अपनी बात को तथ्यों के आधार पर तर्क संगत रखना अधिक आवश्यक है। तरुण भारत संघ का इस विषय में अलग-अलग क्षेत्रों का अपना अनुभव रहा है।

तरुण भारत संघ द्वारा जल संरक्षण के लिए पैरवी की प्रक्रिया

तरुण भारत संघ ने जल संरक्षण के लिए पूरे देश में वातावरण बनाने के लिए राजनैतिक स्तर पर, कानूनी स्तर पर, देश-विदेश के विद्वान, उद्योगपति, सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं व शहरी-ग्रामीण जनमानस में जल-संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए अभियान चला रखा है। केन्द्रीय सरकार ने नदी जोड़ परियोजना के अध्ययनों के लिए बनाई विशेषज्ञों की कमेटी में संस्था के अध्यक्ष श्री राजेन्द्रसिंह को भी विशेष विशेषज्ञ के रूप में लिया है । राजेन्द्र सिंह ने देश की जल समस्याओं के समाधान में अपने सुझाव दिये तथा नदी जोड़ परियोजना के विषय में गहराई से अध्ययन-विश्लेषण कर सरकार की नीति

में समाज के मालिकाना हक की व देश की स्वावलम्बी व्यवस्था को बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं।

पैरवी कार्यक्रम के अन्तर्गत **पांच स्तर** पर कार्य किया गया है :

(अ) तरुण भारत संघ द्वारा किये गए जल संरक्षण कार्यों का प्रस्तुतीकरण

तभासं द्वारा जन सहभागिता से ग्रामीण क्षेत्र में किये गए जल संरक्षण के छोटे-छोटे कार्य तथा इनके प्रभाव से गांव की बदलती तस्वीर अपने आप में उदाहरण बन गए हैं। छोटे-छोटे कामों से समाज में पुन: सहभागिता का वातावरण बना। सहभागिता के कारण ही सूखी नदियां सजल हुई, प्यासे को पानी मिला, गांव में पानी की व्यवस्था हुई, खेती में भी अच्छी पैदावार होने लगी जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, जैसी विकास की धारा भी आने से नहीं रुकी। इन सबका प्रभाव समाज की जीवन-शैली पर पड़ा। राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययनकर्ताओं ने अपनी कसौटी पर सही पाया। अपने-अपने तरीके से अन्तर्राष्ट्रीय प्रिन्ट मीडिया, पत्र-पत्रिकाओं में प्रस्तुत किया जाता रहा है। तरुण भारत संघ के सहयोग से अरवरी नदी पुनर्जीवित हुई। नदी क्षेत्र के समाज ने उसे सदा नीरा बनाने के लिए अरवरी संसद संगठन बनाकर इसका संरक्षण किया। आस्ट्रेलिया में इण्टरनेशनल थीसिस रिवर प्राइज 2004 **स्पेशल कॉमेण्डेशन** अवार्ड से सम्मानित किया।

(ब) जल की समस्या व समाधान के लिए स्वतंत्र विचार देना

दुनिया में बढ़ती पानी की समस्या को देखते हुए और तभासं के द्वारा किये गये जल संरक्षण कार्य से जल समस्या का समाधान एक विज्ञान और वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर खरा पाये जाने पर जल समस्या का समाधान पाया। जब ऐसे प्रयोग सफल होते हैं तो किसी से छुपे भी नहीं रहते। चाहे कितने ही पिछड़े इलाके में क्यों न किये जाएं।

तरुण भारत संघ द्वारा किये गए ग्रामीण क्षेत्र में जल संरक्षण के कार्य के इस प्रयोग को समझने के लिए तभासं में विदेशी संस्थाओं के प्रतिनिधि व जल प्रेमी

आते हैं, जल संरक्षण कार्यों को देखते, समझते हैं। ग्रामीणों व कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। संस्थाओं के प्रतिनिधियों को अपने-अपने देश में आमंत्रित करते हैं। यह सब देखते हुए जल संरक्षण का कार्य किसी विशेष जगह का न होकर विश्वव्यापी हो गया है। संस्था के पदाधिकारी पूरी लगन से इस कार्य को सर्वहितार्थ मानकर सबको जल संरक्षण कार्य में सहयोग कर रहे हैं। चाहे भारतीय ग्रामीण क्षेत्र हो या अमेरिका, पानी सभी को चाहिए।

तभासं के पदाधिकारियों ने जल संरक्षण के संबंध में अपने व्याख्यान फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैण्ड, स्वीडन, जर्मनी, स्विट्जरलैण्ड, केन्या, दक्षिणी कोरिया, नीदरलैण्ड, ब्राजील, मैक्सिको, आस्ट्रेलिया, जापान, साउथ अफ्रीका, फिलीपीन्स, नेपाल, पाकिस्तान, सिंगापुर, हांगकांग आदि देशवासियों के निमंत्रण पर जाकर अपने जल संरक्षण के प्रयोग को वहां की जनता को बताया है। विदेशों के अनुभवों से क्षेत्रीय जनता को भी अवगत कराया।

इस प्रकार से तरुण भारत संघ द्वारा किये गए ग्रामीण जल संरक्षण को आज विश्व की खुशहाली का भी प्रतीक माना जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज ये कार्य विश्व धरोहर के रूप में हैं जिन्हें संरक्षित-संवर्द्धित करना समाज का दायित्व है।

(स) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करने की मंशा का राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रकट करना

वर्तमान युग औद्योगिक व आर्थिक युग है। हर वस्तु का आकलन इन दो मापदण्डों के आधार पर ही हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां विश्व को अपने ही नजरिये से देखती हैं। उन्हें कहां जाना, किस वस्तु को लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, उनकी सोच में कहीं भी आम आदमी नहीं होता और उनके जीवन में आवश्यक वस्तु केवल आर्थिक उपभोग की वस्तु होती है। उसी से विश्व का ताना-बाना बनाती हैं। आज विश्व में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की

नजर, जहां कहीं प्राकृतिक संसाधन बचे हैं, उन पर नियंत्रण करना है जिससे विश्व का हर आदमी उनकी गिरफ्त में आ जाये। भारत में भी ऐसा ही हो रहा है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की नजर हमारे जल, जंगल, जमीन पर है, वे उसे लेने में कामयाब हो रही हैं। सरकार, प्रशासन और नेतागण राजनीतिक लोगों के गठजोड़ ने इस स्थिति को पैदा किया है। जल व्यापार की वस्तु बन गई है। अब पूरे देश में जल के निजीकरण करने का विचार है। गांवों की जमीनों के अधिग्रहण हो रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियां खरीद रही हैं। सवाल सामने है कि पानी कैसे बचाएं, बरसाती पानी और धरती का पानी बचा है फिर भी अपना नहीं है। इसलिए पानी पर समाज का मालिकाना हक हो। समाज उसका मालिक हो। किन्तु कैसे?

बहुराष्ट्रीय कम्पनियां पानी की मालिक न बनें। सरकार उन पर नियंत्रण करे और आमजन को पानी देना सरकार का दायित्व भी है और कर्तव्य भी। इसे हर नजरिये से अपने फर्ज को मुस्तैदी से समाज को साथ लेकर निभाएं। इस विचार से राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की मंशा का विरोध किया है। विश्व में जहां-जहां प्राकृतिक संसाधनों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का नियंत्रण हुआ, वहां की जनता का बुरा हाल है। वे अपनी फरियाद किसे और कैसे सुनाएं? लूटने वाले भी अपने हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से बचने के लिए सामाजिक स्तर, राजनैतिक स्तर, राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहल करनी होगी। इसलिए तरुण भारत संघ ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की मंशा के विरोध में अपना वैचारिक दृष्टिकोण विश्व जगत् के सामने रखा है।

(द) प्रवासी भारतीयों को उनकी जन्मभूमि क्षेत्र में जल संरक्षण कार्यों हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करना

तरुण भारत संघ द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में किये गये जल संरक्षण के कार्यों से समाज की बदहाली से खुशहाली में बदलती तस्वीर के प्रयोग व परिणाम को देखते हुए तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों को सुनना व तरुण भारत संघ के कार्यों

को देखना एक चाहत, जरूरत, जिज्ञासा सी राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरी है। जबकि तरुण भारत संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्र के साधारण लोग ही हैं और उनके कार्य भी सरल और सादे हैं, आम आदमी भी आसानी से कर सकता है। 22 वर्ष तक गांव के गरीब किसान, मजदूरों के बीच रहकर छोटे-छोटे कार्य किये हैं। उन छोटे कार्यों का परिणाम वर्तमान समय की आवश्यकता बन गई है।

तरुण भारत संघ के पदाधिकारी जिस देश में भी जाते हैं, वहां भारतीय मूल के लोगों से जरूर मिलते हैं। अच्छी बातें करके भारत में अपनी जन्मभूमि में जल संरक्षण के कार्य करने को प्रेरित भी करते हैं। मुंबई में फरवरी 2005 में हुए प्रवासी भारतीय सम्मेलन में भी राजेन्द्रसिंह ने जल संरक्षण के लिए प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया था।

राष्ट्रीय स्तर पर पैरवी

तरुण भारत संघ ने अपने क्षेत्रीय अनुभवों के आधार पर जो भी अनुभव किये और जल को लेकर की जा रही राजनीति का बारीकी से अध्ययन किया तो पाया कि आज जो हम जल संरक्षण का कार्य कर रहे हैं। इसका भविष्य क्या है ? पानी की मांग देश में चारों तरफ है। जहां समाज स्वयं अपनी व्यवस्था कर रहा है, उस पर भी मालिकाना हक दूसरों का ही होता है। तो समाज की क्या भूमिका होगी ? इस विषय में हमारी जलनीति क्या कहती है ? जीवन उपयोगी प्राकृतिक संसाधनों से समाज का मालिकाना हक पर किस प्रकार नियंत्रण किया जा रहा है। उन पर समाज का हक बरकरार बना रहे। उसका तर्कसंगत उत्तर देश के विभिन्न भागों के बुद्धिजीवियों के साथ वैचारिक मंथन कर पाया कि अभी हमारी जल नीति बनी ही नहीं है। अंग्रेजों के जमाने की जो भी अच्छी-बुरी नीतियां बनी थीं, वहीं हैं। जबकि देश को आजाद हुए 60 वर्ष हो गए। अब भारत की जल नीति ऐसी होनी चाहिए, जो जन-जन व जीव-जगत् की व समाज की जरूरत पूरी करे। ऐसा विचार कर राष्ट्रीय स्तर पर पानी के संरक्षण की आवाज उठाई, जिसके लिए निम्न कार्य किये हैं।

(अ) केन्द्रीय जल नीति में जनता के सुझावों को जुड़वाने के प्रयास करना

यह विडम्बना ही है कि स्वतंत्र भारत की अपनी कोई भारतीय समाज के अनुकूल जल नीति नहीं है, जो भी है वह भारत के गुलामी काल की है जो आज भी भारतीय समाज को गुलाम बनाने में कारगर है।

तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों ने सन् 2000 में केन्द्रीय जल नीति का अध्ययन किया। देश के अन्य भागों में भी इसकी चर्चाएं कीं। इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि तरुण भारत संघ केन्द्रीय जलनीति की गहराई से समीक्षा करे और समाजहित में जनता के सुझावों से केन्द्रीय सरकार को अवगत कराए। इसके लिए तरुण भारत संघ ने भरत झुंझुनवाला को नियुक्त किया और उन्होंने मई 2000 में केन्द्रीय जलनीति के लिए सुझाव का ड्राफ्ट तैयार किया। जिस पर 24-25 मई, 2000 में राजेद्र भवन, दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार आयोजित की, जिसमें जल संसाधन मंत्री विजया चक्रवर्ती, जल संसाधन मंत्रालय के अन्य अधिकारीगण, नीतिकार, सलाहकार, देश के बुद्धिजीवी, स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और ग्रामीण जनसमुदाय एक साथ सभी चर्चाओं में शामिल थे। केन्द्रीय जल नीति के परिप्रेक्ष्य में भरत झुंझुनवाला द्वारा तैयार किये गए ड्राफ्ट पर बिन्दुवार समीक्षात्मक व तर्कसंगत विचार-विमर्श हुआ। सभी उपस्थितजनों ने अपने-अपने सुझाव दिए। केन्द्रीय सरकार के भी विचार लिए गए और सबको समाहित करते हुए अन्तिम ड्राफ्ट तैयार कर केन्द्रीय सरकार को दिया।

केन्द्रीय सरकार ने बड़ी चालाकी से 1 अप्रेल, 2002 को राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाकर केन्द्रीय जलनीति की घोषणा कर दी। जिसमें तरुण भारत संघ के सुझावों को दरकिनार कर जल के निजीकरण के लिए खुलापन व जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति मानकर उसका अधिकार सरकार के हाथों में लेने के कानून ने तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों को पुन: केन्द्रीय जलनीति पर सोचने-विचारने को मजबूर कर दिया।

तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों ने 2002 में केन्द्रीय जलनीति की पुनः समीक्षा की तो पाया कि जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित कर सरकार पानी से संबंधित समाज के सभी अधिकारों पर अपना प्रभुत्व बनाना चाहती है। इसलिए जल को राष्ट्रीय सम्पत्ति कहकर समाज के प्रकृति प्रदत्त अधिकारों का हनन है जो भारतीय जीवनशैली के लिए अनुकूल नहीं। भारतीय जीवनशैली में जल का अपना महत्व है, जो हमारी आस्था का प्रतीक है। उसे बचाना ही है। इसके लिए देशव्यापी आन्दोलन की जरूरत पड़ेगी, तो तरुण भारत संघ परिवार अपनी पूरी ताकत के साथ उस आन्दोलन में लगेगा।

तरुण भारत संघ के अध्यक्ष श्री राजेन्द्रसिंह ने पूरे देश में जहां भी जल के संबंध में कार्य करने वाले, सोचने-समझने, लिखने वाले, विषय-विशेषज्ञ, विद्वानों, नीतिकारों, राजनैतिक लोगों से राष्ट्रीय जल बिरादरी के सदस्यों से व्यापक संवाद करना आरंभ किया था। 10-11 अक्टूबर, 2002 में अहमदाबाद में राष्ट्रीय जल बिरादरी का सम्मेलन चल रहा था। उस समय तत्कालीन सरकार ने देश की नदियों को जोड़ने का ऐलान किया। सम्मेलन में ही उस पर विचार किया गया।

राष्ट्रीय जल बिरादरी व कोवा अहमदाबाद गुजरात सम्मेलन में तय हुआ। अब समय आ गया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में जो भी जल संरक्षण के कार्य हो रहे हैं, उनमें तेजी लाई जाये तथा अन्य कार्य यथावत् चलाते रहें। आज देश में पानी की आवाज को पहुंचाना हम सब का दायित्व है और यही समय है जब हम पानी की आवाज समाज में पहुंचायें, इसके लिए हमें पूरे देश में यात्रा करनी होगी। जन-जन तक केन्द्रीय जल नीति की खामियां व नदी जोड़ के विचार, जल का निजीकरण जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर समाज में जाना होगा। साथ ही साथ जल संरक्षण के कार्यों में समाज को प्रेरित करना मुख्य रहेगा। सम्मेलन में सभी उपस्थित जनों ने राजेन्द्रसिंह को यात्रा का नेतृत्व सौंपा और अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापक तैयारी की गई।

राजेन्द्रसिंह द्वारा राष्ट्रीय जल यात्रा का शुभारंभ 23 दिसम्बर, 2002 को गांधी समाधि राजघाट, दिल्ली से देश के सभी भागों में जाकर जल संरक्षण, केन्द्रीय जलनीति की विसंगतियां, नदी जोड़ परियोजना, जल के निजीकरण जैसे ज्वलंत मुद्दों को लेकर जल यात्रा की गई।

देश में यात्रा के दौरान लाखों लोगों से संपर्क हुआ। पत्र-पत्रिकाओं, प्रिन्ट मीडिया के माध्यम से यात्रा का संदेश देश के कोने-कोने में करोड़ों लोगों के बीच गया। जल संरक्षण के लिये देश में यह पहली जल यात्रा थी। यात्रा के दौरान अलग-अलग भागों में गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर के जल सम्मेलन हुए। जल सम्मेलनों में यात्रा के अनुभवों को बांटा गया और 24-25 जून 2004 को दिल्ली सम्मेलन में यात्रा का समापन किया गया। डेढ़ साल की यात्रा के दौरान जो भी अनुभव हुए, उसे केन्द्रीय जल नीति के परिप्रेक्ष्य में देखा, समझा गया। नीतिगत जो सुझाव आये, उससे केन्द्र सरकार को अवगत कराया।

(ब) केन्द्रीय नदी-जोड़ परियोजना के लिये सुझाव देना

देश के सभी भागों में आज जल संकट पैदा हो गया है। जबकि भारत में दुनिया की औसत वर्षा सबसे अधिक है, अधिकतम वर्षा भी भारत में ही होती है। फिर भी देश की धरती प्यासी है और लोग भी। ऐसा क्यों हुआ? आज तो विज्ञान का युग है। फिर पानी देखते-देखते अन्य जीव-जन्तुओं, वनस्पतियों के विलुप्त होने जैसा लग रहा है। कर्नाटक, तमिलनाडु में पानी के लिये टकराव, आन्ध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पानी के लिये आत्महत्याएं, पंजाब की हरियाणा व राजस्थान को पानी न देने की धमकी, राजस्थान में पानी के लिये पुलिस की गोली, समाज के जल संसाधनों पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का बढ़ता कब्जा, जैसे प्रत्यक्ष उदाहरण संवेदनशील व्यक्तियों को विचलित कर देते हैं। परन्तु हमारे राजनेताओं की सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? उन्हें तो देश बेचना है। किसी भी भाव। ऐसी ही नदीजोड़ परियोजना है। राजनेता उसे महत्वाकांक्षी योजना बता रहे हैं।

नदी जोड़ योजना एक पायलेट की कल्पना थी। उस कल्पना को साकार रूप देश की पहली नेहरू सरकार ने देने का प्रयास किया था। लेकिन उस पर कभी भी गहन अध्ययन नहीं हुआ। जबकि तत्कालीन भाजपा सरकार ने भी किसी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया और न ही किसी भी अध्ययन से समाज को अवगत कराया। आज भारत को कर्जा देने की होड़ लगी है। कौन किस योजना में अधिक कर्ज दे, जिससे लम्बे समय तक उसके ब्याज से ही अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर लें।

तरुण भारत संघ का विरोधाभास यह था कि नदी जोड़ परियोजना भारतीय परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। नदियां भारतीय आस्था की प्रतीक हैं। नदियां प्रवाहित हैं तो समाज भी गतिमान है। नदियां रुकेंगी तो समाज भी ठहर जायेगा, टूट जायेगा। नदियां जोड़ना जल संकट का समाधान नहीं है। केन्द्र सरकार ने नदी जोड़ परियोजना के लिये बनी स्टेयरिंग इम्पावरमेन्ट कमेटी में राजेन्द्र सिंह को विशेष सलाहकार सदस्य के रूप में चुना। राजेन्द्र सिंह का सुझाव था कि अब तक के अनुभव के आधार पर नदियों को जोड़ना समाज हित में नहीं है, क्योंकि टिहरी बांध, सरदार सरोवर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु की सरकारों के पास कोई तथ्यात्मक हल नहीं है। जबकि ये तो बहुत छोटी परियोजनाएं थीं जिनका समाधान हमारे पास क्या है? क्या हमने नदी जोड़ परियोजना के लाभों के अतिरिक्त होने वाली विनाशकारी परिस्थितियों का भी अध्ययन किया है?

सरकार ने अब देश की नदियों को जोड़ने की जगह को चिह्नित किया है। नक्शे, सर्वे आदि बनाये जा रहे हैं। माह अक्टूबर 2002 में परियोजना खर्च राशि 5 लाख 60 हजार करोड़ भी तय कर दी गई थी। समय सीमा दस वर्ष रखी गई। मध्यप्रदेश, राजस्थान सरकार के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर भी हो गये। केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री के कर-कमलों से हो गया। परन्तु उनके पास नदी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक परिस्थितियों व पर्यावरणीय परिस्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन नहीं है।

यात्रा क्षेत्र की जल भराव बनने वाली नहर की लम्बाई-चौड़ाई का अध्ययन तो हो परन्तु अभी तो वह भी पूर्ण रूप से नहीं बना।

वास्तविक लागत 5.60 लाख करोड़ हो भी या इससे कई गुनी अधिक। अनुमान ही है और यह धन कहां से आयेगा, कैसे जुटाया जायेगा ? उसका भी कोई पूर्वानुमान नहीं है। यह सब विश्व बैंक के उधारों पर हो रहा है। इस योजना में भारतीय समाज का प्राकृतिक संसाधनों पर से कब्जा ही खत्म है या भारत को कर्ज देने के माध्यम से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी माना है जो हमेशा-हमेशा ब्याज के रूप में सोने का अण्डा मिलता रहे।

तरुण भारत संघ ने केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना के प्रभावित क्षेत्र का सभी प्रकार के सवालों को लेकर आई.आई.टी. कानपुर एवं पी.एस.आई. देहरादून के सहयोग से डॉ. जी. डी. अग्रवाल की अध्यक्षता में अध्ययन किया गया है।

सुरेश प्रभु जो नदी-जोड़ परियोजना में भाजपा द्वारा गठित इम्पावरमेन्ट कमेटी के अध्यक्ष रहे थे। उन्होंने स्वीकार किया है कि नदी जोड़ परियोजना जल संकट का समाधान नहीं है। बूंद-बूंद का संरक्षण करना होगा। फिर यह परियोजना क्या है ? एक सवाल छोड़ती है।

(द) राज्यों की आपसी स्वार्थपूर्ण राजनैतिक स्थितियों तथा प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण के विरोध में आवाज उठाना

पानी की समस्या से किसी का जीवन नष्ट होता है तो दूसरी ओर वही समस्या किसी को राजसिंहासन सौंपती है । फर्क केवल देखने-समझने का है। एक गरीब पानी की व्यवस्था में भटकता है तो नेता, राजनेता पानी के आश्वासन मात्र से राजसिंहासन पर बैठता है और उस पर अधिकार और मजबूत होता है, कमजोर नहीं।

वर्ष 2004 माह जुलाई में देश की राजनीति में यह देखने को मिला। सतलज-यमुना के पानी में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का अनुबंध भौगोलिक क्षेत्र से अधिकार है, फिर भी कहावत वही पुरानी 'जिसकी लाठी उसकी भैंस'। पानी किसका, किसके क्षेत्र अधिकार में या समाज के लिये। या एक विशेष समुदाय-समाज के लिये पानी का रूप स्वरूप जल जीवन है। पानी के बिना सब शून्य हो तो पंजाब क्या, हरियाणा क्या और राजस्थान क्या। पानी सभी को चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक घोषणा कर दी कि पंजाब का पानी पंजाब में ही रहेगा। हरियाणा व राजस्थान का उस पर कोई अधिकार नहीं है। समाचार पत्रों में छपा, रेडियो, टी.वी. आदि के माध्यम से जनता में यह आवाज पहुंची। राजस्थान की जनता में ऐसी कोई खास प्रतिक्रिया नहीं हुई। केवल जो प्रभावित क्षेत्र था, उसमें जरूर हल्की सी चर्चा शुरू हुई। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री का इतने से संतोष नहीं हुआ तो उन्होंने राजस्थान के समाचार-पत्रों में पूरे पृष्ठ पर सचित्र पानी पर पंजाब का पूरा अधिकार जताते हुए लगातार दो दिन विज्ञापन छपवाया। जिससे राजस्थान की जनता में हलचल हुई, पर राजनीति पूरी तरह मौन रही।

तरुण भारत संघ, विकास अध्ययन संस्थान, जयपुर और राजस्थान जल बिरादरी ने मिलकर पंजाब के कदम का प्रमाण सहित सतलज-व्यास के पानी पर राजस्थान व राजस्थान की जनता का मालिकाना हक बतलाया। इसके लिए 17 जुलाई 2004 को प्रेस क्लब, जयपुर में एक प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित कर सार्वजनिक रूप से पंजाब से आने वाले पानी पर राजस्थान की हकदारी जताई। इसके बाद ही राजस्थान की राजनीति में कुछ चर्चा चली। सभी सांसद एक मत हुए। उन्होंने संसद में सवाल उठाये। राजस्थान की मुख्यमंत्री ने भी सार्वजनिक बयान दिये। मारवाड़ और शेखावाटी की जनता ने आन्दोलन शुरू किये। मुख्यमंत्री दिल्ली में माननीय प्रधान मंत्री जी से मिलीं। विपक्षी दल ने भी राजस्थान के पानी के हक पर बयान दिये। यह सिलसिला पूरी जुलाई चला। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद ही थमा। समस्या का समाधान नहीं हुआ। संकट आज भी वहीं का वहीं है।

केन्द्र सरकार के जल संरक्षण कार्यक्रमों में सहयोग

तरुण भारत संघ पूरे देश के तीस जल विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जो विभिन्न प्रकार के सुझावों से अवगत करायेंगे। जुलाई 22 को दिल्ली में माननीय प्रधान मंत्री जी के साथ मीटिंग रखी गई। उसमें राजेन्द्र सिंह भी गये। हमारे सरकारी विभागों ने अपनी-अपनी सलाह दी। उन सब को ध्यान में रखते हुए देश में जल संरक्षण के काम किए जायेंगे।

अगस्त 2006 में कपार्ट की स्टेरिंग कमेटी की बैठक थी। राजेन्द्र सिंह ने कपार्ट की डी.जी. श्रीमती वीणा राव के साथ जल साक्षरता पर हल्की सी चर्चा की थी। इसमें उन्होंने रुचि दिखाई। कपार्ट की मीटिंग के बाद भी उन्होंने राजेन्द्रसिंह से जल साक्षरता के विषय में विस्तार से सुना था। कपार्ट द्वारा इस कार्य में कैसे सहयोग हो सकता है ? इस विषय में भी विस्तार से चर्चाएं हुईं। राजेन्द्रसिंह ने देश की जल बिरादरी के द्वारा कार्य करने का सुझाव उनके सामने रखा। सुझाव अच्छा लगा। लेकिन कुछ काम करने की जरूरत थी। उसके लिए राजेन्द्रसिंह जी ने अपनी ओर से देश के भू-सांस्कृतिक क्षेत्रों के आधार पर नक्शा तैयार करवाया। प्रत्येक क्षेत्र में जल बिरादरी के सदस्यों को सूचीबद्ध कर और कपार्ट के डी.जी. को सोंपा। राजेन्द्र सिंह के साथ कार्य करने की योजना पर कपार्ट के डी.जी. ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री जी माननीय श्री रघुवंश प्रसाद से भी मार्गदर्शन चाहा। उन्होंने राजेन्द्र सिंह के साथ मंत्री से बात कराई तो मंत्री जी ने कुछ सुझाव दिए। मंत्री जी के सुझावों को स्वीकारते हुए जल साक्षरता के बजाय ''ग्रामीण विकास आन्दोलन'' रखा जिसमें जल जागरूकता का मुख्य काम रखा गया। ग्राम विकास आन्दोलन के लिए कार्ययोजना तैयार की गई। इस कार्यक्रम के संचालन में क्षेत्रीय जल बिरादरी का सहयोग लेकर कार्य करना तय हुआ। कपार्ट ने अपने रीजनल आफिसों को नई योजना से अवगत कराया। जल बिरादरी के सदस्यों से भी सम्पर्क करने के लिए कहा गया। रीजनल आफिसों के क्षेत्रीय समन्वयकों ने जल बिरादरी के सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए संपर्क किया था।

राजस्थान में तरुण भारत संघ और जल बिरादरी के सहयोग से ग्रामीण विकास आन्दोलन को विधिवत् शुरू किया गया। रीजनल आफिस, जयपुर ने राजस्थान और मध्यप्रदेश में ग्रामीण विकास आन्दोलन के लिए विज्ञप्ति दी जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं से ग्रामीण विकास आन्दोलन के लिए परियोजनाएं मांगी गई। दोनों प्रांतों में 365 आवेदन आए जिसमें एक सौ नब्बे संस्थाओं से आवेदन स्वीकार किए गए। जिन संस्थाओं के आवेदनों को स्वीकार किया गया, उनको ग्रामीण विकास अभियान के विषय में प्रशिक्षण तरुण भारत संघ भीकमपुरा अलवर में 1 फरवरी से 6 फरवरी तक दिया गया। प्रशिक्षण में राजस्थान की स्वैच्छिक संस्थाओं के 70 प्रतिनिधियों व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

ग्रामीण विकास आन्दोलन राजस्थान और मध्य प्रदेश के 15 ब्लाकों में चलाया जा रहा है। राजस्थान से पहले चरण में आठ ब्लाक ही लिए गए हैं। इसी प्रकार अन्य राज्यों में भी जल बिरादरी के सहयोग से ग्रामीण विकास आन्दोलन को गति दी जा रही है।

मानव संसाधन मंत्रालय के सर्व शिक्षा अभियान में सलाहकार समिति में राजेन्द्र सिंह को रखा गया है। जिसमें जल संरक्षण के लिए कार्य करने और नई पीढ़ी के लिए जल से संबन्धित जानकारी के पाठ्यक्रम के लिए अपने सुझाव दिए हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, नेहरू युवा केन्द्र द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में राजेन्द्र सिंह ने जल साक्षरता के कार्य किए हैं। इसी प्रकार सुब्बाराव जी के कार्यक्रम में भाग लेकर जल साक्षरता अभियान का संदेश देश भर के युवाओं में पहुंचाया है। वर्ष 2006 में वित्त मंत्री के आमंत्रण पर देश की भावी योजनाओं के लिए जल से संबन्धित बढ़ती हुई समस्याओं के समाधान के लिए वित्तमंत्री के साथ लंबी बातचीत हुई है, वित्तमंत्री ने धैर्य से सुना। कृषि मंत्रालय के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में राजेन्द्र सिंह ने जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए कृषि नीति बनाने के लिए अपने विचार दिए हैं।

नदी प्रदूषण सरकारी कार्यक्रम और राजनीति के बहिष्कार का कारण बना

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से निकलने वाली हिण्डन नदी के दोनों ओर बसे गांवों ने देश में नदी प्रदूषण को लेकर आन्दोलन तेज कर दिया है। इस आन्दोलन की शुरुआत नवम्बर 2004 में हुई थी। तरुण भारत संघ के तत्वावधान में हिण्डन जल बिरादरी का गठन किया गया था। नवम्बर 2004 और फरवरी 2005 में नदी के दोनों किनारों को लेकर हिण्डन प्रदूषण के कारणों का पता लगाया गया । गांव में बैठकें आयोजित की गईं । संगठन बनाए गये। स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया गया। नये कार्यकर्ता चुने गए। प्रशिक्षण प्रक्रिया चलाई और जिम्मेदारी सौंपी गई।

आज हिण्डन का आन्दोलन सक्रिय रूप में कुछ गांव में अपना असर दिखा रहा है । पश्चिमी क्षेत्र के गांव में जहां सबसे अधिक नदी प्रदूषण के कारण लोग प्रभावित हुए हैं, वहां के लोग आगे आए हैं । उन्होंने अपने गांवों में प्रदूषण करने वाले उद्योगों के खिलाफ आन्दोलन शुरू किया है । उद्योगों के कारण ही नदी प्रदूषित हुई है । नदी प्रदूषण कैसे बन्द हो ? इसके लिए उद्योगपतियों से भी मिले, उन्हें ट्रीटमेंट प्लान्ट को चालू करने के लिए कहा, जिन उद्योगों में यह प्लान्ट नहीं, उन्हें भी लगाना चाहिए और जिनमें बन्द पड़े हैं, उन्हें चालू रखना चाहिए। इतना ही नहीं पी.एस.आई. देहरादून की संस्था द्वारा नदी प्रदूषण की लेबोरेट्री में जांच कराई गई ।

गांव में महिला, पुरुष, बच्चों में नदी प्रदूषण के कारण तरह-तरह की प्राणघातक बीमारी बढ़ने से चर्मरोग और कुष्ठ रोगों के बढ़ने से, गांव के गांव प्रभावित हैं। आज नदी प्रदूषण के कारण प्राणघातक बीमारी तक ही सीमित नहीं है बल्कि सामाजिक बुराई बन चुकी है । नदी के किनारों पर बसे गांव में हजारों युवाओं को बिना संगिनी के ही जीवनयापन करना पड़ रहा है। इन गांवों में अपनी लड़की देने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता है ।

अब आलम यह है कि नदी प्रदूषण से प्रभावित गांवों ने सरकारी राष्ट्रीय कार्यक्रम का ही बहिष्कार करना शुरू कर दिया है। फरवरी 2007 में पोलियो अभियान का बहिष्कार सामूहिक तौर पर यह कह कर किया गया कि जब हमारी मौत प्रदूषित पानी पीकर होना ही है तो पोलियों की दवा ही क्यों ? चालीस गांवों में इस राष्ट्रीय कार्यक्रम का बहिष्कार हुआ। 26 मार्च 2007 को भी ऐसा ही संकल्प प्रभावित गांवों ने लिया जिससे सरकारी तंत्र भी हिला और राजनीति भी। उत्तर प्रदेश के अप्रैल में होने वाले चुनावों की सरगर्मी जनवरी-फरवरी से ही शुरू हो गई थी। हिण्डन के प्रभावित गांवों में इस बार चुनावों के बहिष्कार की सुगबुगाहट होनी शुरू हुई थी।

30 जनवरी को गांधी दर्शन राजघाट दिल्ली में हिण्डन के प्रभावित गांवों के लोगों ने अपने गांव के पानी को गांधी जी की मूर्ति के आगे रखते हुए संकल्प लिया था। हम अब की बार चुनावों का बहिष्कार करेंगे। इस संकल्प की पूर्ण आहुति 26 मार्च को गांव-गांव में संकल्प के साथ चैत्र मास की नवरात्राओं में की गई। गांव-गांव में सभाएं आयोजित की गईं। मीडिया में चुनाव बहिष्कार के खबरें आने से सरकारी तंत्र भी सतर्क हुआ। कलेक्टर और एस.पी. को एस.डी.एम., तहसीलदार आदि को गांव में जायजा लेने जाना पड़ा। प्रभावित गांवों के लोग अपने-अपने संकल्प के प्रति वचनबद्ध दिखाई दिए।

9. जल संरक्षण के लिए न्यायालय की शरण

जनवरी 2006 में राजस्थान सरकार ने अलवर व अन्य जिलों में पानी का दोहन करने वाली 23 बड़ी कम्पनियों को आमन्त्रित किया है। उन्हें लाइसेंस जारी किये व जमीनें दी हैं जब कि तिजारा क्षेत्र पहले से ही कम पानी का क्षेत्र है। सरकार के भू-जल बोर्ड के रिकार्ड अनुसार भी कम पानी का क्षेत्र घोषित है। राजस्थान की पूर्व सरकार ने वर्ष 2000 में पानी का दोहन करने वाली कम्पनियों को लाइसेंस देने से इन्कार कर दिया था। लेकिन 2006 में वर्तमान सरकार ने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों को बुलाया और लाइसेंस, एन.ओ.सी. प्रमाण पत्र देकर बुलाया है। सबने अपने स्तर से काम चालू कर दिया।

तिजारा क्षेत्र में जल संरक्षण कार्य में पिछले 10 वर्षों से समाज के साथ जुड़कर समाज की जरूरत के अनुसार अपने सीमित साधनों से जल संरक्षण का कार्य किया । समाज में अपने पानी के प्रति जन जाग्रति हुई है । जहां संरक्षण के कार्य हुए हैं, वहां जल स्तर में भी सुधार हुआ है । लेकिन सरकार की नीतियों के चलते अब पानी के दोहन के लिए बड़ी कंपनियां आ रही हैं । तरुण भारत संघ ने इन कम्पनियों का विरोध करना शुरू किया तो सरकार की मुखिया मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिधियां जी ने अलवर के तिजारा तहसील में जिन्दौली गांव में 16 मई 2006 को जल अभियान शुभारम्भ के अवसर पर तरुण भारत संघ के शराब कंपनियों के विरोध के चलते भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध स्वरूप शिकायत में कहा कि संस्था ने सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जा कर लिया है । मुख्य मंत्री ने तुरन्त जांच के आदेश दिये।

जांच अधिकारियों ने तरुण भारत संघ द्वारा निर्माण कार्य तरुण जल विद्यापीठ के कार्य को तुरन्त रुकवा दिया । 3 जुलाई को किशनगढ़ में सांवरलाल जाट की बैठक में फिर से यह प्रश्न उठा तो जाट ने तरुण जल विद्यापीठ को तुड़वाने के लिए सरकारी तंत्र पर बहुत दबाब डाला । सरकारी तंत्र नेताओं के इशारे पर नाचता है । वहीं नाच तरुण भारत संघ द्वारा निर्माणाधीन तरुण जल विद्यापीठ को तोड़ने में देखा । जिलाधीश अलवर ने आनन-फानन में बिल्डिंग तोड़ने के दस्ते व बल का बदोबस्त करके 13 जुलाई को तरुण जल विद्यापीठ को तोड़ने के लिए भेज दिया ।

संस्था के कार्यकर्ताओं की प्रार्थना पर कोई अमल न करते हुए भवन को तुड़वाया गया । इस प्रकार के कृत्य को तरुण भारत संघ द्वारा अतिक्रमण बताया गया। संस्था के पदाधिकारियों को बदनाम किया गया । जबकि जिले में शिक्षा के विकास के लिए संस्था ने अपने साधन जुटाकर 35 स्कूल पिछले सालों में बनाकर समाज को सौंपे हैं, उन भवनों में सरकारी स्कूल चल रहे हैं । वे भी सभी स्कूल गांव की जमीन पर थे । ऐसे ही तरुण जल विद्यापीठ के लिए भवन

बन रहा था, जिसमें अलवर और राज्य के बच्चे ही शिक्षा पाते । कोई निजी कार्य के लिए नहीं था । तरुण जल विद्यापीठ के भवन में सरकार का पैसा हो या विदेशी संस्थाओं का लेकिन संस्था के पास तो समाज कार्य करने के लिए ही था । संस्था पिछले 22 सालों से अपने सामाजिक कार्यों में लगी हुई थी । फिर भी सरकार और सरकारी-तंत्र संस्था के कार्य को सराहने के बजाय तोड़ने में जुट गया । किसी भी दल की सरकार रही हो तरुण भारत संघ की वैचारिक लड़ाई के चलते ऐसी रुकावटें तो सदा आती रही हैं ।

जल संरक्षण का नारा देने वाली सरकार का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था । अब उससे किसी प्रकार की आशा नहीं की जा सकती थी । भवन तोड़ने के पीछे सरकार की मंशा तिजारा से ही संस्था का हटना था । न संस्था रहेगी और न शराब की कम्पनियों का विरोध होगा । कंपनियों के लिए खुला निर्विरोध वातावरण मिलेगा । संस्था के पदाधिकारियों ने इस विषय पर अपने सभी साथियों से मिलकर विचार-विमर्श किया । सभी की राय में अब न्यायालय जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा था । नवंबर 2006 में संस्था ने सभी दस्तावेज जुटाकर उच्च न्यायालय जयपुर में याचिका दायर की । जिसे न्यायालय ने स्वीकारते हुए संबंधित पार्टियों को नोटिस भिजवाए, अभी न्यायालय में प्रक्रिया चालू है । संस्था के पदाधिकारियों को अगर सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ेगा तो जायेंगे । पानी का संरक्षण करना और पानी की लूट को रोकना संस्था समाज के साथ रही है और भविष्य में भी संघर्षरत रहेगी ।

जल संरक्षण संरचनाओं से अतिक्रमण हटवाने के प्रयास

हमारे देश के गांव में सामलाती प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए सशक्त कानून बने हैं, लेकिन कानूनों की पालना कौन करावे ? और कौन करे ? कोई पूछने वाला नहीं है। पूरे देश में गांव की सामलाती सम्पत्तियों का ह्रास हो रहा है। समाज में बढ़ती लालची प्रवृत्ति के कारण गांव के जोहड़, पोखर, गोचर भूमि, पंचायती भूमि पर गांववासियों के ही कब्जे हो रहे हैं। गांव की सामलाती

सम्पत्तियों का समाज ही रक्षक रहा है, लेकिन वही समाज आज के बदलते समय में भक्षक बन गया है। अपनी आपा-धापी में गांव की सम्पदा लुट रही है। सब लूट रहे हैं। कोई भी इसका प्रतिकार नहीं कर रहा है। सब मौन हैं। मौन भाव अन्याय को बढ़ावा देता है जिसका लाभ दबंग लोग उठाते रहते हैं।

गांव की सामलाती सम्पत्तियों के संरक्षण के लिए कानून और कानूनों की पालना के लिए देश का सर्वोच्च न्यायालय ही अगुवाई करे तो सोने में सुगन्ध वाली कहावत चरितार्थ होती है जिसके चलते ऐसा ही हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में व्यवस्था दी है। इस व्यवस्था के चलते गांव की सामलाती परिसंपत्तियों की रक्षा हो सकती है। लेकिन यह सब तभी संभव है जब समाज में सजगता हो, अपनी संपत्तियों का मूल्य समझता हो, और उनकी रक्षा सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो, तो देश में बने कानून भी ऐसे समाज का साथ और सहयोग करेंगे।

तरुण भारत संघ ने गांव के प्राकृतिक संसाधनों के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्था की पालना में अपने स्तर से देश भर में प्रचार-प्रसार किया है। साथ ही साथ कुछ प्रयोगात्मक कार्य भी किए हैं जो पूरी तरह से सफल रहे हैं। तरुण भारत संघ के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने यह कार्य उत्तर प्रदेश के डौला गांव में किया है। गांववासियों द्वारा 17 तालाबों पर अतिक्रमण कर तालाबों का अस्तित्व भी नहीं छोड़ा था। लेकिन सरकारी कागजों में गांव के तालाबों का बाकायदा पूरे नक्शा रक्बा सब थे जिसकी जानकारी समाज को थी।

गांव की ग्रामसभा के सहयोग से तालाबों पर अतिक्रमण करने वाले लोगों से संवाद किया और उन्हें तालाब और पानी के रिश्ते को समझाया, फिर पानी और समाज के रिश्ते को विस्तार से समझाया, तालाबों की रक्षा के लिए बने कानून के विषय में भी जानकारी दी गई। एक लम्बी प्रक्रिया के बाद ग्रामवासियों ने तालाबों से अतिक्रमण हटाने शुरू किए। तरुण भारत

संघ ने ऐसे तालाबों की जल भरण क्षमता बढ़ाने के लिए सहयोग दिया। अतिक्रमण हटाने में कुछ लोगों के द्वारा बाधाएं भी खड़ी की गईं। उन्हें भी आपसी समझाइश से दूर कर गांव के 17 तालाबों को समाज के लिए सुरक्षित कर दिया। देश के प्रत्येक गांव में इस प्रकार से तालाबों के संरक्षण, संवर्द्धन के लिए कार्य होता है तो गांव में रोजगार और पानी की समस्या से देश के ग्रामीण समाज को सीधा लाभ होगा। गांव और देश में बढ़ती पानी की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा।

इस दिशा में तरुण भारत संघ का केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के साथ सतत संवाद जारी है। केन्द्र सरकार ने अपने ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में जल संरक्षण और गांव के जोहड़, तालाब-पोखरों के संरक्षण के लिए पहल करना शुरू किया है। समाज को अपने निजी स्वार्थों को छोड़ कर ऊपर उठना होगा। गांव की परिसम्पत्तियों के संरक्षण का दायित्व भी निभाना समाज व प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है।

10. जल सत्याग्रह वर्ष

जल बिरादरी सम्मेलन : राष्ट्रीय जल सम्मेलन 'जल जोड़ो' गांधी दर्शन, राजघाट, दिल्ली में 27-30 जनवरी 2007 को किया गया, जिसमें देश भर के 150 से अधिक जल चिन्तकों, विशेषज्ञों, विधिवेत्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। देश भर से आए लोगों को जल प्रेमी चिन्तक, समाज सेवी अपने-अपने क्षेत्रों से पानी के सेम्पल लेकर आए थे, जिसे समाज पीकर अपनी मौत को शनैः-शनैः आमन्त्रित करता है । अपने-अपने क्षेत्रों में जल के प्रदूषण और जल की बढ़ती हुई समस्याओं के समाधान के ऊपर मुख्य फोकस रहा ।

22 मार्च, अन्तर्राष्ट्रीय जल दिवस के अवसर पर गांधी स्मृति में बिड़ला हाउस 30 जनवरी मार्ग, दिल्ली में जल साक्षरता के लिए एक बैठक रखी गई । बैठक स्थल वही स्थान था जहां गांधी जी रहा करते थे और अन्तिम दिन भी उसी

हाल में रहे थे। बैठक की अध्यक्षता तारा भटट ने की और मुख्य अतिथि केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री, प्रोफेसर सैफुददीन सोज़ साहब थे।

बैठक का शुभारम्भ गांधी जी के चित्र के सामने 'जलदीप' जला कर जल साक्षरता अभियान को जल बिरादरी दिल्ली की अगुवाई में शुरू किया था। बैठक का उददेश्य **सत्याग्रह शताब्दी वर्ष : हमारा लक्ष्य 'जल साक्षरता से जल स्वराज-जल स्वराज से ग्राम स्वराज'** था। सबसे पहले जल बिरादरी दिल्ली के अध्यक्ष रमेश शर्मा जी ने **'नदियां धीरे बहो.....'** गीत गाकर सभा का संचालन किया। गांधी स्मृति की संचालिका सविता सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया और स्वागत भाषण भी दिया। राजेन्द्र सिंह ने भी जल की बढ़ती समस्याओं के समाधान में समाज का मालिकाना हक कैसे कायम हो। देश की जलनीति कैसे प्रभावी बने और सरकार को किस प्रकार से जल के काम को आगे बढ़ाने के कारगर उपाय करने चाहिए। इन सब को लेकर गांधी जी के सत्याग्रह आन्दोलन शताब्दी जल साक्षरता अभियान को देश के भू-सांस्कृतिक क्षेत्रों में कार्य करने की जरूरत पर जोर दिया।

केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री जी ने अपने व्यस्ततम समय में से इस बैठक में आये और अपने विचार प्रकट किए। उन्होंने कहा कि देश में जल की समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। हमें किफायत से काम करना होगा, साथ ही भू-जल वृद्धि के अपने तौर-तरीके भी अपनाने होंगे, जिससे धरती का जल स्तर बढ़े। हमें अपनी जीवन पद्धति में जल के उपयोग के विषय में भी सोचना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं उतना ही पानी लेता हूं जितनी मुझे जरूरत है। चाहे मुझे कई बार क्यों न लेना पड़े। सरकार ने इस वर्ष जल साक्षरता वर्ष घोषित ही नहीं किया है बल्कि गांव में ग्रामीण गारण्टी रोजगार योजना के तहत जल संरक्षण के कार्य के लिए देशव्यापी योजनाएं भी बनाई हैं और उन्हें क्रियान्वित कराया गया है।

तारा भट्ट ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि जब तक सरकार स्वयं मालिक बनकर रहेगी, तब तक समाज क्यों साथ दे ? समाज को मालिक बनाने के लिए

उसको अधिकार देने की जरूरत है । बिना अधिकार दिए समाज मालिक नहीं बन सकता है ।

वैसे तो तरुण भारत संघ ने वर्ष 2006 को जल साक्षरता वर्ष घोषित किया था और वर्ष भर कार्यक्षेत्र अलवर व देश में जल साक्षरता के कार्यक्रम किए। केन्द्रीय सरकार ने भी वर्ष 2007 को जल वर्ष घोषित किया । जल संरक्षण के लिए योजना-परियोजनाओं को देश भर में लागू किया। जल जागृति कार्यक्रम को बढ़ावा दिया। देश के लिए शुभ संकेत है।

राज्य स्तर पर पैरवी

तभासं का प्रयास है कि प्रत्येक राज्य में भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जनोन्मुखी जलनीति बने। इसके लिए राज्य की सरकार, विपक्षी दल, अधिकारीगण, प्रदेश के बुद्धिजीवी, समाजसेवी संस्थाएं, जनता अपनी-अपनी जल समस्याओं को पहचानें, उनके निराकरण के सुझाव दें, जल संरक्षण के लिए नियम-दस्तूर बनाकर सुझावें जिससे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में एक विचार बने और उसे समाज की जल नीति माना जाये। समाज को भी यह अहसास हो कि हमारी जल नीति है। तब उसे कानूनी रूप से मान्य किया जाये। इन सबके लिए राज्य के प्रबुद्ध वर्ग व समाज सेवी संस्थाओं को पहल करनी होगी। तभासं के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने देश के उत्तरी व दक्षिणी राज्यों की जलनीति में अपने विचारों का सहयोग दिया। इन्होंने राज्यों के सभी क्षेत्रीय लोगों के साथ सतत जल संवाद वर्ष 1997-98 शुरू किया था।

तभासं को अलवर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा जिलों में जल संरक्षण कार्यों को करते-करते 1997 में अहसास हुआ कि जो समाज बीते 10 वर्षों में अपनी व प्रकृति की रक्षा के लिए जल संरक्षण कार्य में लगा है, वह उसका कानूनी रूप से मालिक है या नहीं। राजस्थान में स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जो केन्द्रीय जल नीति में राज्यों के अधिकार दिये हैं, वही राज्यों की जल

नीति है। 1987 में राजस्थान की जल नीति का एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था परन्तु उस पर दुबारा कार्य नहीं हुआ।

तभासं ने समस्या को पहचाना और राजस्थान की जल नीति पर वर्ष 1997 में कार्य शुरू किया। इसके अध्ययन के लिए भरत झुनझुनवाला और ज्ञानप्रकाश चौधरी को नियुक्त किया जिन्होंने राजस्थान के अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में जाकर समाज के हर स्तर के लोगों के बीच जाकर संवाद किया और सबको ध्यान में रखकर पहला ड्राफ्ट अक्टूबर 1998 में तैयार किया। जिस पर एक खुली चर्चा विनोबा ज्ञान मन्दिर, जयपुर में हुई। चर्चा में राजस्थान सरकार के केबिनेट मंत्री दुरू मियां, पूर्व मुख्य सचिव मीट्ठालाल मेहता, सिंचाई विभाग के अधिकारीगण, राजस्थान की स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, राज्य के प्रबुद्धजन उपस्थित हुए। चर्चा के दौरान जो सुझाव आये उन्हें भरत झुनझुनवाला ने लिपिबद्ध कर फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया।

तभासं ने राजस्थान सरकार को जलनीति पर जनता के सुझाव प्रस्तुत किये। राज्य सरकार ने भी जलनीति की पहल की परन्तु अधरझूल में रही। राज्य कि जल नीति 2002 में कमियों पर प्रोफेसर डॉ. मनोहर सिंह राठौड़, विकास अध्ययन संस्थान द्वारा पूरे प्रदेश में भू-सांस्कृतिक क्षेत्रवार सामज के विभिन्न घटकों व स्वयंसेवी संस्थाओं से चर्चा कर एक आलेख तैयार किया गया व राज्य सरकार को सौंपा गया। तभासं जल्द से जल्द जनोनोमुखी राज्य जल नीति बनवाने के लिए प्रयासरत रहा। तभासं के अध्यक्ष राजेन्द्र सिंह ने अन्य राज्यों की जल नीति बनवाने के लिए भी मुहिम जारी रखी।

केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड व उत्तर प्रदेश की जलनीति में अपने सुझाव दिये। राजस्थान जलनीति की पुनर्समीक्षा की, नये मापदण्डों के आधार पर एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की गई जिसके अध्यक्ष प्रो. विजय शंकर व्यास, विकास अध्ययन संस्थान के पूर्व निदेशक थे। यह

कमेटी व्यास कमेटी के नाम से जानी जाती थी। उसमें अलग-अलग क्षेत्रों के एक्सपर्ट विषय-विशेषज्ञों को लिया गया। सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण व राजेन्द्र सिंह भी इस कमेटी में सदस्य थे और अपने अनुभवों का सहयोग दिया। राजस्थान सरकार के लिए जल संरक्षण कार्यों के लिए सुझाव व प्रोत्साहित किया। यूरोपियन कमीशन द्वारा सहयोग दिलाने में भी राजस्थान सरकार के पक्ष में सुझाव दिये जिससे राज्य के राजनैतिक व सरकारी तंत्र में जल के प्रति हलचल हो रही है।

राजस्थान सरकार ने 10 दिसम्बर 2005 से 16 जून 2006 तक जल अभियान कार्य को राज्य में सघन रूप से चलाने की योजना बनाई। इसे दो भागों में आयोजित किया। 10 दिसम्बर को जल अभियान का शुभारम्भ किया जो मार्च तक चला। दूसरी बार 16 मई से जल रथ यात्रा किसान चेतना कार्यक्रम चला जो 16 जून 2006 तक चला। इस अभियान में जल संरक्षण के रचनात्मक कार्य भी हुए । जनसमस्याओं के निराकरण में समाचार पत्रों के माध्यम से राजेन्द्र सिंह के विचार भी प्रकट हुए। राजस्थान में समाचार-पत्रों के द्वारा जल चेतना कार्य जैसे राजस्थान पत्रिका 'द्वारा अमृतम् जलम्' दैनिक भास्कर द्वारा 'जल सत्याग्रह', जल चेतना कार्यक्रमों में सहयोग किया गया ।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रदेशभर में जल चेतना के लिये जल अभिषेक कार्यक्रम की शुरुआत राजेन्द्रसिंह के द्वारा राज्य के बड़े जिलों में की गई। देश की राज्य सरकारों के समक्ष राजेन्द्रसिंह ने अपना वैचारिक दृष्टिकोण बड़े खुलेपन व स्पष्टता के साथ रखा है जिसके कारण जल समस्या व समाधान के लिये राज्य सरकारें राजेन्द्र सिंह को जल के विषय में सुनना, समझना चाहती हैं। राजेन्द्र सिंह पूरी तन्मयता के साथ जल संरक्षण के लिये प्रत्येक दृष्टिकोण से समर्पित होकर कार्यरत हैं। सवाल बस यही है कि आज की विषम परिस्थितियों में राज्यों की जल नीति में आम जनता को मालिकाना हक मिलता है तो जो कष्ट हो रहा है, वह सुख में बदलेगा।

(अ) भूजल नियंत्रण कानून बनवाने के लिए सुझाव देना एवं प्रयास करना

देश में आधुनिक विकास ने धरती का पानी खत्म किया है और ऊपर का पानी सरकारी नीति और विदेशी सलाहकारों ने। जब हम प्रकृति प्रदत्त जल को सहेजने के अपने परम्परागत तरीकों को ही भूल गये तो भगवान भी कभी-कभी हमें दण्ड स्वरूप अकाल देता है। तब याद आती है अपनी ताल-तलाई । पर वह अब है कहां? सब कुछ सरकारी नीति व विदेशी सलाह के चलते नष्ट हो गया। पहले हमारे कुएं, बावड़ी, तालाब आदि को नष्ट करवाया, बदले में दिये हैण्डपंप और बोरवेल टोंटी। क्या उन्होंने आमजन की प्यास बुझाई? पानी रुके कहां? जो धरती में समाये। ताल-तलाई पहले ही नष्ट कर दिये। देश में उद्योग वृद्धि, शहरीकरण, एक फसली कृषि व्यवस्था ने धरती के अन्दर और धरती के ऊपर का पानी खत्म कर दिया। जब पानी सिर से गुजरता है, तो हमारे नीतिकार राजनेताओं की नींद खुलती है। ऐसा ही वर्तमान में देखने को मिल रहा है। जनता, प्रशासन, नेता-राजनेता, उद्योगपति सब पानी-पानी चिल्ला रहे हैं कि पानी भू-तल में नीचे और नीचे चला ही जा रहा है। आजादी के बाद जिस गति से हमने विकास किया है उसी गति से जल का दोहन। अब देखना है कि हमें पानी चाहिये या विकास, या दोनों, पर कैसे? पानी हम सबके सामने एक चुनौती है।

तरुण भारत संघ, राजस्थान जल बिरादरी, जल भागीरथी फाउंडेशन ने राजस्थान के भू-जल स्तर गिरने पर चिन्तन-मनन किया। पाया कि आज जल की जो उपलब्धता है, वह कम नहीं है। वर्षा जल हमें प्रति वर्ष उतना ही मिलता है जितना प्रकृति ने राजस्थान को निहित कर रखा है। कभी-कभी उसमें से कमी हो जाती है तो राजस्थान में अकाल हो जाता है। परन्तु आज परिस्थितियां दूसरी बनी हुई हैं। अगर राजस्थान में औसतन वर्षा होती है तो भी यहां अकाल की समस्या बरकरार बनी रहेगी। कारण साफ है राजस्थान का बदलता फसल-चक्र और बढ़ते पानी का दोहन। पानी हमें प्रकृति से जितना मिलता आ रहा है उससे

ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिये। क्योंकि यहां की भौगोलिक परिस्थितियां ही वैसी हैं जो सदियों-सदियों से चली आ रही हैं। राजस्थान की कृषि उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। कृषि क्षेत्र बढ़ा है जिससे सिंचाई के आधुनिक साधनों से सीधा असर राजस्थान के भूजल पर पड़ा है। वह तेजी से गिरा है।

आज हम भूजल बोर्ड की रिपोर्टों का अध्ययन करें तो पायेंगे कि पिछले दस वर्षों में राजस्थान के भूजल में भारी गिरावट आई है। इन सब मुद्दों पर तरुण भारत संघ ने गंभीर रूप से विचार किया। इस विषय पर कार्य करने के लिये अपने स्तर से एक कमेटी गठित की। जिसमें राजेन्द्र सिंह, प्रोफेसर डॉ. मनोहर सिंह राठौड़, विकास अध्ययन संस्थान, गिरधारीलाल बाफना, वरिष्ठ वकील, राजस्थान उच्च न्यायालय तथा पृथ्वीराजसिंह, जल भागीरथी फाउण्डेशन ने इस विषय पर कई बैठक कर एक ड्राफ्ट तैयार किया। ड्राफ्ट पर भी तीन-चार बैठक हुई। राजस्थान के कई भागों में भी जाना हुआ। उसको व्यापक व व्यावहारिक बनाने के लिये स्वैच्छिक संस्थाओं के साथ भी चर्चा की गई। तरुण भारत संघ ने फरवरी 2004 में मुख्यमंत्री राजस्थान के समक्ष भू-जल संबंधी ड्राफ्ट पेश किया तो मुख्यमंत्री ने कहा कि उसके लिये हमें वातावरण बनाकर निर्णय करना होगा। उसमें अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिये।

भूजल संबंधी कानून राजस्थान में बने, उसके लिये ड्राफ्ट निर्माताओं ने निर्णय लिया कि सरकार इस कार्य को करेगी या नहीं, पर हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी चाहिये। इसके लिये हमें न्यायालय में जाना पड़े तो जाना चाहिये। उसमें कोई बुराई नहीं है। कानूनी लड़ाई की जिम्मेदारी गिरधारीलाल बाफना को सौंपी, उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया, भूजल अधिनियम में भूजल दोहन के लिये कम से कम कानून तो बने, तब कहीं जनता पर, उद्योग पर, दबाव बनाया जा सकता है।

तरुण भारत संघ और जल बिरादरी ने भूजल दोहन के संदर्भ में वर्ष 2004-2005 में राजस्थान के सभी भू-भागों में जल पंचायतों के द्वारा समाज के सभी वर्गों, किसानों, उद्योगपतियों, बिल्डर्स, विशेषज्ञ, जन प्रतिनिधि, समाज के शुभचिन्तक आदि सभी के साथ बड़ी-छोटी मीटिंग की गई। इन मीटिंगों के अनुभवों के आधार पर राजस्थान के संदर्भ में भू-जल दोहन के दुष्प्रभाव का गहराई से अध्ययन किया गया है।

राजस्थान के विभिन्न भू-भागों में जल दोहन से उत्पन्न स्थिति के चलते केन्द्रीय भूजल बोर्ड चिन्तित है। उसने राजस्थान के 5 क्षेत्रों को अति संवेदनशील मानकर नये कुएं खोदना और नये बोरवेल करना तुरन्त प्रभाव से बंद करने के आदेश 2005 में सार्वजनिक रूप से जारी किये हैं।

(ब) राज्य स्तरीय जल बिरादरी को सक्रिय करना

तरुण भारत संघ ने जिन व्यक्ति व संस्थाओं के साथ देश भर में जल संरक्षण-संवर्द्धन के लिए जो भी कार्य किए हैं, उन जल प्रेमियों का एक संगठन जल बिरादरी है। जल बिरादरी की इकाई का राज्य स्तर और क्षेत्रीय स्तर पर गठन किया गया। राजस्थान में भी राजस्थान जल बिरादरी के नाम से गठन किया गया है। क्षेत्रीय स्तर जैसे ढूंढार जल बिरादरी, शेखावाटी जल बिरादरी, मेवाड़ जल बिरादरी, हाड़ौती जल बिरादरी गठित की गई है। अपने-अपने क्षेत्र में जल संरक्षण-संवर्द्धन कार्य में लगी हुई हैं। जनता की सहभागिता व क्षेत्रीय जल बिरादरियों को सक्रिय करना तरुण भारत संघ का मुख्य कार्य और कर्तव्य भी है।

देश में जल को लेकर तरह-तरह की सरकारी नीतियों से बढ़ते औद्योगीकरण और विदेशी शक्तियों ने मकड़जाल बना रखा है। जिससे जल संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। इसकी जानकारी समय-समय पर क्षेत्रीय व राज्य स्तरीय जल बिरादरी को देना तरुण भारत संघ अपना फर्ज पूरी तरह से निभाता रहा है। साथ ही साथ जनता तक सभी बातों को तथ्यात्मक रूप से पहुंचाना है।

आज जल बिरादरी सभी स्तरों पर अपने-अपने क्षेत्रों में समाज के साथ जल संरक्षण-संवर्द्धन के साथ-साथ जन-जागृति का अभियान चला रही है। राज्यों की जल नीति बनवाने में जल बिरादरी अपनी पूरी भूमिका निभा रही है। जिससे राज्य के पानी पर समाज का मालिकाना हक बना रहे। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में हमारा जल **जीवन** गिरवी न रखा जाये। हमें इसे बचाना ही होगा। जल बिरादरी का ऐसा प्रयास है।

क्षेत्रीय स्तर पर जल पैरवी

अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर हम किसी कार्य को करने की कल्पना करें और क्षेत्र विशेष की उपेक्षा, तो वह कितना ही समाज उपयोगी कार्य क्यों न हो, समाज को उसका लाभ नहीं मिलेगा। जिसमें **जल** एक ईश्वरीय शक्ति है। समुद्र के किनारे पर या रेगिस्तान के धोरों के बीच आदमी रहता है या हिमालय की चोटी पर इन तीनों के बीच जीव-जगत् रहता है। जल सभी को समान रूप से चाहिए। उसके उपयोग में जरूर कुछ अन्तर हो सकता है, परन्तु जरूरत तो है ही।

क्षेत्रीय स्तर पर जब तक व्यापक पैमाने पर जल संरक्षण-संवर्द्धन के कार्य एक साथ नहीं होंगे, तो राष्ट्रव्यापी विचारधारा का कोई महत्व नहीं होगा। तरुण भारत संघ ने इन सब मुद्दों पर गहराई से समय-समय पर सोच-विचार किया है। अपनी दृष्टि क्षेत्रीय समस्याओं के आधार पर समझकर उसी के अनुसार कार्य किया है। जिसका प्रभाव समग्रता लिए हुए होता है । राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर सोचने-समझने का मार्ग भी दिखाता रहा है। **जल** संरक्षण का कार्य ऐसा ही कार्य है। तरुण भारत संघ ने इस दिशा में निम्नवत् कार्य किये हैं। प्रत्येक राज्य में अलग-अलग क्षेत्रीय स्तर की जल बिरादरी का गठन करना है।

(अ) जल संरक्षण साक्षरता अभियान चलाना

तरुण भारत संघ ने 15 नवम्बर से 31 मार्च तक देशव्यापी 'जल संरक्षण साक्षरता अभियान' तेज किया। जल संरक्षण साक्षरता अभियान में गांव, स्कूल,

विद्यालय, विश्वविद्यालय, देश में युवा सम्मेलन, देश के मानव संसाधन मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय आदि के साथ जल संरक्षण साक्षरता पर विस्तार से लंबी बातचीत हुई। उसके अनेक परिणाम आये। केन्द्रीय व राज्य स्तरीय संबंधी मंत्रालय एवं विभागों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में जल संरक्षण पर विस्तार से राजेन्द्रसिंह व कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी।

(ब) क्षेत्रीय स्तर के संगठनों से सतत संवाद बनाये रखने के प्रयास करना

क्षेत्रीय स्तर पर जो संस्था जल संरक्षण व जल से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं को लेकर अपने-अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं, उनके साथ तरुण भारत संघ ने अपना संपर्क सतत बनाने का प्रयास किया है। क्षेत्रीय संगठनों की रुचि बढ़ाने के लिए उनके क्षेत्र में जल संरक्षण के कार्य कराये। जल संरक्षण के संबंध में पठन सामग्री उपलब्ध कराई गई। कानूनी, सरकारी स्तर पर, जल के संबंध में जानकारी भी समय-समय पर उनके साथ क्षेत्र में जाकर दी। जयपुर, भीकमपुरा में सेमिनार आयोजित कर संस्था संगठनों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण द्वारा जानकारी दी। साथ ही सतत संपर्क बनाया गया।

(स) क्षेत्रीय स्तर पर किये जा रहे प्रयासों को राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के सामने लाने का प्रयास करना

तरुण भारत संघ ने देश भर में जहां-जहां जिस राज्य के क्षेत्रीय स्तर पर कार्य हो रहे हैं। उसे राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के सामने लाने का पूरा प्रयास किया है। तरुण भारत संघ के अध्यक्ष राजेन्द्रसिंह को कितना ही कष्ट क्यों न रहा हो, वे उस क्षेत्र में गए। पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र में हो रहे जल संरक्षण के कार्य को देखा-समझा और उसका राज्य व देश में समाज के हर वर्ग के सामने प्रस्तुत किया। इससे तरुण भारत संघ को देश में हो रहे जल संरक्षण के विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों के कार्यों की जानकारी बढ़ी। देश की जल समस्याओं को राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में सहयोग मिला। साथ ही साथ क्षेत्रीय संगठनों को उत्साहित करने का पूरा-पूरा प्रयास किया।

(द) क्षेत्रीय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित समस्याओं को हल करने में मदद करना

तरुण भारत संघ देश में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण करने वाली संस्था के नाम से जानी जाती है। वैसे भी तरुण भारत संघ का सामाजिक कार्य करने का मंत्र प्राकृतिक संसाधन जल, जंगल, जमीन की रक्षा करना है। तभासं ये कार्य वर्ष 1985 से समाज के साथ मिलकर करता आ रहा है। अब 22 वर्ष तक ऐसे कार्यों को करने का एक लंबा समय हो गया है। क्षेत्रीय समाज अपने-अपने प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के लिए जब-जब किसी प्रकार की मदद चाहता है, तरुण भारत संघ के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सदैव तत्पर हैं। समाज के साथ पूरा सहयोग करते हैं।

नदी घाटी स्तर पर जल पैरवी

पृथ्वी का प्रत्येक क्षेत्र किसी न किसी छोटी-बड़ी नदी से जुड़ा होता है। पहाड़ी क्षेत्र में आस-पास नदियां होती हैं। मैदानी क्षेत्रों में दूरी पर होती हैं, उन दोनों क्षेत्रों में बरसने वाला पानी नदियों के रास्ते ही समुद्र में जाता है। आसमान से जमीन पर गिरने वाली प्रत्येक बूंद किसी न किसी नदी घाटी क्षेत्र की होती है। उसी नदी घाटी क्षेत्र में जल की बूंदों को प्रकृति की रक्षा के लिए जीव-जगत जीवन के लिए संरक्षण करना, समाज का अपना स्वयं का दायित्व है। जल का स्वभाव हमेशा गतिमान है । ठहरने का नहीं है। समय के साथ अपने पानी को अपने लिए संरक्षित करना होगा। हर बूंद को बहुत सहेज कर रखना है।

आज पूरे देश के घाटी क्षेत्रों में तरह-तरह के विकास की परियोजनाओं के नाम से उद्योगपति, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपना प्रभुत्व बना रही हैं। हमारी सरकारें भी उन्हीं का हर प्रकार से सहयोग कर रही हैं। समाज अकेला है। उसे ही सोचना है अपने जीवन **जल** के विषय में। तरुण भारत संघ ने सबसे पहले सरसा नदी क्षेत्र में कार्य शुरू किया था। उसके बाद अरवरी, रुपारेल, जहाजवाली नदी, भगाणी तिलदेह, साबी, बांणगंगा, चम्बल आदि कई अन्य नदी घाटी क्षेत्रों में भी जल संरक्षण के कार्य किये।

11. जल संरक्षण के लिए दस्तावेजीकरण

तरुण भारत संघ के जल संरक्षण कार्यों पर देश-विदेश की विभिन्न सरकारी-गैर-सरकारी संस्थाओं ने स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया है। संस्था ने भी अपने स्तर से समाज के सहयोग से किये गये कार्यों पर विभिन्न प्रकार के अध्ययन कराये हैं तथा जल संरक्षण पर आधारित पुस्तकें और पर्चे, पोस्टर्स आदि प्रकाशित किए गए। कार्य क्षेत्र में किये गये जल संरक्षण कार्यों पर डॉक्यूमेन्टरी फिल्में भी बनाई गई हैं। जिनका राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया गया हैं। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तरीय पत्र-पत्रकाओं में समय-समय पर संस्था के जल संरक्षण कार्यों को प्रकाशित किया गया।

जल के संबंध में लिखे गए लेख : जल लेख शीर्षक

राजेन्द्रसिंह द्वारा जल को लेकर समय-समय पर लिखे गए लेख समाज में पानी की आवाज बने हैं। जब-जब जिस रूप में पानी को देखा, समझा, पानी के विषय में लिखने का मन बना, लिख दिया। यहां कुछ लेखों के शीर्षक मात्र से जानकारी देने का प्रयास किया है:

- मेरा सपना लोगों से सीखना, उनके साथ रहना।
- रचनात्मकता को चुनौतियां।
- भारत की जल व्यवस्था और जल-दर्शन।
- भारत सरकार से जल नीति में बदलाव की अपेक्षाएं।
- सबै जल गोपाल का : भारत जल दर्शन।
- 2025 में भारत की जल स्थिति।

- श्रमदान से पानी की अकाल मुक्ति।
- जल की लड़ाई ! अखण्डता और संविधान को चुनौती।
- जल प्रदूषण मुक्ति के लिए साझा रास्ता अपनाना पड़ेगा।
- भारत सरकार विकेन्द्रित जल प्रबंधन की भावी योजना प्रस्तुत करेगी तो ही उच्चतम न्यायालय नदी जोड़ योजना को रोकेगा।
- नदियों का जोड़ना संभव नहीं, समाज को नदियों से जोड़ना शुभ है।
- नदी जोड़ के विशेष संदर्भ के साथ **जीवन के लिए पानी** विषय पर विचार।
- सिंहस्थ 2004 में नदियों को सदा नीरा बनाने का संकल्प।
- पर्यावरण और जल दर्शन।
- जल और पर्यावरण ।
- जल **वरुण** देवताओं के नायक जीवनदाता हैं।
- समाज और सरकार मिलकर धरती का पेट भरें।
- रोजगार से भविष्य निधि निर्माण करें।
- रोजगार से भविष्य निधि निर्माण करें, जल नीति की जरूरत।
- नदी जोड़ योजना प्रक्रिया : भारत सरकार।
- नदी जोड़ का विकल्प ।
- नदियों को नहीं, समाज को नदियों से जोड़ें।
- स्वैच्छिकता द्वारा शताब्दी विकास लक्ष्य प्राप्त करना।
- छोटे बांध : बड़े बांधों का विकल्प हैं।
- जल संगठन की योजना।
- भूमिगत जल का नियंत्रण कैसे हो ? (भारत भूमि का भू-जल नियंत्रण कैसे करें ?)

- समाज और सरकार में जल विवाद।
- पानी के प्रश्न पर स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका।
- आइये ! गांधीजी का सपना पूरा करने में जुटें।
- यमुना सबकी मां।
- यमुना को सदानीरा, निर्मल बनाएं
- यमुना के लिए एक अपील
- यमुना सत्याग्रह : जलस्रोतों पर नियंत्रण

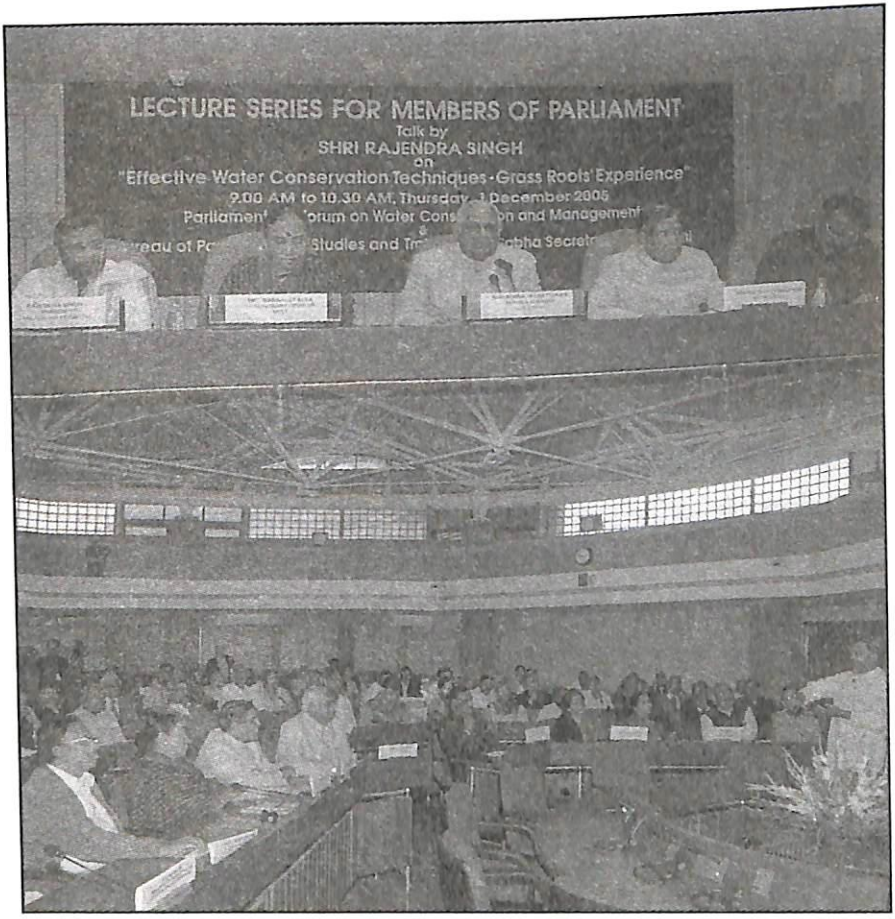

(ब) जल संरक्षण के रचनात्मक जमीनी कार्य

रचनात्मक कार्यक्रम ऐसे होते हैं, जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से दिखता है। समाज के विश्वास की कसौटी पर सही उतरता है। उनका लाभ भी समाज को तत्काल मिलता है, तभी रचनात्मक कार्यों की सार्थकता होती है।

तरुण भारत संघ द्वारा समाज की सहभागिता से किए गए जल संरक्षण के कार्य समाज द्वारा इसलिए स्वीकार किए गए, क्योंकि वह हर प्रकार से उसके जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। आज देश-विदेश की शोध-अनुसंधान करने वाली संस्थाएं अपनी तरह से अध्ययन कर दूसरे क्षेत्रों में तरुण भारत संघ के प्रयोग को पहुंचा रही हैं।

तरुण भारत संघ के छोटे-छोटे कार्य आज जल समस्या के समाधान के रूप में देश की नीति में समाहित हो रहे हैं। भारत का भविष्य उज्ज्वल है। तरुण भारत संघ परिवार को हार्दिक प्रसन्नता है, फिर भी हमारी स्वावलम्बी जल व्यवस्था से विदेशियों की मंशा पर बुरा असर होगा। वह हर समय समाज की जल स्वावलम्बी व्यवस्था को तोड़ने का प्रचार करेंगे। हमें सचेत और चौकन्ना रहना है। तरुण भारत संघ द्वारा जल संरक्षण कार्यों को रचनात्मक स्वरूप देने के लिए विविध प्रकार की प्रक्रियाओं के करने की आवश्यकता हुई और उसे अपने क्षेत्र में किया जो निम्नवत् हैं :

नदी बेसिन क्षेत्रों का सर्वेक्षण तथा ग्रामसभाओं से चर्चा

जल संरक्षण के रचनात्मक कार्यों के लिए सर्वप्रथम क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जाता है। भौगोलिक दृष्टि व जल संरक्षण के अनुकूल क्षेत्र चिह्नित करना होता है। तरुण भारत संघ का क्षेत्र अरावली का पहाड़ी क्षेत्र है। यहां की जमीनी बनावट ढालू है। पहाड़ियों के बीच में बसावटें हैं। जहां खेती भी होती है।

पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण पहाड़ों पर भी बसावटें हैं, मुख्य धंधा पशुपालन है। क्षेत्र में पानी कितना बरसता है, कितने दिन वर्षा होती है ? फसलें क्या-क्या होती हैं, इत्यादि सामान्य बातों को ध्यान में रखते हुए सर्वे किये जाते हैं। जल-संरक्षण के लिए भौगोलिक परिस्थितियां अनुकूल हैं। यह उसी के साथ क्षेत्रीय बनावट से भी जल संरक्षण के विषय में जानकारी ली। तरुण भारत संघ अपने पानी को कैसे देखता है ? उसके संरक्षण के लिए क्या सोचता है ? जल संरक्षण कार्य करने की कैसी रुचि है ?

जल संरक्षण के लिए जगह तय करना

जल संरक्षण संरचनाओं के लिए जगह को तय करते समय ग्रामसभा की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उसी के बताये हुए स्थानों को ध्यान में रखकर जल संरक्षण के लिए उपयुक्त जगह चिह्नित करनी चाहिए।

जल संरक्षण की साइडों का बजट तैयार करना तथा नक्शा आदि बनाना

प्रत्येक साइड का एक्शन प्लान निर्धारित किया जाता है। उसी के आधार पर नक्शा, बजट आदि बनाया जाता है। जिससे जल संरक्षण के निर्माण कार्य का पूर्वानुमान हो सके और उसके आधार पर कार्य करने में सुगमता रहती है।

ग्रामसभाओं के सामने कार्ययोजना प्रस्तुत करना तथा ग्रामीण जनों की राय लेना

प्रत्येक कार्य आरंभ करने से पूर्व ग्रामसभाओं के साथ विस्तार से चर्चा होती है। उसमें ग्रामसभा का सहयोग कैसे और किस रूप में लिया जाए आदि बातों पर विस्तार से चर्चा करके ग्रामसभाओं की राय लेना होती है।

ग्रामसभा के सदस्यों पर कार्य की जिम्मेदारी देना

जल संरक्षण कार्य कराने के लिए ग्रामसभा सदस्यों की जिम्मेदारी को बढ़ाना होगा जिससे सभी ग्रामसभाओं को लगे कि वे किसी की बेगार नहीं कर रहे हैं। अपना कार्य अपने लिए कर रहे हैं। उससे ग्रामसभा में अपनत्व भाव आता है। ग्रामवासियों की देख-रेख में कार्य शुरू करने चाहिए। कार्य की गुणवत्ता सही रहे और अच्छा कार्य हो।

कार्य निर्माण में आयी कठिनाइयों को ग्रामसभा के सहयोग से हल करना

जल संरक्षण के निर्माण कार्य में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां आती रहती हैं, जिनका हल ग्रामसभा के सहयोग से करना कार्य को सुरक्षा प्रदान करता है। कार्य पूर्ण होने पर भविष्य में रख-रखाव, उपयोग की जिम्मेदारी पूरी ग्रामसभा की होनी चाहिए। निर्माणाधीन कार्य का समय-समय पर निर्माण संबंधी सभी पहलुओं का अवलोकन करना चाहिए। जल संरक्षण के लिए निर्माण की गई संरचनाओं पर स्वामित्व का बोध ग्रामसभाओं को कराना। ग्राम-स्वावलम्बन की दिशा में किया गया कार्य है।

तरुण भारत संघ ने 1985-86 से 2006-07 के दौरान विभिन्न संस्थाओं के आर्थिक सहयोग से (कासा-जर्मनी, ऑक्सफेम इण्डिया ट्रस्ट-इंग्लैण्ड, ईक्को-नीदरलैण्ड, आई.सी.-स्विट्जरलैण्ड, सीडा-स्वीडन, नौराड-नार्को, जी.टी. जेड-जर्मनी, आयरलैण्ड, जापान, यू.एन.डी.पी. फोर्ड फाउण्डेशन, इण्टरनेशनल सर्विस सोसायटी-अमेरिका, सोनिया फाउण्डेशन इटली, कपार्ट-

दिल्ली, पी.एच.डी.आर.डी.एफ. दिल्ली गांधी शान्ती प्रतिष्ठान, हैदराबाद आदि)
रचनात्मक कार्य - जोहड़, एनीकट, खेत-तलाई, स्कूल-भवन कार्य कराये हैं।

तरुण भारत संघ पिछले 22 वर्षों से जोहड़, एनीकट, टांके, स्कूल-भवन का निर्माण ग्रामवासियों के साथ मिलकर कार्य करता आ रहा है। संस्था ने गांव के सामलाती संसाधनों व प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन व संवर्द्धन से संबंधित अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिलाकर प्रशिक्षित किया है। आज भी समय-समय पर आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों से कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण प्रवृत्तियां चालू हैं। संस्था में उक्त वर्षों के दौरान प्रशिक्षित कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं। उन्हीं की देख-रेख में सभी कार्य किये गए। सभी सहयोगी संस्थाओं ने अपने-अपने कार्यों को देखा-समझा और समाज उपयोगी पाया है।

प्रत्येक योजना के अन्तर्गत एक्शन प्लान निर्धारित किये जाते हैं, उन्हीं के आधार पर कार्य प्रारंभ किया जाता है। प्रत्येक कार्य को करने में ग्रामसभा का सहयोग, विचार, उपयोग देखभाल पर ग्रामसभा की सहमति होती है। तभी संस्था कार्य करती है। जब तक ग्राससभा तैयार नहीं होती, तब तक वहां भौतिक कार्य नहीं किये जाते हैं। संस्था छोटी-छोटी साइडों का निर्माण ग्रामवासियों के सहयोग व निर्णय जरूरत के अनुसार उन्हीं के तरीकों से करती है। जहां कुछ बड़ी साइड बनाने की आवश्यकता होती है वहां पूरे सर्वे प्रक्रिया के माध्यम से साइडों का प्लान किया जाता है। ग्रामसभा सदस्यों के साथ भी विस्तार से चर्चा की जाती है। ग्रामसभा बराबर काम को देखती रहती है।

प्रत्येक साइड की माप का विवरण वहां कार्य करवाने वाले कार्यकर्ताओं व ग्रामसभा के रजिस्टर में लिखा होता है। उसी के आधार पर भुगतान किया जाता है।

निर्माण कार्यों से संबंधित खरीदी गई सभी सामग्री - सीमेण्ट, लोहा, डीजल, पत्थर एवं बजरी प्रत्येक साइड के लिए अलग-अलग आवश्यकतानुसार खरीदी जाती है। उसी साइड के खर्चे में जोड़ा जाता है। चालू कार्य के दौरान ग्रामसभा के सदस्यों व संस्था के कार्यकर्ताओं द्वारा निरीक्षण किया जाता है जिससे किसी प्रकार की अनियमितता की संभावना नहीं रहती। कुशल कारीगरों से कार्य कराया जाता है जिन्हें काफी वर्षों का अनुभव होता है। साइड पर रहने वाले व्यक्ति साइड से संबंधित सभी खर्चे का विवरण रखते हैं। साइड पर आई सामग्री का इन्द्राज साइड रजिस्टर में करते हैं। उसी के आधार पर ग्रामसभा व संस्था द्वारा भुगतान होता है।

तरुण भारत संघ ने किसी संस्था से तुलनात्मक कार्य करने का दृष्टिकोण नहीं अपनाया है। जिस गांव में जो सामान्यत: मजदूरी होती है। उसी के आधार पर मजदूरी दी जाती है। कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की जाती है। ग्रामसभा सदस्यों के सामने मजदूरी का भुगतान किया जाता है। संस्था द्वारा किये गए जल संरक्षण कार्य को आज हजारों लोग देख-समझ कर अपने-अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं।

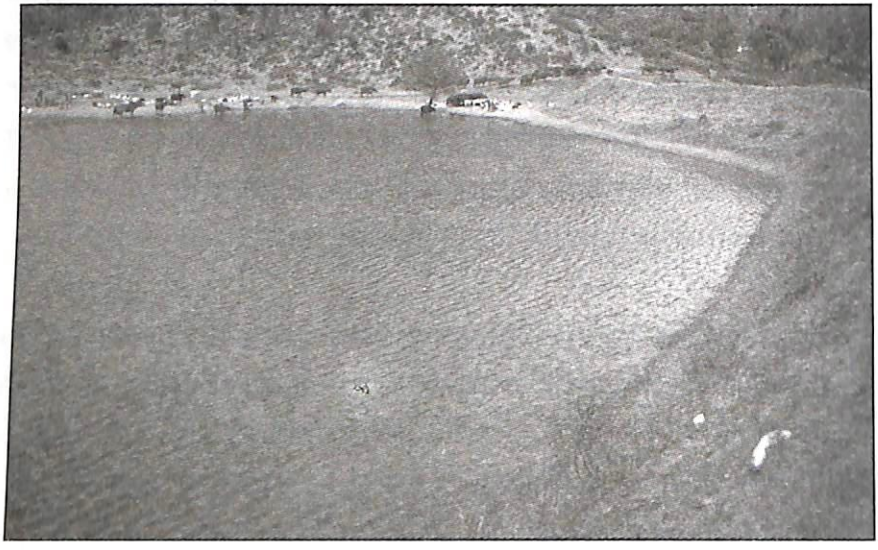

विषम परिस्थिति और विश्वास

वर्ष 2006-2007 तरुण भारत संघ के लिए जल संरक्षण के लिए संघर्षशील वर्ष रहा है । राष्ट्रीय स्तर पर भले ही तरुण भारत संघ के कार्यों और विचारों को स्वीकार किया जा रहा हो लेकिन राजस्थान सरकार जल संकट से सबसे अधिक प्रभावित होते हुए भी अनदेखा कर रही है । समस्या इतनी है कि जल संरक्षण के लिए राज्य का किसान अपनी जान देकर भी अपने पानी को बचाना चाहता है। पानी के लिए महिला, पुरुष, बालक, वृद्ध अपनी जान दे रहे हैं। सरकार उनका पानी जबरन ही उनके हाथों से छीन रही है । लोगों के गले की प्यास को कम करने के जतन के बजाय पानी के बदले बन्दूक की गोली सीने में उतारी जा रही है । गोली से छलनी-छलनी शरीर तड़फ-तड़फ कर शान्त होता है लेकिन दो बूंद पानी नसीब नहीं होती है । यह लोक कल्याणकारी सरकार का पानी के प्रति ऐसा नजरिया है ।

पिछले गत वर्षों में राज्य भर में पानी को लेकर जन आन्दोलन भड़के हैं । उन्हें शान्त करने के लिए सरकार के पास सबसे कारगर उपाय बन्दूक की गोली है। उसे ही समय-असमय इस्तेमाल किया जाता रहा है । लेकिन राज्य की बढ़ती पानी की मांग के चलते न तो कोई ठोस जलनीति बनाई जा रही है और न ही उसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं । जल संरक्षण की अपनी परम्पराओं को छोड़ दूसरे राज्यों पर निर्भरता बनाए रखना लोकहित में नजर नहीं आता है । दूसरे राज्यों की सरकार चाहे किसी भी दल से संबंधित रही हो, राजस्थान के लिए सभी ने आंख दिखाई है । जबकि राज्य का भौगोलिक दृष्टि से हक बनता है। फिर भी धमकी ही मिलती रहती है । ये सब देखते-समझते हुए भी अपने अतीत से सबक नहीं लिया जाता है ।

राज्य भर में **सेज** का भूत चढ़ा हुआ है। यह राजस्थान का ही हाल नहीं है बल्कि पूरे मुल्क में यही हाल है। हाल ही में सेज के कारण पश्चिमी बंगाल के **नन्दीग्राम-सिंगूर** हो या उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जनपद के गांव। सबका एक जैसा हाल है। हमारे देश को उद्योग चाहिए, औद्योगिक युग के बढ़ते हुए विचार के चलते अपनी जमीनी हकीकत को नजरअन्दाज नहीं कर सकते हैं।

आज के औद्योगिक युग में भी 60 प्रतिशत से अधिक जनता गांव में ही रहती है और खेती में कितना भी घाटा क्यों न रहता हो, कभी किसी से उसकी क्षति पूर्ति की आशा भी नहीं करता। गांव की खेती के नुकसान की भरपाई बीमा कम्पनियां भी नहीं कर सकती हैं। फरवरी 2007 में किसानों की हजारों करोड़ की पकी फसल औले गिरने के कारण नष्ट हो गई। सरकार ने कितनी राहत दी ? जिन किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, उनके परिवार के गुजर-बसर के लिए क्या पर्याप्त है ? जब सरकार को अपने लिए जमीन लेनी होती है तो जमीन की मालिक सरकार बन जाती है। जनता की क्यों नहीं ? गांव के आम आदमी की क्षमताएं इतनी विकसित नहीं हुई हैं कि वह अपनी जमीन बेच कर औद्योगीकरण अपना सके। सरकार गांव की जमीन का मुआवजा देकर अपनी जिम्मेदारियों से नहीं मुकर सकती है।

सरकार ने मुआवजा दे दिया था आप जाने कहां और कैसे रहना है? इतना भर कहने से काम नहीं चलेगा। सरकार को ''सेज'' के लिए जमीन अधिग्रहण करनी पड़ती है तो उसे अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ेगा। सेज के कारण विस्थापन की प्रक्रिया को रोकना होगा। प्रभावित लोगों को रोजगार की गारण्टी देनी होगी। साथ ही ऐसी व्यवस्थाएं भी खड़ी करनी होंगी कि आने वाली पीढ़ियां भी उद्योग का लाभ उठा सकें। औद्योगीकरण का सबसे अधिक दुष्प्रभाव यह है कि स्थानीय लोग तो उजड़ते हैं, दूसरे लोग आबाद होते हैं। इतना ही नहीं इनकी व्यवस्थाएं इतनी बड़ी होती हैं कि दूर-दूर क्षेत्र तक के लोग भी प्रभावित होते हैं।

जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ही देखें तो जयपुर के चारों ओर पचास किलोमीटर क्षेत्र को सरकार **सेज** के लिए गांव की जमीन अधिग्रहण कर रही है। उन्हें हर संभव सहयोग देना अपना कर्तव्य मान रही है। चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। अभी हाल में महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा के द्वारा अजमेर रोड पर सेज के लिए स्ट्रेचर खड़ा करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। सरकार ने उसे पानी की आपूर्ति करने का जिम्मा स्वयं लिया है। इसके लिए मानसरोवर से उसे जलापूर्ति की जाएगी।

यह विदित हो कि 25-30 साल पहले मानसरोवर कालोनी को बसाने से पहले कई गांव उजड़े थे, तब जाकर एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी बनी थी जिसमें आधुनिकता के सभी मानदण्ड तय किये गये थे। अब वह आबाद हुई है। कॉलोनी में अभी किसी दूसरे स्थान से पानी नहीं आता है। जब से मानसरोवर की जनता को यह मालूम हुआ है, कि यहां का पानी सेज को जाएगा, तभी से कई संगठनों ने विरोध जताया है। पानी के लिए सभी एकजुट हैं। गरीब, अमीर, नेता, छोटे-बड़े व्यापारी वर्ग मिलकर अपने भविष्य के लिए चिन्तित दिखाई देते हैं। अपने-अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं।

व्यापारी वर्ग बाजार बन्द करता है तो सामाजिक संगठन जन-जन से संपर्क करके अपने पानी को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कभी रैली निकालते हैं तो कभी मीटिंग करते हैं। पानी की चिन्ता ने सभी को अभी से संघर्ष करने के लिए तत्पर कर दिया है। मानसरोवर में बहुत से सामाजिक संगठन हैं। अपनी-अपनी तरह से सामाजिक कार्य करते हैं। लेकिन पानी की चिन्ता ने सबको एक मंच पर कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है। सभी ने एक मत से "जल मोर्चा" बनाया है। जल-मोर्चा मानसरोवर का पानी सेज को नहीं देने देगा, उसका एकमात्र उदेद्श्य है, चाहे पानी की रक्षा करते-करते कितने ही लोगों को अपनी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। यह कुर्बानी पानी की बून्द से सस्ती ही होंगी, जल मोर्चे का ऐसा संकल्प है।

संकल्पबद्ध व्यक्ति या समाज से बड़ी-बड़ी क्रान्तियां हुई हैं, ये सब जानते हैं। इतिहास गवाह है । नन्दीग्राम की घटना ने देश के सामने **सेज** का चेहरा बेनकाब कर दिया है । देश के राष्ट्रपति व प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री को अपना स्पष्टीकरण देना पड़ा था । प्रधानमंत्री जी को तो यहां तक कहना पड़ा कि देश में औद्योगीकरण की बहुत जरूरत है, लेकिन लोगों की जान पर नहीं। इसके लिए इतनी जल्दी भी नहीं है कि सरकारें जनता के हित को ध्यान में रखे बिना **सेज** जैसी योजनाओं को क्रियाविन्त करें । बंगाल के मुख्य मंत्री ने नन्दीग्राम की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार की।

तरुण भारत संघ ने जल बिरादरी के तत्वावधान में 27-30 जनवरी तक 'जल जोड़ो' सम्मेलन गांधी दर्शन राजघाट, दिल्ली में आयोजित किया था। जिसमें पूरे देश के जल बिरादरी सदस्य आए थे । नन्दीग्राम बंगाल से अहमद भाई भी आए थे । उन्होंने बताया कि बंगाल सरकार वैसे तो गरीब और असंगठित किसान मजदूर की हितैषी मानी जाती रही है, उसके नेता भी अपने को गरीबों का मसीहा मानते हैं, लेकिन सेज में सभी राजनैतिक पार्टियों के नेताओं की मंशा एक ही है । हमारे गांव में सरकार ने टाटा की कम्पनी को सभी जमीन दे दी है । **सिंगूर** में ममता जी ने अनशन किया, अभी काम रुक गया है । अब कम्पनी हमारे नंदीग्राम में सेज के लिए कार्य चालू करने जा रही है। गांव में इसका विरोध है । अगर कम्पनी ने काम शुरू किया तो पूरा गांव इसका विरोध करेगा । अपनी जमीनों को बचाने के लिए हमें कितनी ही कुर्बानी क्यों न देनी पड़े, लेकिन एक इन्च जमीन नहीं जाने देंगे । यह संकल्प 30 जनवरी गांधी जी की शहादत के दिन गांधी जी मूर्ति के समक्ष ''जल जोड़ो'' सम्मेलन में लिया था । देश भर से आए जल-बिरादरी के सदस्यों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर संकल्प लिया था ।

नन्दीग्राम की जनता ने वही किया जैसा कि 30 जनवरी को अहमद भाई ने अपने संकल्प में बताया था । सेज का विरोध पुलिस की बंदूकें भी नहीं

रोक पाई थीं। लोगों ने अपनी जमीन की रक्षा के लिए बंदूकों से निकली गोली को अपनी छाती पर झेला । गोलियों ने लोगों की छाती भले ही छलनी-छलनी कर दी हो लेकिन नन्दीगांव के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने में जरूर कामयाब हुई । पुलिस ने हताशावश लोगों को भयभीत करने के लिए अन्धाधुंध गोलियां चलाकर सैकड़ों लोगों की जानें ले लीं। इससे नन्दीगांव के लोग घबराए नहीं। आत्मविश्वास से आगे बढ़ते गए। अपनी जन्मभूमि पर जान न्यौछावर करते गये। नन्दीगांव के शहीदों ने देश की जनता का मार्गदर्शन किया है । शहर और गांव, राजनेता, औद्योगिक-घरानों को एक बार तो सोचने के लिए मजबूर किया है । नन्दीग्राम के शहीदों को तरुण भारत संघ परिवार की ओर से शत् शत नमन। नन्दीग्राम का बलिदान भारत के जल-जंगल-जमीन को बचाएगा, समाज को सचेत करेगा। सरकार के मन को बदलेगा, गांव की सत्ता गांव में रहेगी, गांव में भारत रहेगा, सही अर्थो में ग्राम-स्वराज होगा ।

वर्तमान समय में जल संरक्षण व्यवस्थाएं

वर्तमान केन्द्रीय सरकार देश में बढ़ती जल समस्या के प्रति संवेदनशील दिखाई देती है। राज्य सरकारें भी अपने पानी के हक की लड़ाई लड़ रही हैं। समाज और सरकारें अपने-अपने पानी के हक के लिए आगे आए हैं। पानी के संरक्षण का भाव समाज, सरकार और सरकार के कार्यों में झलकता है। दूसरी ओर हमारे पानी की मालिक दूसरे देशों की बड़ी कम्पनियां बन रही हैं। वह अपना मुनाफा धरती के नीचे और धरती के ऊपर बहने वाले पानी में देखती हैं। वर्षा के पानी पर राज्य सरकारें अपना हक मानती हैं और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सहेज कर रखने का भरसक प्रयास कर रही हैं।

हमारे देश में प्राकृतिक संपदा के संरक्षण के लिए कानून तो बने हुए हैं। लेकिन इतने बड़े देश में उनकी पालना करने-कराने वालों का अकाल है। जनता को कुशल और संवेदनशील नेतृत्व चाहिए जो प्राकृतिक संपदा के संरक्षण में सहयोगी बने। पानी भी प्राकृतिक संपदा का एक अंग है। इसे बचाने के लिए और उपभोग के लिए जनता को जागरूक बनाए रखना कुशल नेतृत्व का अहम कार्य है। उसके लिए व्यवस्था ऐसी सुनिश्चित की जाए कि जनता जनार्दन सहज रूप से स्वीकार करते हुए अपनाती रहे। उसकी उपभोग प्रवृत्ति में लालच और दोहन का भाव न बढ़े। बल्कि संरक्षण और संवर्द्धन का भाव हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहे। ऐसी व्यवस्था से ही हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है।

देश के प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के कारण देश में बढ़ती जन समस्याओं को देखते हुए हमारी न्याय व्यवस्था ने समय-समय पर अहम भूमिका निभाई है। चाहे वह जंगल संरक्षण के सवाल हों या पर्यावरण के सवाल हों, उसने अपना दृष्टिकोण देश की जनता के सामने रखा है। उसकी पालना के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों को भी पाबन्द किया है। जबकि सरकार ही कानून बनाती है और सरकार ही उन कानूनों का उल्लंघन करती है। जनता केवल देखती है और अपने नेतृत्व का अनुसरण करती है। इससे सामाजिक जीवनशैली और व्यवस्थाएं हमेशा बिगड़ती हैं। ऐसी स्थिति में न्याय व्यवस्था का कार्य और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। वह सचेत रह कर अपने निर्णय देती है और उसकी पालना के लिए सरकार व जनता को पाबन्द करते हुए दण्ड व्यवस्था को भी सख्ती से लागू करती है।

देश में घटते प्राकृतिक जल स्रोतों के कारण बढ़ती जन समस्याओं को देखते हुए देश में न्याय व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था उच्चतम न्यायालय ने प्रकृति की रक्षा के लिए एक अहम फैसला किया। माननीय उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था में पानी की आवाज को पहचाना है।

देश में बढ़ती जल समस्या के समाधान हेतु सरकार और समाज को आगे आकर कार्य करना होगा। तभी देश के लिए बढ़ती समस्या का समाधान समय रहते हो सकता है।

विषय - मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4787/2001, हिंचलाला तिवारी बनाम कमलादेवी आदि में पारित आदेश दिनांक 25.7.2001 का अनुपालन किए जाने सम्बन्धी।

माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपील संख्या 4787/2001, हिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी आदि में निर्णय व्यवस्था इस प्रकार है।

मा. उच्चतम न्यायालय का निर्णय/प्राथमिकता

प्रेषक,

अध्यक्ष,

राजस्व परिषद्, उ.प्र.

लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या-जी-865/5-9 आर/2001 दिनांक- 24 जनवरी, 2002

विषय - मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-4787/2001, हिंचलाला तिवारी बनाम कमलादेवी आदि में पारित आदेश दिनांक 25.7.2001 का अनुपालन किए जाने सम्बन्धी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-3135/1-2-2001-रा-2, दिनांक 08 अक्टूबर, 2001 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि ग्राम उगापुर, तालुका आसनांव जिला संतरविदास नगर से संबंधित तालाबों हेतु सार्वजनिक उपयोग की भूमि के समतलीकरण के परिणामस्वरूप अवैधानिक रूप से आवासीय प्रयोजन हेतु अवैध रूप से किए गए आवंटन को मा. उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.7.2001 में यह उल्लेख करते हुए कि तालाबों को विशेष ध्यान देकर तालाब के रूप में ही बनाये रखना चाहिए एवं उसका विकास एवं सौन्दर्यीकरण किया जाना चाहिए, जिससे जनता इसका उपयोग कर सके। अग्रेतर यह भी उल्लेख किया गया है कि जंगल, तालाब, पोखर, पठार तथा पहाड़ आदि समाज की बहुमूल्य धरोहर हैं और उनका अनुरक्षण पर्यावरणिक संतुलन बनाये रखने हेतु आवश्यक है। उक्त मामले में तालाबों के समतलीकरण के परिणामस्वरूप किए गए आवासीय पट्टों को निरस्त

किए जाने तथा संबंधित आवंटियों द्वारा स्वयं उस पर निर्मित भवन 6 माह के भीतर ध्वस्त करके तालाब की भूमि का कब्जा गांवसभा को दिए जाने के आदेश देते हुए निर्धारित अवधि के भीतर आवंटियों द्वारा ऐसा न करने पर प्रशासन को उक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मा. उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त महत्वपूर्ण निर्णय से स्वत: विदित होता है कि आवासीय प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि, चाहे वह तालाब/पोखर, रास्ता/चकरोड, खलिहान आदि के लिए आरक्षित भूमि को आवासीय प्रयोजन हेतु आबादी की श्रेणी में परिवर्तित किया जाना अत्यन्त आपत्तिजनक है, क्योंकि इस प्रकार की अवैधानिक कार्यवाही के फलस्वरूप एक ओर पर्यावरणिक संतुलन (Ecological Balance) बनाये रखने में कठिनाई होती है वहीं दूसरी ओर जल संरक्षण, पशुओं के चारे तथा पेयजल आदि जैसी विकट समस्याएं भी जन्म लेने लगती हैं, जल के स्रोत संकुचित होने लगते हैं एवं भू-जल स्तर बनाये रखना सम्भव नहीं हो पाता है, जिसका सीधा कुप्रभाव मानव एवं पशु पर पड़ता है।

तालाब/पोखर के अनुरक्षण के संबंध में पूर्व में परिषदादेश संख्या-2751/जी-5-11 डी/98 दिनांक 13 जून 2001 निर्गत किया जा चुका है।

मा. उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परिषद की यह अपेक्षा है कि राजस्व विभाग के अधिकारी शीतकालीन भ्रमण के दौरान सार्वजनिक भूमि के दुरुपयोग के विषय में जानकारी करें तथा मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त कृपया इस संबंध में जिलाधिकारियों से समयानुसार सूचना एकत्र कर लें तथा उसे संकलित करके अपनी आख्या राजस्व परिषद को एफ.डी.ओ. में शामिल कर भेजते रहें।

मा. सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अपेक्षा की है कि इस प्रकार के सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा की जाये तथा राज्य सरकार एवं राजस्व विभाग इनका विकास करते रहें ताकि ऐसा होने के कारण पर्यावरणिक संतुलन (Ecological Balance) बनाये रखने में कोई कठिनाई न होने पाये । कृपया राजस्व विभाग आवश्यकतानुसार राहत कार्य के अन्तर्गत एवं पंचायती राज विभाग की योजनाओं के अन्तर्गत इन तालाबों की मेड़ को ऊंचा करने तथा गहरा करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। अधिक से अधिक संख्या में यदि सार्वजनिक भूमि पर वृक्ष लगाये जायें तो उससे भी खाली भूमि सुरक्षित रहेगी। कृपया इस संबंध में विभिन्न पंचायती राज संस्थानों, जिला परिषद, क्षेत्र समिति, डी.आर.डी.ए. इत्यादि को उनकी बैठकों में अवगत करायें। इस परिषदादेश एवं मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कृपया संबंधित अधिकारियों को परिचालित करायें तथा इसका व्यापक प्रचार भी करायें। विभिन्न अधिवक्ता संघों को भी भेजा जाये।

परिषद की राय में धारा 218 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधिकारी एवं आयुक्त के स्तर पर स्वयंमेव निगरानी के रूप में अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है अथवा डी.जी.सी. राजस्व के माध्यम से निगरानी का प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है।

परिषदादेश के साथ मा. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उद्धरण की छाया प्रतिलिपि एवं इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा निर्गत किए गए उपरोक्त शासनादेश दिनांक 08-10-2001 की छाया प्रति भी संलग्न की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्त।

भवदीय,
आदित्य कुमार रस्तोगी
अध्यक्ष

We want to aware you regarding the historical decision of Supreme Court of India given on 25-7-2001, which ensures the restoration and conservation of forests, tanks, ponds, hillocks and mountains etc., by declaring them as nature's bounty.

The Revenue Council of State U.P. issued the above letter to the District Magistrates and Commissioners for the follow up of the decision. You too can use this decision and letter for the conservation of your community natural resources. It will be highly appreciated if you would find it justified to send a copy of the Supreme Court decision to the concerned authorities of your region. We believe your efforts will ensure the use of the decision for this noble cause.

For further details on the decision you can refer to :
"Book of Supreme Court Cases 2001" 6SSC Pg No 496-501

''पानी के बिना समाज बेपानी है। समाज की संवेदनाओं, आत्मविश्वास और कार्यशीलता को सक्रिय करना, जागरूक नेतृत्व का मुख्य कार्य होना चाहिए। पानी की कमी के समय भगवान के भरोसे न छोड़ निराशा को आशा में बदलने के प्रयास करना ही समाज की सजगता है। मनुष्य की कर्मशीलता बेपानी समाज को पानीदार बनाती है।''

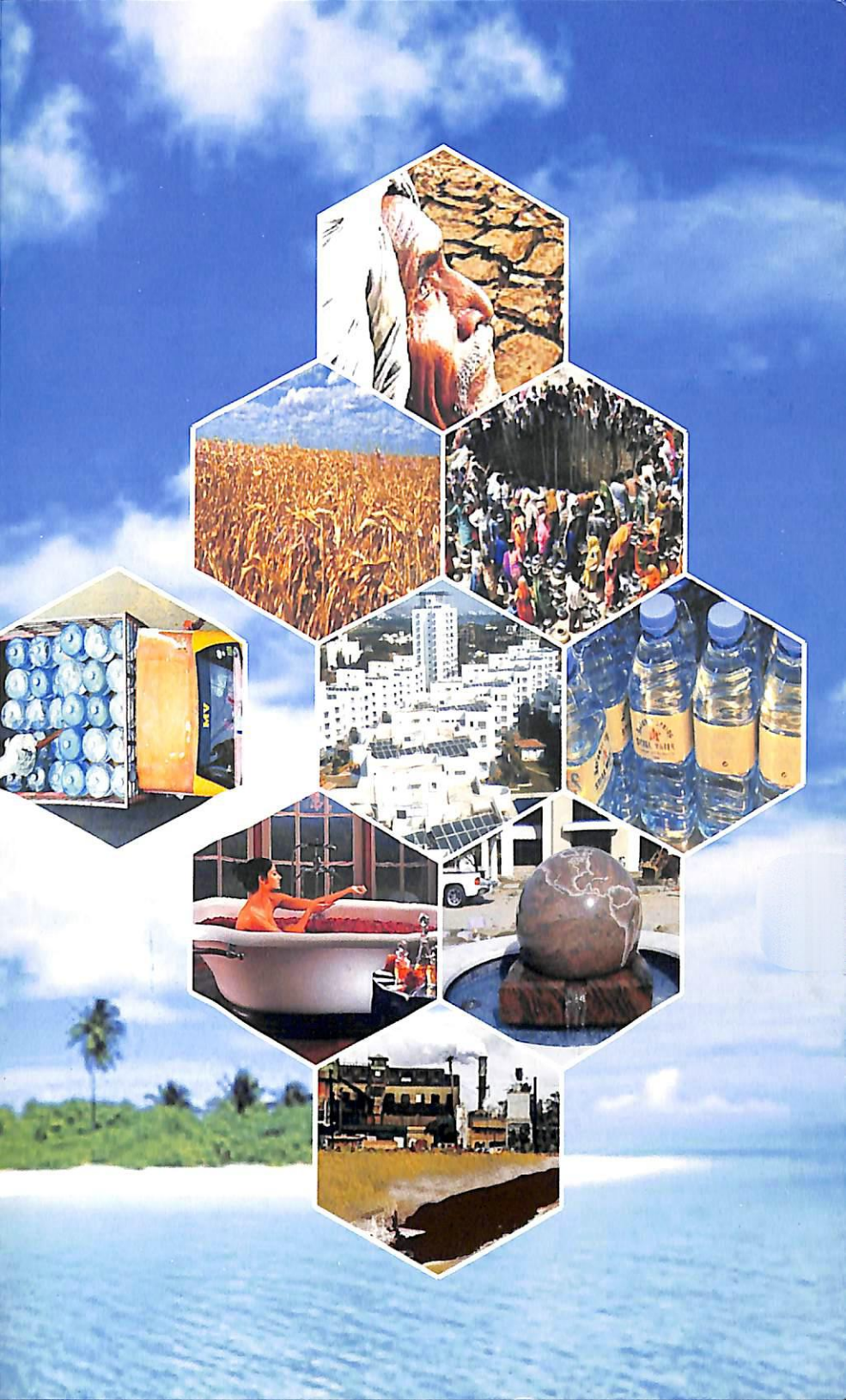

राज व समाज दोनों को मिलकर पानी को समझना पड़ेगा। जिनमें समझ पैदा हो गई, वे दूसरों को समझाएं। समझाने के लिए खुद वैसा करना होगा तो सहेजने वाले ही समझाने के काम भी करें। समझना-समझाना-सहेजना ये तीन काम राज व समाज दोनों को मिलकर करने हैं। चौथा काम सत्याग्रह का है। वह समाज को करना पड़ेगा। पानी प्रकृति प्रदत्त है किसी एक व्यक्ति, कम्पनी की निजी सम्पत्ति नहीं बन सकता है। इसलिए पानी का निजीकरण नहीं सामुदायीकरण करना चाहिए। यही समाज का सत्याग्रह है।

– राजेन्द्र सिंह